खण्ड-443, अंक-6
गुरूवार, 7 भाद्रपद, शक संवत् 1924
(29 अगस्त, 2002 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2002)

खण्ड 443 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2002

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या क
उपस्थित सदस्य	
श्री अखिलेश सिंह स० वि० सभा को स्थानीय पुलिस (रायबरेली) द्वारा भगोड़ा घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर तत्काल चर्चा कराये जाने की मांग .....(जारी) ...	1–5
... ...	5–48
खेलेश सिंह स० वि० सभा को स्थानीय पुलिस (रायबरेली) द्वारा भगोड़ा घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर तत्काल चर्चा कराये जाने की मांग .....(जारी) ...	48–64
नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं	65
बलिया जनपद के ब्लाक हनुमानगंज के ग्राम अराजीमाफी की सागरपाली के वर्तमान प्रधान द्वारा धोखाधड़ी करके गलत तरीके से फर्जी प्रमाण-पत्र के द्वारा प्रधान पद हथियाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	65–66
आगरा शहर के कई मोहल्लों में व्याप्त भारी गन्दगी एवं जलभराव की समस्या का निदान करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	66
जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत खारी नदी पर वर्ष 1990-91 में स्वीकृत अपूर्ण मौरी चैकोरा चैकडेम को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	66
जनपद सीतापुर के अन्तर्गत महमूदाबाद लम्कौर मार्ग पर बाबकुटी में सुमली नदी पर बने ध्वस्त पुराने लकड़ी के पुल का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	66–67
चित्रकूट एवं झांसी मण्डल के जल संस्थान में कार्यरत हजारों कर्मचारियों की सेवा नियमावली न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	67
बरेली कैन्ट क्षेत्रान्तर्गत गणेशपुरम् कालोनी स्थित पहलवान साहब के मजार शरीफ में पुलिस द्वारा जायरीनों पर किये गये लाठीचार्ज तोड़फोड़ एवं लूटमार से उत्पन्न स्थिति के सम्बनध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	67
विधान सभा क्षेत्र लखीमपुर में रुद्रपुर के पास स अहमदपुर महेवा महंगूखेड़ा, केशवपुर गुरेला के ध्वस्त मार्ग का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	68
श्री अखिलेश सिंह स० वि० सभा को स्थानीय पुलिस (रायबरेली) द्वारा भगोड़ा घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर तत्काल चर्चा कराये जाने की मांग	68–70
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	70

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद महोबा के अन्तर्गत धसान नदी पर वर्ष 1978 में प्रस्तावित अर्जुन सहायक परियोजना को पूर्ण कराये जाने विषयक श्री शिवराम आदि निवासी ज़नपद महोबा की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	71
जनपद लखनऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड बक्शी का तालाब स्थित ग्राम गोइला से मुरलीपुर सड़क डामरीकृत कराये जाने विषयक श्री संजय कुमार आदि निवासीगण् जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का स्थगन	
जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत तहसील हापुड़ के राष्ट्रीय मार्ग संख्या–34 (दिल्ली से लखनऊ) सरकुलर मार्ग के निर्माण कराये जाने विषयक श्री मोहम्मद इलियास आदि निवासीगण गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	71
जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत तहसील हापुड़ के भीमनगर मोहल्ला में जल निकासी एवं जनसुविधाएं उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री हीरालाल आदि निवासीगण गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	71
जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत सिकन्दराबाद नगरपालिका परिषद् क्षेत्र के गन्दे पानी की निकासी हेतु नालों व तालाबों की नियमित सफाई कराये जाने विषयक श्रीं अशोक प्रसाद गोयल आदि निवासीगण बुलन्दशहर की हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	71
प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश संख्या–44(1) के अन्तर्गत दि० 24 मई, 2001 को श्री श्याम देव राय चौधरी० सदस्य, विधान सभा के ता० प्रश्न सं०–8 के अनुपूरक उत्तर के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री का शोधन वक्तव्य	72–75
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002 (पुरःस्थापित)	75
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं का स्थगन	7
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2002 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	75
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	76
उत्तर प्रदेश ताज आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	76
भारतीय विद्युत (उ० प्र० संशोधन) विधेयक, 2002 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	76
उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 (सदन के पटल पर रखा गया)	

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक की अनुदान की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–5 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) (स्वीकृत)	77
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक की अनुदान की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–09 ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	77–78
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर एवं नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में कार्य करने हेतु विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन को नाम निर्देशित किये जाने हेतु मा० अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	78
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	78–82
आगरा मण्डल में कृषि भूमि के सीलिंग अधिनियम में शासन द्वारा पुनः संशोधन करने की चर्चा से भयभीत होकर किसानों द्वारा सस्ती दरों पर अपनी भूमि बेचने से उन्हें होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में श्री रमेश कान्त लवानिया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	82–83
जनपद इटावा के भरथना क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक श्री विनोद यादव "कक्का" की जानमाल की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश सिंह द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2002 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	83–84
सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद जनपदों में चीनी मिलें स्थापित होने से कुटीर उद्योग के रूप में पावर कोल्हू में काम करने वाले कश्यप समाज के लाखों लोगों की भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में श्री किरनपाल कश्यप द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर गन्ना विकास मंत्री का वक्तव्य	84–85
जनपद फतेहपुर के कोतवाली क्षेत्र के गांव ठिठौरा में दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार तथा उसके पति की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बीजू पटनायक स० वि० स० द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	85–86
अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों के विभागीय समायोजन में उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सीताराम निषाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	86–87
उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लि० के कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर समायोजन एवं वेतन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० शिव प्रसाद यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	87–88

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में बी० टी० सी० के फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	88
प्रदेश में पी० सी० डी० एफ० डेरियों के उत्पादों की कमजोर विपणन प्रक्रिया के फलस्वरूप व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दुग्ध विकास मंत्री का वक्तव्य	88–92
स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम में शामिल शासकीय कर्मियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतन वृद्धि दिये जाने के सम्बन्ध में डा० वकार अहमद शाह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	92
आगरा महानगर की मलिन बस्तियों में सुलभ शौचालय की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० राम बाबू हरित द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ...	93
जनपद आगरा के कस्बा अछनेरा में आगरा भरतपुर मार्ग पर स्थित मुख्य बाजार में बने पक्के नाले पर से अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में चौधरी बाबू लाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	93–95
जनपद ज्योतिबाफूले नगर के जिलाधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जुर्माना न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री महबूब अली द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	95
जनपद सिद्धार्थनगर के बेगम काजी जलील अब्बासी कन्या विद्यालय के भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु दिये गये धन का कथित दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री कमाल यूसुफ मलिक द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री के वक्तव्य का स्थगन ...	96
प्रदेश में आयुर्वेद एवं यूनानी प्रशिक्षित डाक्टरों के हजारों रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	96–97
उत्तर प्रदेश के आरा मशीनों के संचालन में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप कार्यवाही न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	97
बस्ती नगर पूरब में रामपुर शिवबखरी न्याय पंचायत की विद्युत व्यवस्था जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम करन आर्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य	97

विषय	पृष्ठ-संख्या
कानपुर नगर के धाटमपुर क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा मध्यांचल निधि में स्वीकृत धनराशि द्वारा कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश सचान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	97–98
जनपद कुशीनगर के महात्मा बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों के प्रवेश में घोर अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	98–99
देवी पाटन मण्डल में मेजापुर मिल पर गन्ना किसानों के करोड़ों रुपये के बकाये के भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में श्री बैजनाथ दुबे द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर गन्ना विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	99–100
प्रदेश की वित्तीय हालत को सुधारने तथा इस हेतु किसी विशेष संस्था या संगठन से परामर्श प्राप्त करने विषयक 19 अगस्त, 2002 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–11 नत्थी (ग) के सम्बन्ध में श्री धनन्जय सिंह द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा का स्थगन ...	100–101

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(चौदहवीं विधान सभा)

गुरुवार, दिनांक 29 अगस्त, 2002

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	मुस्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर	मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
अजय राय, श्री	वाराणसी	रतनजीत प्रताप नारायण	
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	सिंह, कुंवर	कुशीनगर/पडरौना
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर	राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
अनुराधा चौधरी, सुश्री	मुजफ्फरनगर	राज नाथ सिंह, श्री	बाराबंकी
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी	राजेश कुमार, श्री	खीरी
ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर	राधा मोहन दास अग्रवाल, डा०	गोरखपुर
कमलेश कुमार पासवान, श्री	गोरखपुर	राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
चन्द्र भद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर	राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर	लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
जितेन्द्र कुमार जायसवाल		वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर	वीरेन्द्र सिंह बुन्देला 'भगत राजा', श्री	ललितपुर
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर	वीरेश्वर, श्री	अलीगढ़
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा	श्याम देव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज	संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी	सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 29 अगस्त, 2002 ई०

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

श्री अखिलेश सिंह स० वि० सभा को स्थानीय पुलिस (रायबरेली) द्वारा भगोड़ा घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर तत्कालस चर्चा कराये जाने की मांग

(सदन की बैठक प्रारम्भ होने पर)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी नियम–300 की सूचना है जिसको नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है। वह शलाका में आई होगी तो ठीक है नहीं आई होगी तो चूंकि यह प्रकरण सदन के सामने लम्बित है, मैंने कहा था कि मैं इस पर व्यवस्था दूंगा विभिन्न कारणों से मैंने व्यवस्था नहीं दी है। मैं समझता हूं कि जब नियम 300 और 301 समाप्त हो जायें तब इसका उल्लेख कर दें तब उस समय ले लूंगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह साधारण घटना नहीं है, एक विधायक और एक दल के उपनेता को पुलिस मे भगोड़ा घोषित किया है और उस पर ढाई हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। उनकी हत्या कराने की कोशिश हो रही है। ऐसे प्रकरण में नियम–56 और नियम–300 के समय की प्रतीक्षा न करते हुए इसको तत्काल लिया जाये। जो भी कार्यवाही आप के सामने हैं उसको निलम्बित करते हुए कृपा पूर्वक आज ही और अभी ही समय दें और इस विषय पर सदन में चर्चा की अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष–

मेरा अनुरोध है नियम 300 और 301 की सूचनाओं के बाद इसका उल्लेख कर दीजिये।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है माननीय सदस्य चाहे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, उनकी रक्षा करना और सदन चलाने का अधिकार आपकी पीठ पर है। ऐसी स्थिति में जब एक माननीय सदस्य को भगोड़ा घोषित करके उनको गिरफ्तार करने की बात हो रही है और उन पर ईनाम घोषित किया है तो यह निन्दनीय है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायें। इससे महत्वपूर्ण बात और कोई नहीं होगी। उनको गलत तरीके से 302 में फंसाया गया है और उनकी गिरफ्तारी पर ईनाम रखा गया है इससे बढ़कर शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। पुलिस ने जिस तरह से घटना को अंजाम देने का काम किया है, वह निन्दनीय है। इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए जैसा कि तिवारी जी ने कहा है, मेरा भी यही निवेदन है कि सदन की कार्यवाही रोककर इस मामले को ले लिया जाये।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय अखिलेश सिंह से सम्बन्धित ये जो मामला है ये आपको विदित है। लोकतंत्र के इतिहास में यह पहली घटना है जब किसी विधायक को भगोड़ा साबित किया गया है और उसके ऊपर ईनाम घोषित किया गया है। किसी भी विधान सभा के सदस्य या लोक सभा के सदस्य के विरुद्ध, उसको भगोड़ा करार देकर ईनाम नहीं घोषित किया गया है। यह एक अभूतपूर्व घटना रायबरेली की पुलिस ने घटित की है। इसलिए नियमों को शिथिल करते हुए इस पर अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के किसी सम्मानित सदस्य का संरक्षण सरकार करे या न करे हम अपेक्षा करते हैं कि आपका संरक्षण मिलना चाहिए। चाहे कोई सदस्य हो सत्ता पक्ष का या प्रतिपक्ष का, उनके हितों की सुरक्षा का दायित्व आप निर्वहन करेंगे। आपने कहा कि इसको 300, नियम 301 के बाद सुन लेंगे। इस सदन में हम लोग 311 में बहुत से विषय उठाते हैं और आप उसको कृपापूर्वक नियम 56 में परिवर्तित कर सुन लेते हैं। यह विषय इससे पूर्व भी सदन में उठाया गया था और हमारे दल के सभी सम्मानित सदस्यों ने यह कहा था कि एक सम्मानित विधायक जो लगातार इस विधान सभा से जीत रहे हैं। इस विधान सभा में लोगों ने उनके आचरण और व्यवहार को देखा है। 13वीं विधान सभा भी साक्षी रही है। 14वीं विधान सभा में उनको संसदीय परम्परा का निर्वाह करते हुए देखा है। हम लोग ने मांग की थी कि स्थानीय पुलिस पर विश्वास नहीं है। इसलिए इसकी जांच सी० बी० सी० आई० डी० से करवा ली जाए। उनके साथ पांच गनर तैनात थे जो सरकार और शासकीय सर्टीफिकेट के लोग हैं। उन्होंने लिखकर एफीडेविट दिया है जिसके कारण न्यायालय ने धारा 82-83 की कार्यवाही करने की इजाजत नहीं दी है। जिससे पुलिस कुर्की कर सके। न्यायालय भी यह नहीं मानता है कि वह भागे हैं। मैं कहता हूं कि कोई भी हो जिस आदमी को जनता की अदालत ने इतने वोटों से जिताया तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र की जनता का दायित्व होता है कि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। इसी सदन में हमने केवल जांच की मांग की थी कि स्थानीय पुलिस से जांच लेकर सरकार सी० बी० सी० आई० डी० को जांच दे दे। उस जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहां के एस० पी० ने माननीय सदस्य को भगोड़ा घोषित कर दिया है। उनको जिन्दा या मुर्दा पकड़ने के लिए 2500 का इनाम घोषित कर दिया है। यह नई परम्परा है। यह ऐतिहासिक घटना है कि किसी विधायक को जिन्दा या मुर्दा पकड़ने की परम्परा शुरू हुई है। अगर वह आई० पी० सी० या सी० आर० पी० सी० के मुल्जिम हैं तो यह न्यायालय का काम है कि उनको दण्डित करे या दोषमुक्त करे। उसको जनता ने इतनी बार इस सदन में पहुंचाया है निश्चित तौर पर वह जनता के लाइले रहे होंगे। हम लोग सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं हम जानते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी हम 10–15 हजार वोट से जीत पाते हैं। लेकिन वह 90 हजार से अधिक वोटों से जीते थे। आपने कहां था कि इसकी रिपोर्ट मंगवा लें उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। हम लोगों ने उसको शिरोधार्य किया। फिर आपने कहा कि सोमवार तक रुक जाएं फिर फैसला करेंगे, हमने वह भी निर्णय माना। इसी सदन में पूर्व में एक बार इसी तरह का प्रकरण आया था तब हरीशंकर तिवारी का मामला था, वीर बहादुर सिंह नहीं चाहते थे कि सी० बी० सी० आई० डी० की जांच हो लेकिन उसके बावजूद पीठ से फैसला हुआ सी० बी० सी० आई० डी० से जांच कराने का। उस समय सदन की भावना का सम्मान किया गया। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि सरकार को निर्देशित करें जिससे कम से कम सदस्य की गरिमा की रक्षा हो सके। मैं इस पर आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रमोद तिवारी जी, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश है, जिसका पाल जी ने उल्लेख किया है, उसकी प्रतिलिपि दे दीजियेगा।

श्री प्रमोद कुमार–

ठीक है मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

मेरा निवेदन है सभा माननीय सदस्यों से कि 11.10 हो गया है। एक सवा घंटे की बात है। नियम–300, नियम–301 हो जाने के बाद तत्काल इस सूचना का उल्लेख कर लेंगे।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं बहुत विनंम्रतापूर्वक कह रहा हूं कि नियम–311 में हमने सूचना दी है, इसमें चर्चा इसी समय सभी प्रस्तावों को निलम्बित कर के करा दें । इस समय इस पर चर्चा कराया जाना आवश्यक है, इस पर मैं बल देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं समझता हूं कि मैं जो अनुरोध कर रहा हूं । मेरे अनुरोध पर, मुझे विश्वास है कि आप इसको स्वीकार कर लेंगे और उस समय इसका उल्लेख करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपको याद होगा, आप पीठ पर थे । मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सका था और खामोश बैठा था । प्रमोद कुमार जी से पहले दौर में यह मेरी मुलाकात इस सत्र में, इस सरकार में या इस बार चुनकर आने के मौके पर नहीं हुई है बल्कि इतने सालों से हम लोग साथ हैं । इतने लम्बे चौड़े राजनीतिक साथ में कभी इनको आजिजी नर्मी और इतना बार-बार किसी के लिए निवेदन करते, गुजारिश करते पहले कभी नहीं सुना और जिस अन्दाज से किया गया उसमें मैं समझ रहा था कि सरकार की तरफ से कोई न कोई ऐसी कार्यवाही जरूर होगी जिससे अपने दल के नेता और साथी का सम्मान बहाल रहेगा । राजनैतिक जीवन में हमें भी काम होते हैं । हमारी भी कुछ जातीय जरूरतें और मजबूरियां, राजनीतिक जरूरतें और मजबूरियां भी होती हैं । बहुत से मौको पर देखा है मिसाल के तौर पर परसों दो मामलों पर आपने हमारी सियासी मजबूरियों जरूरतों का लिहाज रखते हुए ऐसे फैसले दिये जो आने वाले दिनों में तकलियत होगी, खुशी हुई है । राजनीति से हटकर मैं समझ रहा था कि जिस तरीके से प्रमोद तिवारी जी ने नेता की हैसियत से और साथी की हैसियत से गुजारिश की, बजाय इसके कि कोई रास्ता निकलता एक ऐसा काम कर दिया गया जो कि बहुत शोभनीय नहीं है । जिसने जुर्म किया, आपने जांच नहीं कराई लेकिन एक आदमी को पकड़कर ऐसी जगह खड़ा कर दिया जहां से वापसी मुश्किल हो । यह तो वैसे ही हो गया कि कोई आदमी ऊंची मंजिल पर चढ़ा है आप वहां से सीढ़ी खींच लें और उसके पास यही रह जाता है कि वह वहीं ऊंचाई पर मर जाय या फिर छलांग लगाकर जान दे दे । मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे विधायकों का सम्मान बहाल रहे ।

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि जहां तक विधायकों के सम्मान की बात है, मैं उनको सम्मान देने और उसे सुरक्षित रखने के लिए पूरी चेष्टा करता रहता हूं । इसीलिए मैंने कहा था कि सोमवार को व्यवस्था दूंगा । प्रयास चल रहा था कि कोई रास्ता निकल जाय । इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि कक्ष में क्या बातें होती हैं । मैंने कहा था कि अगर कोई व्यवस्था पीठ से आती है किसी भी मुद्दे पर तो वह व्यवस्था केवल उस विषय के लिए नहीं रहती । यह व्यवस्था भविष्य के लिए भी रहती है इसलिए जब पीठ व्यवस्था देती है तो इस बात का ध्यान रखती है कि हम जो व्यवस्था दे रहे हैं भविष्य में इसका किस तरह से उपयोग, दुरुपयोग होगा । हमारी सीमायें हैं, सब पर विचार करके व्यवस्था दी जाती है । इसलिए मैंने अनुरोध किया तिवारी जी से, पर्याप्त समय दे दें । मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लिया । हम चाहते थे कि कोई रास्ता निकालने के लिए हम सफल हो पायेंगे लेकिन दुर्भाग्य से नहीं निकाल पाए । मैं इसमें व्यवस्था दे दूंगा जिस समय नियम–300 नियम 301 की सूचनाएं आयेंगी । मुझे यह विश्वास है कि जो व्यवस्था आएगी उस व्यवस्था से अधिकांश सदस्य संतुष्ट होंगे, मुझे नहीं पता कि व्यवस्था को सुनने के बाद क्या प्रतिक्रिया होगी, लेकिन मेरा विश्वास है कि अधिकांश सदस्य संतुष्ट होंगे । मैं प्रमोद तिवारी जी और अन्य माननीय सदस्यों से कहूंगा कि एक सवा घंटे की बात है उसके बाद व्यवस्था आ जाएगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, व्यवस्था के लिए समय निर्धारित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

समय निर्धारित नहीं है, यह सही है लेकिन मेरे मस्तिष्क में क्या विचार आ रहा है उसी को सोचकर मैंने अनुरोध किया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

इसमें मान्यवर, मेरा आग्रह है कि आप मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल के बाद व्यवस्था हो जाएगी जो विचार करना है वह इसी बीच में हो जाएगा । मेरा अनुरोध है कि प्रश्नकाल को चलने दें । एक सवा घंटा कोई ज्यादा समय नहीं है ।

श्री दिनेश सिंह–

मान्यवर, आपने कहा था कि सोमवार को जवाब दिया जाएगा लेकिन सोमवार आने के पहले इन्होंने इनामी [× × ×] घोषित कर दिया ।

श्री अध्यक्ष–

[× × ×] नहीं यह गलत कह रहे हैं ।

श्री दिनेश सिंह–

[× × ×] घोषित किया गया है उसमें भी कार्यवाही हो ।

(व्यवधान)

श्री विनोद बंसल–

पैसा लेकर हत्यायें हो रही हैं । पूरा दल निवेदन कर रहा है । पांच दिन से निवेदन कर रहे हैं लेकिन इस मामले में कुछ नहीं हुआ है एक सदस्य को भगोड़ा घोषित कर दिया गया, हमारे दुख-दर्द को कौन देखेगा ।

श्री अध्यक्ष–

आज व्यवस्था दे देंगे ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

पूरे सदन की राय है इस पर आप चर्चा करा दें यह कितना महत्वपूर्ण विषय है कृपापूर्वक इस पर चर्चा करा लें । कांग्रेस के उप नेता भी हैं उनको पुलिस वालों ने भगोड़ा कह दिया यह बहुत शर्मनाक स्थिति है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको सारा अधिकार है इसमें आप चर्चा करा लें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए । जैसे एक घंटे बाद सुनेंगे वैसे एक घंटे पहले सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

मात्र चर्चा कराना उद्देश्य नहीं है निष्कर्ष निकलना चाहिए । मैं निष्कर्ष की बात कर रहा हूं निष्कर्ष एक-सवा घंटे के बाद आ जाएगा ।

श्री राम स्वरूप सिंह–

मान्यवर, सभी प्रस्ताव उपस्थित कर रहे हैं हमारे देश में एक आम आदमी को संविधान में मूल अधिकार है कि वह अपने विरोध में सरकार से अपील कर सकता है । सी० बी० आई०,

---

नोट :– [× × ×] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

सी० आई० डी०, जज, मुंसिफ से जांच की मांग कर सकता है, अदालत में जा सकता है, न्याय की मांग कर सकते हैं मैं भी कहना चाहता हूं आदरपूर्वक सबका ध्यान रखते हुए विधायक, उप नेता को आप संरक्षण देंगे और इसी समय अपनी बात कहने का अवसर देंगे ।

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण विषय है । यह इस सदन के सम्मानित सदस्य का मामला है और आपके द्वारा सदस्य को न्याय नहीं मिलेगा तो क्या होगा ? मेरा अनुरोध है कि समस्त कार्यों को रोककर इसमें चर्चा करायी जाय ।

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, अभी इन पर कुछ दिन पूर्व जानलेवा हमला हुआ था, अब यह सरकार उन्हें भगोड़ा साबित करके किसी भी समय उस पर गोली चला सकती है । मान्यवर, यह स्पष्ट है कि पांच अंगरक्षकों ने, जो उनके साथ तैनात थे, कहा कि मौजूद नहीं थे । आप संरक्षक हैं आप व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष–

मेरा अनुरोध है कि प्रश्नकाल चलने दें । उसके बाद ले लेंगे । मैं इसमें व्यवस्था तब दे दूंगा ।

(मद संख्या–1 का अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर)

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, जो दलों के सम्मानित नेता हैं सबकी एक ही राय है, कोई विमति नहीं है । यह एक गम्भीर प्रश्न विधायक से सम्बन्धित उप नेता से सम्बन्धित मामला है । हम नहीं चाहते हैं कि यह मामला खत्म कर दिया जाय इस समय.....

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 12.20 बजे तक स्थगित करता हूं ।

(इस समय 11 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।)

नोट :–उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अनुसार सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

प्रश्नोत्तर

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में निरन्तर नीचे गिरते हुए भू-गर्भ जल स्तर को देखते हुए वर्षा ऋतु के पानी के संचय हेतु कार्य योजना

श्री अजीम भाई, श्री जगदम्बिका पाल, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री आनन्द सेन, श्री संजय गर्ग, श्री राजेन्द्र सिंह राणा, श्री राम विशुन आजाद, श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी तथा कुं० रेवती रमण सिंह–

*1––क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में भू-गर्भ जल स्तर निरन्तर नीचे गिरता जा रहा है ? यदि हां, तो भू-गर्भ जल का स्तर ऊपर लाने हेतु क्या सरकार वर्षा ऋतु के पानी के संचय हेतु कोई कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

विगत 10 वर्षों में भूजल स्तर के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश के 806 विकास खण्डों में से 550 विकास खण्डों में भूजल स्तर में गिरावट परिलक्षित हुई है।

जी हां।

भूगर्भ जल का स्तर ऊपर लाने हेतु :—

(1) **लघु सिंचाई विभाग** के माध्यम से 11वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत [illegible] के संचयन की योजना प्रदेश में चलाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत विद्यमान तालाबों/पोखरों के जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। निःसन्देह यह योजना वर्षा ऋतु के पानी के संचय तथा भूगर्भ जल स्तर के बढ़ाने में लाभदायक होगी। इस योजना में वर्ष 2000-01 से 2003-04 तक (कुल चार वर्षों हेतु) 860 तालाबों/पोखरों का जीर्णोद्धार किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना का वित्त पोषण 80% केन्द्र सरकार द्वारा तथा 20% ग्राम पंचायतों द्वारा किये जाने की व्यवस्था है। योजनान्तर्गत प्रदेश के 09 मैदानी जनपदों के 18 समस्याग्रस्त विकास खण्डों तथा बुन्देलखण्ड के 05 जनपदों के 23 विकास खण्ड चिन्हित किये गये हैं जिनका क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। अभी तक 144 तालाबों का कार्य विभिन्न स्तरों पर प्रारम्भ किया जा चुका है।

(2) **ग्राम्य विकास विभाग** द्वारा प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना–ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों को शासन द्वारा स्वीकृत की जाने वाली धनराशि में से 25 प्रतिशत की धनराशि भूगर्भ जल रिचार्ज एवं वर्षा जल संचयन के लिए है, जिसकी कार्य योजना जिला स्तर पर तैयार कर कार्यान्वित की जा रही है।

(3) **भूगर्भ जल विभाग** द्वारा "रेन वाटर हार्वेस्टिंग" हेतु सरल एवं सस्ती तकनीक को अपनाये जाने हेतु तकनीकी गाइडलाइन्स तैयार की गयी है। शहरी क्षेत्रों में भूजल रिचार्जिंग हेतु "रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की योजना" तैयार करने के लिए तकनीकी गाइड लाइन्स तैयार कर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को प्रेषित किया गया है।

(4) **आवास विभाग** द्वारा मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन के स्तर से "रेन वाटर हार्वेस्टिंग" प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों को नोडल एजेन्सी के रूप में कार्यवाही करने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि क्रय करने सम्बन्धी नीति

*1—डा० कौशल किशोर–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम को संशोधित करके अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की कृषि/आवासीय भूमि को अन्य जातियों के व्यक्तियों द्वारा क्रय किये जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रतिबन्ध के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार कोई नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री रवि गौतम)–

उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–157 क में पूर्व से ही व्यवस्थानुसार अनुसूचित जाति का, कृषक भूमि का भूमिधर कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति के बिना

अनुसूचित जाति के सदस्य के अलावा अन्य व्यक्ति को किसी भूमि का विक्रय द्वारा अन्तरण करने का अधिकार नहीं रखेगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कोई स्वीकृति कलेक्टर द्वारा उसी दशा में दी जाएगी जहां इस धारा के अधीन संक्रमणकर्ता द्वारा प्रदेश में कुल धारित भूमि 1.26 हैक्टेयर से भूमि अधिक हो अथवा उक्त तिथि को संक्रमण की अनुमति देने एवं विक्रय के पश्चात् उसके पास 1.26 हेक्टेयर से कम भूमि न बचती हो ।

इसके अतिरिक्त आवंटीय भूमि के आवंटन के संबंध में उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली 1952 के नियम 115आर (1) के अनुसार यदि कोई भूमि या स्थल नियम 115 एल से 115 क्यू के अनुसार आवंटित किया जाय और उस पर भवन बनाया जाय तो उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए आवंटी को, आवंटन के दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी भूमि, स्थल या मकान का अंतरण करने का अधिकार न होगा परन्तु यह प्रतिबन्ध मृतक आवंटियों के उत्तराधिकारियों पर लागू नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किसानों को सस्ते दामों पर खाद उपलब्ध कराये जाने की नीति

*2–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या सरकार किसानों को सस्ते दामों पर खाद उपलब्ध कराये जान हेतु कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

कृषकों को सस्ते दर पर उर्वरक उपलब्ध कराये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा मूल्य सहायता योजना लागू की गयी है । उक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के स्तर पर इस प्रकार की कोई अलग से नीति विचाराधीन नहीं है ।

*3–श्री जगदम्बिका पाल–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में बंजर भूमि के क्षेत्रफल तथा उसको उपजाऊ भूमि बनाये जाने के संबंध में योजना

*4–श्री अजीम भाई–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में बंजर भूमि का क्षेत्रफल क्या है ? बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाये जाने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ? जनपद फिरोजाबाद में इस सम्बन्ध में क्या कोई योजनाएं चलायी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में मूक, बधिर, नेत्रहीन तथा विकलांग बेरोजगारों के कल्याण सम्बन्धी नीति

*5–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में मूक, बधिर, नेत्रहीन तथा विकलांग बेरोजगारों के कल्याण हेतु कोई नीति बनाई गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

मूक, बधिर, नेत्रहीन तथा विकलांग बेरोजगारों हेतु कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 20 सितम्बर, 1997 द्वारा 03 प्रतिशत का आरक्षण लोक सेवाओं में प्रदान किया गया है । इसके अतिरिक्त विकलांगों के स्वरोजगार हेतु दुकान निर्माण योजना के अन्तर्गत रु० 20,000/- की धनराशि उपलब्ध करायी जाती है, जिसमें रु० 15,000/- 04 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण तथा रु० 5,000/- का अनुदान होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के महानगरों, शहरों, कस्बों में भू-गर्भ जल प्रदूषण को रोके जाने की योजना की जानकारी

*6–श्री राम विशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के महानगरों, शहरों, कस्बों में फैक्टरी और कारखानों से निकले प्रदूषित जल को बोरिंग द्वारा पृथ्वी के नीचे एकत्रित किया जा रहा है, जिससे भू-गर्भ जल प्रदूषण का खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो जल प्रदूषण रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

सुश्री मायावती–

फैक्ट्री एवं कारखानों से निकले प्रदूषित जल को बोरिंग द्वारा पृथ्वी के नीचे एकत्रित किये जाने के सम्बन्ध में कोई जानकारी सरकार के संज्ञान में नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गांवों के विकास हेतु स्कूल, चिकित्सालय, क्रीड़ास्थल आदि के लिए भूमि आरक्षित करने की नीति बनाये जाने की जानकारी

*7–श्री संजय गर्ग–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांवों के विकास हेतु स्कूल, चिकित्सालय, क्रीड़ास्थल आदि के लिए भूमि आरक्षित की जाती है ? यदि हां, तो क्या शासन ने इस बारे में कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जी हां ।

जी हां, जोत चकबन्दी अधिनियम/नियमावली/जोत चकबन्दी मैनुअल में इस प्रकार के प्राविधान हैं ।

उ० प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा–8(क) तथा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली, 1954 के नियम 24 क (2) के अन्तर्गत गांवों के विकास हेतु भूमि छोड़े जाने का प्राविधान है । इसके अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 1-6-2001 एवं दिनांक 7-7-2001 द्वारा भी सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भूमि छोड़े जाने की व्यवस्था की गयी है । शासनादेश दिनांक 31-3-2001 के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति, भूमिहीन, निर्बल वर्ग व सामान्य आबादी के आवास हेतु भूमि आरक्षित करने हेतु निर्देश हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में कृषकों को सिंचाई हेतु अनुदान देकर संयंत्रों की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

*8–श्री यशपाल चौधरी–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि भू-गर्भ जल का परम्परागत सिंचाई विधि से दोहन से जल स्तर गिरता जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ड्रिप इरीगेशन तथा स्प्रिंकलर इरीगेशन विधि द्वारा सिंचाई करने को प्रोत्साहन हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी तथा इस ड्रिप इरीगेशन तथा स्प्रिंकलर इरीगेशन द्वारा सिंचाई विधि का व्यापक प्रचार/प्रसार करने हेतु किसानों को अनुदान देकर सस्ती दर पर यह सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां।

केन्द्र पुरोनिधानित विभिन्न योजनाओं में ड्रिप इरीगेशन विधि से सिंचाई की व्यवस्था हेतु उद्यान विभाग की एवं स्प्रिंकलर इरीगेशन विधि से सिंचाई हेतु कृषि विभाग की कार्य-योजनाएं पूर्व से ही उपलब्ध है, जिनमें प्रोत्साहन स्वरूप भारत सरकार की गाईडलाइन्स के अनुसार कृषकों द्वारा सिंचाई हेतु क्रय किये जाने वाले उक्त संयंत्रों पर अनुदान की सुविधा भी उपलब्ध है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बरेली के मोहल्ला–ब्राह्मपुरा, हजियापुर स्थित 28 हजार गज जमीन को कतिपय माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने की मांग

1–श्री शहजिल इस्लाम–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के मोहल्ला–ब्राह्मपुरा, हजियापुर स्थित 28 हजार गज जमीन के मालिक हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गये थे ? क्या उक्त जमीन कस्टोडियन विभाग के कब्जे में थी जिसके मुकदमें मण्डल आयुक्त के न्यायालय में विचाराधीन हैं ? क्या यह सही है कि बरेली शहर के कतिपय भूमि माफियाओं ने उक्त जमीन पर कब्जा करके बेचना शुरू कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पत्ति को भूमि माफियाओं के कब्जे से मुक्त करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जिलाधिकारी, बरेली से प्राप्त आख्यानुसार उक्त प्रश्न सम्भवतः भूखण्ड सं०–223/0.620 हे०, 224/0.999 हे० व 226/0.569 हे० स्थित ग्राम ब्रह्मपुरा, तहसील व जिला बरेली से सम्बन्धित है। इन भू-खण्डों के काश्तकार श्री फसाहतउल्ला खां थे जो हिन्दुस्तान–पाकिस्तान के बंटवारे के समय पाकिस्तान नहीं गये थे।

उक्त जमीन कस्टोडियन विभाग के कब्जे में नहीं थी।

उक्त भू-खण्डों के बाबत हस्ब दफा 229 बी जमींदारी विनाश अधिनियम वाद सं०–24/98 में न्यायालय अपर परगनाधिकारी, बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-12-99 से श्री अतहर हुसैन बाकब्जा भूमिधर घोषित किये गये। इसी आदेश के विरुद्ध अपील संख्या–23/2000 अन्तर्गत धारा 331 जमींदारी विनाश अधिनियम शमीम बेगम आदि बनाम अतहर हुसैन आदि, अपर आयुक्त न्यायिक, बरेली मण्डल, बरेली के न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री शिवकुमार जायसवाल पुत्र श्री केदारनाथ जायसवाल निवासी–179/23 सिविल लाइन, बरेली, बहैसियत मुख्तारे–आम अतहर हुसैन भूमि की प्लाटिंग करके बेच रहे हैं।

उपरोक्तानुसार विचाराधीन अपील संख्या–23/2000 अन्तर्गत धारा–331 जमींदारी विनाश अधिनियम, शमीम बेगम आदि बनाम अतहर हुसैन आदि में अपर आयुक्त न्यायिक, बरेली मण्डल, बरेली द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद मुरादाबाद में कुन्दरकी–पाकवड़ा मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

2–श्री मो० रिजवान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मुरादाबाद में कुन्दरकी-पाकवड़ा मार्ग जिसकी लम्बाई 20 कि०मी० क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्रीमती अनुराधा चौधरी)–

जी नहीं । प्रश्नगत मार्ग के अधिकांश भाग की दाग मरम्मत का कार्य वर्ष 2001-2002 में कराया जा चुका है । मार्ग का कुछ भाग क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद शाहजहांपुर में ग्राम–ककराला से ग्राम–इमलिया खुर्द तक स्वीकृत सम्पर्क मार्ग

3–श्री शरदवीर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–शाहजहांपुर में वर्ष 1998-99 में ग्राम-ककराला से ग्राम-इमलिया खुर्द तक स्वीकृत सम्पर्क मार्ग पर शून्य से लेपन तक के कार्य में केवल पत्थर डालकर कार्य अधूरा छोड़ दिया गया ? यदि हां, तो उक्त मार्ग के निर्माण कार्य को कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद–शाहजहांपुर के ग्राम खजुरी सम्पर्क मार्ग से ग्राम दसिया तक के सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु आवंटित धनराशि एवं निर्माण कार्य पूर्ण

4–श्री शरदवीर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-99 में जनपद–शाहजहांपुर के ग्राम–खजुरी सम्पर्क मार्ग से ग्राम दसिया तक के सम्पर्क मार्ग को शासन द्वारा शून्य से लेपन तक के निर्माण कार्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई थी ? उक्त निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

रु० 4.97 लाख की धनराशि आवंटित की गई थी ।

मार्च, 2003 तक मार्ग का निर्माण पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम–भरतपुर से ग्राम–पैलानी सम्पर्क मार्ग पर आवंटित धनराशि का व्यय एवं प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

5–श्री शरदवीर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा वर्ष 1999-2000 में जनपद–शाहजहांपुर के ग्राम–भरतपुर से ग्राम–पैलानी सम्पर्क मार्ग पर शून्य से लेपन स्तर तक के कार्य हेतु रु० 14.00 लाख अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या आवंटित धनराशि का उपयोग कर

लिया गया ? यदि नहीं, तो उक्त धनराशि का उपयोग किन कार्यों में किया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उसी सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र दि० 28-7-2001 पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

जी हां, परन्तु प्राप्त अनुदान रु० 14.00 लाख में से रु० 1.26 लाख की धनराशि उक्त कार्य पर तथा रु० 12.74 लाख की धनराशि अन्य मदों में तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा व्यय कर ली गई थी ।

रु० 12.74 लाख की धनराशि निम्न कार्यों पर व्यय की गयी है :—

1–नाबार्ड–4 के अन्तर्गत बिलग्राम सांडी अल्लाहगंज मार्ग से मिझोल सम्पर्क मार्ग — रु० 2.13 लाख

2–अनुरक्षण मद के अन्तर्गत राज्य मार्ग संख्या–29 का रखरखाव — रु० 10.61 लाख

जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ 39वां वृत्त लोक निर्माण विभाग के अधीनस्थ सेवानिवृत्त हुए श्री जमुना प्रसाद आदि के रिक्त पदों पर अस्थाई लिफ्ट आपरेटरों का स्थाईकरण किये जाने की मांग

6–श्री राम विशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि 39वां वृत्त लोक निर्माण विभाग लखनऊ के अधीनस्थ सेवा निवृत्त हुए श्री जमुना प्रसाद, श्री राजाराम, श्री पाल, श्री राम, श्री मंशा राम स्थाई लिफ्ट आपरेटर के रिक्त स्थान पर वही पर नियुक्त अस्थाई लिफ्ट आपरेटरों का स्थाईकरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न में उल्लिखित सेवा निवृत्त पांचों कर्मी तीन पृथक-पृथक खण्डों से सेवानिवृत्त हुए हैं । उक्त कर्मियों के सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त होने वाले स्थानों पर स्थाईकरण के संबंध में प्रकरण का सम्यक परीक्षण कर अग्रेतर कार्यवाही कराई जायेगी ।

जनपद एटा में पटियाली तहसील भवन का निर्माण कराये जाने की मांग

7–श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में तहसील पटियाली का वर्ष 1984 में सृजन हुआ था ? क्या यह भी सही है कि तहसील भवन हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त भवन का निर्माण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जी हां ।

जी हां ।

तहसील भवन का निर्माण अभी नहीं कराया जा सका है । वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण इस निमित्त धन की बजट व्यवस्था अभी नहीं हो सकी है ।

प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ० प्र० शासन को प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

8—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 26-3-2002 जो अमारा, बरेहटा सम्पर्क मार्ग में निर्माण कार्यों में हुई धांधली की जांच टी०ए०सी० से कराये जाने विषयक है, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां !

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, झांसी को जांच के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

9–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद बांदा के पलरा-नरी आदि सम्पर्क मार्गों को नाबार्ड योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में डामरीकरण कराये जाने की योजना

10–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के पलरा-नरी सम्पर्क मार्ग व तिन्दवारी बगिया सम्पर्क मार्ग का अधूरा कार्य व जसपुरा–झझरीपुरवा सम्पर्क मार्ग, कपसा-मरौली सम्पर्क मार्ग, नारायण–कानाखेड़ा सम्पर्क मार्ग, पिपरोदर सम्पर्क मार्ग, अमारा–बरेहटा सम्पर्क मार्ग, दरदा सम्पर्क मार्ग, साड़ी सम्पर्क मार्ग, को नाबार्ड योजना में डामरीकरण कराये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में कोई योजना बनाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

पलरा–नरी सम्पर्क मार्ग का कार्य पूर्ण है । तिन्दवारी पक्के मार्ग पर है और बगिया राजस्व ग्राम नहीं है ।

जसपुरा–झंझरी पुरवा गांव, पक्के मार्ग से जुड़े हैं ।

कपसा मरौल सम्पर्क मार्ग तथा नारायण कानाखेड़ा सम्पर्क मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है ।

पिपरोदर सम्पर्क मार्ग लेपित सतह तक पूर्ण है । अमारा–बरेहटा सम्पर्क मार्ग नाबार्ड–8 योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है ।

दरदा सम्पर्क मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है ।

साडी सम्पर्क मार्ग की सम्प्रति कोई योजना नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद आजमगढ़–फैजाबाद राजकीय मार्ग संख्या–30 की मरम्मत के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को विधायक श्री बलराम यादव के प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

11–श्री बलराम यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़–फैजाबाद, राजकीय मार्ग संख्या–30 का आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत आने वाला लगभग 50 कि०मी० हिस्सा जो 03 वर्ष से अधिक समय से क्षतिग्रस्त है, की मरम्मत/जीर्णोद्धार कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–क–3-068009, दिनांक 18 जून, 2002 जो प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को संबोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

उपलब्ध संसाधनों के अनुसार मरम्मत का कार्य कराया गया एवं क्षतियों के आंकलन के अनुसार शेष मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद हरदोई में ग्राम–दहलिया, ब्लाक हरपाल के कुण्डा नदी पर पेंटून पुल का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

12—श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दहलिया ब्लाक हरपाल, जनपद हरदोई में कुण्डा नदी पर पेंटून पुल का निर्माण कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं ।

प्रश्नगत सेतु निर्माण के औचित्य व प्रदेश सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत स्वीकृति प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है ।

लोक निर्माण सचिव शाखा की प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ के कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड एवं प्रोन्नति वेतनमान के आदेश निर्गत करने की जानकारी

13—श्री राधेश्याम–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या : वे०आ०–2-560/दस–45 (एम)/99, दिनांक 02-12-2000 के अनुसार प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, लोक निर्माण सचिव शाखा के जो कर्मचारी 08 एवं 19 वर्षीय सेवा पर सेलेक्शन ग्रेड तथा 14 या 24 वर्षीय सेवा पर प्रोन्नति वेतनमान के पात्र हो चुके है, को सेलेक्शन ग्रेड एवं प्रोन्नति वेतनमान के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो उक्त आदेश कब तक निर्गत कर दिया जायेगा ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–वे०आ०–2-560/दस-45(एम)99, दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 के अनुसार प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, लोक निर्माण सचिव शाखा के 04 कर्मचारी 08 वर्षीय, 03 कर्मचारी 19 वर्षीय सेलेक्शन ग्रेड तथा 01 कर्मचारी 14 वर्षीय तथा 04 कर्मचारी 24 वर्षीय प्रोन्नति वेतनमान के पात्र हो चुके हैं । इसमें से 03 कर्मचारियों को 8 वर्षीय, 03 कर्मचारियों को 19 वर्षीय सेलेक्शन ग्रेड तथा 03 कर्मचारियों को 24 वर्षीय प्रोन्नति वेतनमान

स्वीकृत किया जा चुका है । शेष कर्मचारियों के आदेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है ।

जनपद बांदा में पियासी डेरा से महवरा सम्पर्क मार्ग के निर्माण में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

14—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 26-3-2002 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण जो जनपद बांदा में पियासी डेरा से महवरा सम्पर्क मार्ग के निर्माण में की गई अनियमितता सम्बन्धी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, झांसी को जांच के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के ब्लाक बेबर मोटा मार्ग पर मानिकपुर से ग्रा० कल्यानपुर तक मार्ग निर्माण के प्रस्ताव सम्बन्धी अधीक्षण अभियन्ता लो० नि० आगरा/मैनपुरी के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

15—श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के ब्लाक बेबर मोटा मार्ग पर मानिकपुर से ग्रा० कल्यानपुर तक मार्ग निर्माण का प्रस्ताव जो अधीक्षण अभियन्ता लो० नि० आगरा/मैनपुरी ने अपने पत्र संख्या–485/25 एस०टी०/एम०/99 दिनांक 15-10-99 द्वारा मुख्य अभियन्ता, आगरा को प्रेषित किया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग जिसकी लागत रु० 15.56 लाख है, की स्वीकृति दिनांक 30-03-2001 को निर्गत कर दी गयी है ।

जनपद लखीमपुर के कस्बा ब्लाक बेहजम के मुख्य चौराहे से कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने की मांग

16—डा० कौशल किशोर–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखीमपुर के कस्बा ब्लाक बेहजम के मुख्य चौराहे से पूरब ओयल पश्चिम नीमगांव दक्षिण मितौली जाने वाली व उत्तर लखीमपुर जाने वाले चारों मार्ग टूटकर ध्वस्त हो गये हैं ? क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में स्थित ग्राम कांकराबाद में हरिजन भूमिहीनों को पट्टा दिये जाने की जानकारी

17—श्री जियाउद्दीन रिजवी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तह० व जिला लखनऊ में स्थित ग्राम कांकराबाद में भूमि संख्या 19 ख, 20, 564 क–566 से 570 व 711 ग्राम समाज में अंकित है ? यदि नहीं तो अभिलेखों में किसका नाम अंकित है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त ग्राम में कितने हरिजन/भूमिहीनों को वर्ष 2000–2001 में पट्टे दिये गये ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जी हां ।

उपरोक्तानुसार ।

वर्ष 1998 में 38 पात्र व्यक्तियों को कृषि भूमि आवंटन किया जा चुका है । वर्ष 2000-2001 में किसी भी अनुसूचित जाति भूमिहीन को पट्टा नहीं दिया गया है ।

जनपद जौनपुर के लुम्बनी दुद्धी मार्ग पर "मड़ियाहूं बाई पास" का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की जानकारी

18—श्री पारसाथ यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद–जौनपुर के लुम्बनी दुद्दी मार्ग पर मड़ियाहूँ कस्बे में सड़क सकरी होने के कारण आये दिन यातायात अवरुद्ध हो जाता है जिसके निराकरण के लिए वर्ष 1995 में "मड़ियाहूँ वाई पास" का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था ? यदि हां, तो क्या वाई पास का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया ? यदि नहीं तो क्यों ? उक्त वाई पास का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है तथा 6/2003 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

जनपद जौनपुर के मड़ियाहूं विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क के चौड़ीकरण के लिए आवंटित धनराशि का विवरण

19–श्री पारसनाथ यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लुम्बनी दुद्धी राज्य मार्ग सं०–5 का चौड़ीकरण, सड़क निधि से वर्तमान में कराया जा रहा है ? जनपद जौनपुर के मड़ियाहूँ विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क जिसकी लम्बाई 12.355 कि०मी० है, के चौड़ीकरण हेतु धन शासन द्वारा प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग को दिया जा चुका है ? क्या कार्य पूर्ण हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या आवंटित धनराशि स्वीकृत योजना पर खर्च की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

जी.हां ।

जी नहीं ।

आंशिक धनराशि अनुरक्षण कार्यों पर व्यय होने एवं सामग्री की दरों में वृद्धि के कारण कार्य पूरा नहीं हो सका ।

आंशिक धनराशि अनुरक्षण कार्यों पर व्यय की गयी है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद जौनपुर में शहर के मध्य आवागमन हेतु गोमती नदी पर सेतु निर्माण का कार्य

20–श्री पारसनाथ यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के मध्य बहने वाली गोमती नदी पर शहर के मध्य आवागमन हेतु एक सेतु के निर्माण की घोषणा वर्ष 1997 में तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सेतु निर्माण का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

दिनांक 16-1-1999 को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने जौनपुर में एक जनसभा में शाही पुल के समानान्तर एक नये सेतु निर्माण की घोषणा की थी ।

जी नहीं ।

जौनपुर में वर्तमान शाही पुल के समानान्तर एक नये सेतु निर्माण हेतु दिनांक 12 मार्च, 1999 व 30-4-1999 को तकनीकी अधिकारियों की एक टीम द्वारा प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया गया । निरीक्षणोपरान्त पाया गया कि सेतु के पहुंच मार्गों के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण मानकों के अनुरूप मार्गों का निर्माण नहीं हो सकेगा तथा मार्गों में तीव्र घुमाव देने पड़ेंगे । इसके अतिरिक्त सबमर्सिबल सेतु पर मार्ग का तल 76.0 मी० रखा जायेगा जबकि गोमती नदी का अधिकतम जल स्तर 78.4 मीटर है, जिसके कारण बाढ़ के समय प्रस्तावित सेतु डूब जायेगा ।

अतः उक्त तकनीकी कठिनाइयों एवं सर्वऋतु योग्य सभी प्रकार के यातायात के लिए उपयोगी न होने के कारण सेतु के निर्माण कार्य का औचित्य नहीं पाया गया ।

जनपद मैनपुरी के हन्नू खेड़ा से लहरा वाया मरहरी न० हिम्मत मार्ग का निर्माण कार्य

21—श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1999–2000 में जनपद मैनपुरी के हन्नू खेड़ा से लहरा वाया मरहरी न० हिम्मत मार्ग तक 2 कि०मी० लेपन स्तर तक कार्य स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ? उक्त सड़क का निर्माण कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

जी नहीं ।

जिला योजना के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध न होने के कारण लेपन कार्य नहीं कराया जा सका ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद मैनपुरी से करहल तक क्षतिग्रस्त मार्ग का वित्तीय वर्ष 2002-2003 में निर्माण कार्य

22—श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी से करहल मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है ? क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2002–2003 में कराने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं, मार्ग का आंशिक भाग क्षतिग्रस्त है ।

जी नहीं ।

पूरे मार्ग के नव निर्माण हेतु रुपये 1208.00 लाख की आवश्यकता होगी जो प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सम्भव नहीं है ।

लोक निर्माण विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को स्थाई किये जाने की मांग

23—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को स्थायी करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को सीधे स्थाई करने की नीति नहीं है ।

जनपद हरदोई के ब्लाक सांडी के सगेचमऊ में लगी आग से प्रभावित परिवारों को तहसील बिलग्राम द्वारा दी गयी सहायता राशि

24–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के ब्लाक सांडी के सगेचमऊ में दि० 19–4–2002 में लगी आग से कितने घर राख हो गये ? क्या प्रभावित परिवारों को तहसील बिलग्राम द्वारा सहायता धनराशि दी गई ? यदि हां, तो किस मानक अनुसार तथा कब ? क्या यह सही है कि सहायता धनराशि का भुगतान विलम्ब से किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जनपद हरदोई के ब्लाक साण्डी के ग्राम सगेचमऊ में दिनांक 19-4-2002 को आग लगने से 191 परिवार प्रभावित हुए ।

जी हां ।

जांचोपरान्त राहत हेतु पात्र पाये गये 155 परिवारों को अहैतुक सहायता मद में कुल रु० 1,18,000/- तथा 158 परिवारों को गृह अनुदान मद में कुल रु० 1,76,000/- की अनुमन्य सहायता स्वीकृत की गयी है । 25 व्यक्तियों के गैर-आवासीय मकान जले एवं 08 अन्य व्यक्ति अर्थात् कुल 33 व्यक्ति अपात्र पाये गये । अतः उनको राहत सहायता नहीं दी गयी ।

उक्त सहायता राशि भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार निर्गत शासनादेश संख्या–जी०आई०–63/1-11-2001-रा०–11, दिनांक 20-11-2001 में इंगित मानक के अनुसार दी गई तथा दिनांक 27-4-2002 को सम्बन्धित प्रभावितों को चेक वितरित किये गये ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद संत कबीर नगर (खलीलाबाद) में मुखलिसपुर टैक्सी स्टैण्ड से घनघटा तक क्षतिग्रस्त मार्ग का पुनर्निर्माण

25—श्री शंख लाल माझी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद संत कबीर नगर (खलीलाबाद) में स्थित मुखलिसपुर टैक्सी स्टैण्ड से घनघटा तक का मार्ग बरसात व बाढ़ के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं । आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होती रहती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के डार्क एरिया की श्रेणी में आने वाले जनपदों के विद्युत कनेक्शन बंद करने से उत्पन्न समस्या के निराकरण की जानकारी

26-श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि भू-गर्भ जल सर्वेक्षण के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के कितने जनपद डार्क एरिया की श्रेणी में हैं ? क्या सरकार द्वारा डार्क एरिया जनपदों में निःशुल्क बोरिंग और नलकूपों को विद्युत कनेक्शन दिये जाने बंद कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या के निराकरण हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

भारत सरकार द्वारा गठित भूजल आंकलन समिति–1997 के नवीन दिशा-निर्देशों व मापदण्डों के अनुसार किये गये भूजल उपलब्धता आंकलन के आधार पर "नाबार्ड" द्वारा प्रदेश के 13 जनपदों के कुल 22 विकास खण्ड ओवर एक्सप्लायटेड/क्रिटिकल श्रेणी (पुराने वर्गीकरण के अनुसार इन्हें "डार्क" श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता था) में वर्गीकृत किये गये हैं ।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा वर्तमान में डार्क एरिया में निजी नलकूपों को विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है ।

वर्तमान में डार्क एरिया में निजी नलकूपों को विद्युत कनेक्शन दिये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है, किन्तु सरकार द्वारा "डार्क एरिया" की समस्या के निराकरण हेतु भूगर्भ जल स्तर को ऊपर लाने का प्रयास जिन विभागों द्वारा किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नवत् है :—

(1) लघु सिंचाई विभाग द्वारा 11वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में जल स्रोतों के संवर्धन की योजना प्रदेश में चलाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत विद्यमान तालाबों/पोखरों के जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है । निःसन्देह यह योजना वर्षा ऋतु के पानी के संचय तथा भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाने में लाभदायक होगी । इस योजना में वर्ष 2000-01 से 2003-04 तक (कुल चार वर्षों हेतु) 868 तालाबों/पोखरों का जीर्णोद्धार किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना का वित्त पोषण 80% केन्द्र सरकार द्वारा तथा 20% ग्राम पंचायतों द्वारा किये जाने की व्यवस्था है । योजनान्तर्गत प्रदेश के 09 मैदानी जनपदों के 18 समस्याग्रस्त विकास खण्डों तथा बुन्देलखण्ड के 5 जनपदों के 23 विकास खण्ड चिन्हित

किये गये हैं, जिनका क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है । अभी तक 144 तालाबों का कार्य विभिन्न स्तरों पर प्रारम्भ किया जा चुका है ।

(2) **ग्राम्य विकास विभाग द्वारा** प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना–ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों को शासन द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि में से 25 प्रतिशत की धनराशि भूगर्भ-जल रिचार्ज एवं वर्षा जल संचयन के लिए है, जिसकी कार्य योजना जिला स्तर पर तैयार कर कार्यान्वित की जा रही है ।

(3) **भूगर्भ जल विभाग** द्वारा "रेन वाटर हार्वेस्टिंग" हेतु सरल एवं सस्ती तकनीक को अपनाये जाने हेतु तकनीकी गाइडलाइन्स तैयार की गयी है । शहरी क्षेत्रों में भूजल रिचार्जिंग हेतु "रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की योजना" तैयार करने के लिए तकनीकी गाइड लाइन्स तैयार कर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को प्रेषित किया गया है ।

(4) **आवास विभाग** द्वारा मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन के स्तर से "रेन वाटर हार्वेस्टिंग" प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों को नोडल एजेन्सी के रूप में कार्यवाही करने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं ।

उपरोक्त प्रयासों के अलावा भूजल आंकलन समिति–1997 द्वारा दिये गये नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार "ओवर एक्सप्लायटेड/क्रिटिकल" श्रेणी विकास खण्डों में सूक्ष्म भूजल सर्वेक्षण सम्पादित कर भूजल उपलब्धता का पुर्नआंकलन कर रिपोर्ट "नाबार्ड" को प्रेषित करने का प्राविधान किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के कतिपय ग्रामों की अधूरी सड़कों पर लेपन कार्य

27–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994–95 में बरौलिया से नोनखारा, ग्योढ़ा से भदार, नया गांव से बम्हरापुर चिहौर, लमकन से महितापुर, पलिया से टिकार, खरगपुर से तिथिगांव, खरगपुर से बड़ा गांव, खरगपुर से राजा साहब, खद्दीपुर तक डामर सड़कें स्टेट सेक्टर से लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत की गई थीं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधूरी सड़कों पर लेपन कार्य कराकर उन्हें पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

बरौलिया से नोनखारा मार्ग जिला योजना 5054 सामान्य में एवं शेष मार्ग राज्य योजना में स्वीकृत हैं ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के तहसील सिकन्दरपुर अन्तर्गत ग्राम सिसोटार में अधूरा चकबन्दी कार्य पूर्ण कराने की मांग

28–श्री जियाउद्दीन रिजवी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद के तहसील सिकन्दरपुर अन्तर्गत ग्राम सिसोटार में लम्बे समय से चकबन्दी का कार्य अधूरा पड़ा है जिससे किसान परेशान हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में अधूरा चकबन्दी कार्य पूर्ण कराने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

चकबन्दी कार्य प्रगति पर है ।

चकबन्दी कार्य पूर्ण कराने की कार्य योजना जनपद स्तर पर तैयार कर ली गयी है जिसके अनुसार युद्ध स्तर पर कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के लिंक मार्ग ग्राम कछवन्ध (पूर्व) के वर्ष 1982 में स्वीकृत मार्ग का कार्य पूर्ण न कराने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

29–श्री शैलेन्द्र यादव ''ललई''–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खुज्झी मोड़ (डोभी) से महुधा गाजीपुर मार्ग, जनपद जौनपुर के लिंक मार्ग ग्राम कछवन्ध (पूर्व) का निर्माण कार्य लेपन स्तर तक कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? वर्ष 1982 में स्वीकृत मार्ग का निर्माण कार्य (लेपन स्तर तक) अब तक न कराने के लिए कौन–2 अधिकारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में यह मार्ग लेपन स्तर तक पूर्ण है कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ ग्राम खन्डौरा, तहसील फूलपुर में ग्राम समाज की जमीन वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु दिये जाने सम्बन्धी जानकारी

30–श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम खन्डौरा, तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़ में ग्राम समाज की कुल कितनी हैक्टेयर जमीन है ? उक्त जमीन में से कितनी हैक्टेयर जमीन वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु दी गयी है ?

श्री रवि गौतम–

ग्राम खण्डौरा, तह० फूलपुर, जिला आजमगढ़ में ग्राम समाज की कुल 66.311 हेक्टेयर भूमि है। उक्त जमीन में से कोई भूमि वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु नहीं दी गयी है। ग्राम प्रधान की सहमति से वन विभाग द्वारा गाटा सं०–726/2.200, 679 मि०/2.400, 160/मि०/1.000 तथा 443 मि०/2000 हेक्टेयर योग 4 गाटा/5.800 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया गया।

जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत गोला गोकरननाथ बाई पास का अधूरा पड़ा निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की मांग

31–श्री अरविन्द गिरि–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत गोला गोकरन नाथ बाई पास का निर्माण कार्य लगभग 10 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था ? जो अधूरा पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत परसपुर–बयारा मार्ग के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराने की मांग

32–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों के सुधार/नवीनीकरण के लिए वर्ष 2002–2003 के लिए अधिशासी अभियन्ता (यातायात) ने पत्रांक सं० 1055/50 यात०–ब०सी० वृत/2002 दिनांक 20–03–2002 को जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत परसपुर–बयारा मार्ग लम्बाई 1.70 कि०मी० के नवीनीकरण का प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता को भेजा है ? यदि हां, तो क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां । किन्तु उक्त पत्र अधिशासी अभियन्ता (यातायात) द्वारा प्रेषित न होकर अधीक्षण अभियन्ता, बस्ती/सिद्धार्थनगर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, बस्ती द्वारा प्रेषित किया गया है ?

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने की जानकारी

33–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद मैनपुरी में वर्ष 2000–2001 में जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों को रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो उक्त निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में क्षतिग्रस्त लकड़ी के पुल

34–श्री राम विशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में कितने लकड़ी के पुल हैं ? क्या यह सही है कि समस्त पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जिससे दुर्घटनायें हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी लकड़ी के पुलों को पक्के पुल निर्मित कराने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में 8 लकड़ी के पुल हैं ।

जी नहीं ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

जनपद गोण्डा के कतिपय कस्बों में जल भराव के कारण क्षतिग्रस्त मार्ग पर आवागमन हेतु कटस्टोन लगवाये जाने की जानकारी

35–श्री राम विशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में मनकापुर, मसकनवा, बभनान मार्ग पर पड़ने वाले पीलखाना (मनकापुर बाजार) बल्लीपुर बाजार, मसकनवा बाजार, जो अधिक जल

भराव से काफी क्षतिग्रस्त हो गये हैं, पर आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क़स्बों में आवागमन हेतु कटस्टोन लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ करवा दिया जायेगा ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है ।

मनकापुर–मसकनवा–बभनान मार्ग का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण कार्य स्वीकृत है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर कार्य पूर्ण कराना सम्भव है ।

जनपद गोण्डा के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत हेतु आवंटित धनराशि

36–श्री राम विशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में मनकापुर-मसकनवा-बभनान मार्ग और मसकनवा-सिकन्दरपुर मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो उक्त मार्गों की मरम्मत हेतु वर्ष 1999 से 31 मार्च, 2002 तक कितने धन का आवंटन किया गया ? क्या आवंटित धनराशि से मानक के अनुसार कार्य करवाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है ।

मनकापुर मसकनवा बभनान मार्ग पर सामान्य अनुरक्षण के अन्तर्गत वर्ष 99 से 31-3-02 की अवधि में प्रतिवर्ष 3.30 लाख के अतिरिक्त उक्त मार्ग के किमी० 10 से 21 तक के भाग की मरम्मत हेतु दैवी आपदा मद के अन्तर्गत वर्ष 2001-02 में रु० 7.55 लाख का आवंटन किया गया ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्य मानक के अनुरूप कराया गया है । मनकापुर–मसकनवा–बभनान मार्ग के चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य आदेश दि० 20-12-01 द्वारा स्वीकृत है । वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर कार्य पूर्ण कराया जाना सम्भव है ।

मसकनवा सिकन्दरपुर मार्ग का पुनः निर्माण किसी योजना में स्वीकृत नहीं है ।

जनपद हरदोई की नई तहसील सवायजपुर का भवन निर्माण

37–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद की नई तहसील सवायजपुर भवन विहीन है ? यदि हां, तो उक्त तहसील भवन का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री रवि गौतम–

जी हां ।

भवन निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है । भूमि प्राप्त होने के बाद धन की व्यवस्था होने पर भवन निर्माण पर विचार हो सकेगा ।

जनपद हरदोई की पांचों तहसीलों का पुनः सर्वे कराकर सीमा निर्धारण कराने की मांग

38–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद की पांचों तहसीलों का पुनः सर्वे कराकर सीमा निर्धारण का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई की पांचों तहसीलों की सीमायें निर्धारित हैं, जिनमें कोई विवाद नहीं है ।

39–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद अम्बेडकरनगर के अन्तर्गत ग्राम कुठमा राजेपुर, तहसील जलालपुर, परगना सुरहुरपुर के निवासीगणों द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जे को हटवाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

40–श्री सीताराम निषाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत ग्राम–कुठमा राजेपुर, तहसील जलालपुर, परगना सुरहुरपुर के निवासीगणों द्वारा जिलाधिकारी एवं शासन को श्री राम उजागिर उपाध्याय पुत्र श्री राजा उपाध्याय द्वारा गाटा संख्या–526, 503,465,504,619,525 तथा 523 ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा करने के संबंध में जांच हेतु प्रार्थना पत्र दि० 20–9–1999 को प्रेषित किया गया था ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर जमीन पर अवैध कब्जों को हटवाने तथा उस व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करेंगे ?

श्री रवि गौतम–

जी हां ।

प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मा० न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही यथा आवश्यक कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा। यह निर्देश दे दिया गया है कि वाद का शीघ्र निस्तारण किया जाय ।

जनपद जौनपुर के बसूही नदी पर ग्राम तेजगढ़ में सेतु निगम द्वारा पुल निर्माण

41—श्री पारसनाथ यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के बसूही नदी पर ग्राम तेजगढ़ में सेतु निगम द्वारा पुल का निर्माण पूरा किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो उक्त सेतु कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद शाहजहांपुर में मण्डी परिषद् के निर्माण खण्ड में दोबारा ''ब'' श्रेणी के कराये गये टेण्डरों में उपनिदेशक द्वारा की गयी अनियमितता के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

42—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि मण्डी परिषद् के निर्माण खण्ड शाहजहाँपुर में दिनाँक 23–11–01 को "ब" श्रेणी के टेण्डरों को "अ" श्रेणी में उप निदेशक द्वारा कराया गया था ? क्या इस सम्बन्ध में पूर्व विधायक श्री चेतराम द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर उक्त टेण्डरों को उच्चाधिकारियों द्वारा निरस्त कराकर दोबारा "ब" श्रेणी में कराया गया ? यदि हाँ तो उप निदेशक द्वारा की गई इस अनियमितता के लिये उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रकरण की जांच करायी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद, तहसील बीकापुर के ग्रामों में कृषि योग्य भूमि के आवंटन में की गयी अनियमितताओं में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

43—श्री आनन्द सेन–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेगें कि तहसील बीकापुर, फैजाबाद में 1 जनवरी 2001 से माह जून 2002 तक किन किन ग्रामों में कृषि योग्य भूमि का आवंटन कुल कितने भूमिहीन पात्र व्यक्तियों को किया गया है ? क्या यह सत्य है कि उक्त भूमि के भूमिहीन दलितों, अति पिछडों एवं गरीबों को आवंटित किये जाने में अनियमितताएं की गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री रवि गौतम–

तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद के 13 ग्रामों में कुल 252 पात्र व्यक्तियों को 24.910 हे० भूमि कृषि कार्य हेतु आवंटित की गयी है ।

कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अग्निकाण्ड में खेत खलिहानों में फसलों के नष्ट होने पर कृषकों को राहत सहायता दिये जाने का प्राविधान

44—श्री राम विशुन आजाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अग्निकाण्ड में खेत खलिहानों में फसलों के नष्ट होने पर उसकी क्षतिपूर्ति हेतु सरकार कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसे कब तक लागू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

कृषकों की फसल क्षति पर क्षतिपूर्ति नहीं बल्कि सरकार द्वारा राहत सहायता दिये जाने का प्राविधान किया गया है । भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार दैवी आपदा से लघु एवं सीमान्त कृषकों के कृषि, उद्यान, वार्षिक व बारहमासी फसलों की 50 प्रतिशत या उससे अधिक की क्षति पर

असिंचित क्षेत्रों हेतु रु० 1000/- सुरक्षित सिंचित क्षेत्रों हेतु रु० 2500/- व बारहमासी फसलों के लिए रु० 4000/- प्रति हेक्टेयर की दर से कृषि निवेश हेतु सब्सिडी दिये जाने का प्राविधान है।

उक्त व्यवस्था दिनांक 20-11-2001 से लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र धानापुर में जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों को पूर्ण किये जाने की जानकारी

45—श्री प्रभु नारायण–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र धानापुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 1999–2000 व 2000–2001 में जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के अवशेष कार्यों को पूरा कराने के लिए धन की व्यवस्था की गयी ? यदि हां, तो स्वीकृत कार्यों को कब तक पूरा करा दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां, वित्तीय वर्ष 1999-2000 में स्वीकृत कार्यों हेतु आंशिक धन व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष 2000-2001 में उक्त विधान सभा क्षेत्र का कोई कार्य स्वीकृत नहीं है।

सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के कारण समय सीमा निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर के कुमारगंज से देवगांव की सड़क के अवशेष मार्ग का कार्य पूर्ण कराने की मांग

46—श्री महबूब अली–

तेरहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र 2001 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–84 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बतायेगी कि 19.80 कि०मी० मार्ग लेपन स्तर तक कब पूर्ण हुआ है और अवशेष मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

कुमारगंज से खण्डासा मार्ग वर्ष 1984-85 में तथा खण्डासा से घोड़वल तक का मार्ग वर्ष 1994-95 में निर्मित हुआ है।

अवशेष निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर सम्भव होगा।

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर के ग्राम [illegible] बाजार से ग्राम बिसकमी मार्ग के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि से निर्माण कार्य पूर्ण कराने की जानकारी

47—श्री महबूब अली–

तेरहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र 2001 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–78 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बतायेगी कि प्रश्नगत सड़क के निर्माण हेतु कितनी धनराशि का आगणन स्वीकृत हुआ है और उसके विरुद्ध कितनी धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है ? क्या यह सही है कि आगणन की सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त धनराशि से निर्माण कार्य पूरा न कराकर धनराशि हड़प ली गयी है ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय

जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करेगी तथा निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

रु० 27.52 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई है और रु० 11.74 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

जी नहीं।

जी नहीं।

जांच कराने एवं दण्डित करने की आवश्यकता नहीं है। निर्माण कार्य कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मैनपुरी जी० टी० रोड भोगांव से सलेमपुर पढ़ीना तक पेन्टिंग स्तर तक के स्वीकृत कार्य को पूर्ण कराने की जानकारी

48—श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या सरकार को जानकारी है कि जी०टी० रोड भोगाँव जनपद मैनपुरी से सलेमपुर पढ़ीना तक पेन्टिंग स्तर तक कार्य स्वीकृत है। यदि हां, तो कब तक कार्य पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां।

वर्तमान में कार्य अवरुद्ध है। पुनः प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।

49—श्री जगदम्बिका पाल–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद लखनऊ स्थित दुबग्गा से माल वाया जेहटा जाने वाले मार्ग का डामरीकरण कराये जाने की जानकारी

50—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ स्थित दुबग्गा से माल वाया जेहटा जाने वाला मार्ग कितने कि०मी० डामरीकरण हेतु अवशेष है ? क्या सरकार उक्त मार्ग का अवशेष भाग का डामरीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

प्रश्नगत मार्ग (माल दुबग्गा) कि०मी०–11 से कि०मी०–17 तक डामरीकरण हेतु अवशेष है।

कार्य प्रारम्भ हो गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी में जैदपुर–भानमऊ मार्ग के सम्पूर्ण अधूरे कार्यों को पूर्ण किये जाने सम्बन्धी जानकारी

51—श्री राकेश कुमार वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–बाराबंकी में वर्ष 1993–94 में जैदपुर–भानमऊ मार्ग से अबहीपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया गया था ? क्या उस पर सेकेण्ड कोट पेन्टिंग नहीं की गयी थी तथा उस पर लगभग 150 मीटर लम्बाई का रास्ता कच्चा ही छोड़ दिया गया था? उक्त मार्ग पर चार पुलियों का निर्माण भी प्रस्तावित था ? क्या उक्त रोड के नवीनीकरण हेतु वर्ष

2000–2001 एवं वर्ष 2001–2002 दोनों वर्षों में क्रमशः साढ़े छः लाख एवं नौ लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त सम्पर्क मार्ग के समस्त अधूरे कार्यों को पूरा किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

जी हां । 150 मीटर लम्बाई का रास्ता मा० न्यायालय में लम्बित होने के कारण छोड़ा गया है ।

जी हां ।

जी नहीं, वर्ष 2000-2001 में रु० 5.86 लाख एवं 2001-02 में रु० 7.44 लाख आवंटित किया गया था जिसके सापेक्ष क्रमशः रु० 2.46 लाख एवं 2.73 लाख की साख सीमा के अनुसार निर्माण पर व्यय किया गया ।

जी हां, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

52—श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद पीलीभीत में सदर तहसील कार्यालय का नये भवन में स्थानान्तरण

53—श्री रियाज अहमद–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद पीलीभीत में सदर तहसील का नया भवन बनकर तैयार हो गया है ? क्या यह सही है कि तहसील का कार्यालय पुराने भवन में ही चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तहसील कार्यालय को नये भवन में स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

नया भवन 85 प्रतिशत तैयार है ।

जी हां ।

निर्माण कार्य पूर्ण होने पर नये भवन में तहसील स्थानान्तरित की जायेगी ।

प्रदेश सरकार द्वारा एक्सप्रेस हाईवेज का निर्माण

54—कुं० रेवती रमण सिंह तथा डा० अशोक बाजपेयी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार एक्प्रेस हाईवेज का निर्माण कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि एक्सप्रेस हाईवेज के लिए प्रदेश में किन-किन मार्गों का चयन किया गया है ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के कृषि रक्षा परिचारकों को प्र०प्र० प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने की मांग

55—कुं० रेवती रमण सिंह तथा डा० अशोक बाजपेयी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में कनिष्ठ लिपिक को प्रथम प्रोन्नति वेतनमान देकर वरिष्ठ लिपिक का वेतनमान दिया जाता है ? क्या कृषि रक्षा परिचारकों (चतुर्थ श्रेणी)

को भी प्रथम प्रोन्नति वेतनमान कृषि रक्षा पर्यवेक्षक (पी०पी०एस०) वेतनमान देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

कृषि रक्षा परिचारक चतुर्थ श्रेणी का पद है जबकि कृषि रक्षा पर्यवेक्षक, वर्ग–3 का पद है । इसके अतिरिक्त कृषि रक्षा पर्यवेक्षक एक तकनीकी पद है जिसकी शैक्षिक योग्यता कृषि स्नातक अथवा कृषि प्रसार-डिप्लोमा है जबकि कृषि रक्षा परिचारक की शैक्षिक योग्यता पांचवीं कक्षा है । अतः कृषि रक्षा परिचारकों को प्रोन्नति वेतनमान के रूप में कृषि रक्षा पर्यवेक्षक का वेतनमान दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बांदा के खप्टिहा कला अलोना–साडी सम्पर्क मार्ग के निर्माण में की गयी धांधली के संबंध में सदस्य श्री विशम्भर प्रसाद निषाद के प्राप्त पत्र पर जांच के आदेश

56—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 26-3-2002 जो जनपद बांदा के खप्टिहा कला अलोना-साडी सम्पर्क मार्ग के निर्माण में की गयी धांधली की टी०ए०सी० से जांच कराने विषयक था, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ० प्र० शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, झांसी को जांच के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के नवसृजित मण्डलों में मण्डल कार्यालय

57—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में नवसृजित मण्डलों में मण्डल कार्यालय खोल दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मण्डल कार्यालय कब स्थापित कर दिये जायेंगे ?

श्री रवि गौतम–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा, परगना पुरवा की ग्राम सभा रामा अमरापुर की भूमि पर किये गये अवैध कब्जे के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध जांच

58—श्री प्रभु नारायण–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा, परगना–पुरवा की ग्राम सभा रामा अमरापुर की भूमि सं० 1229 के पश्चिम से सिंचाई हेतु उपलब्ध करायी गयी चकरोड/नाली को जून, 2001 में कुछ लोगों द्वारा अपने खेतों में मिला लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जी हां। ग्राम सभा रामा अमरापुर परगना व तहसील पुरवा की भूमि संख्या–1229 के पश्चिम से निकले चकरोड, नाली की भूमि संख्या–1233 के जुंज भाग को कुछ व्यक्तियों द्वारा अज्ञानतावश अपने खेत में मिला लिया था, जिनकी पैमाइश करने पर उन्होंने स्वतः कब्जा हटा लिया है, अब कोई अवरोध नहीं है।

नाली/चकरोड खुल गया है, किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के अन्तर्गत अलीनगर- ाकलडीहा मार्ग के नवीनीकरण की योजना

59—श्री राम किशुन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के अन्तर्गत अली नगर–सकलडीहा मार्ग के नवीनीकरण की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त योजना पर कब तक कार्य शुरू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सड़क नीति के मानक में कोई किलोमीटर इस वर्ष नहीं आता है।

जनपद लखनऊ की दुबग्गा फल एवं सब्जी मण्डी के लाइसेंसी दुकानदारों को मण्डी में जगह उपलब्ध कराये जाने विषयक जानकारी

60—श्री कौशल किशोर–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ की दुबग्गा फल एवं सब्जी मण्डी के जिन दुकानदारों को लाइसेंस निर्गत किये गये हैं, क्या उन सभी को मण्डी में जगह उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम रामगढ़ी की ग्राम समाज की भूमि पर से कब्जा न हटाने विषयक श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

61—श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित राम सुमेर पुत्र सीताराम, ग्राम–पूरे लाल साहब, मजरे राम बक्स गढ़ जामों सुल्तानपुर का दिनांक 15-2-2001 दिनांक 28-8-2001, दिनांक 16-10-2001 तथा दिनांक 27-11-2001 जो बेदखली के बाद भी ग्राम समाज की भूमि पर से कब्जा न हटाने की शिकायत के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जी हां। दिनांक 15-1-2001 का प्राप्त नहीं हुआ है।

ग्राम रामगढ़ी स्थित गाटा संख्या–99 जो खलिहान के खाते में अंकित है पर सात व्यक्तियों का अनाधिकारी कब्जा पाये जाने पर ज० वि० अधि० की धारा 122 बी के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए इन्हें बेदखल करने व क्षतिपूर्ति वसूलने के आदेश पारित किये गये । उपरोक्त अनाधिकार कब्जेदारों में से दो कब्जेदारों श्री राम नरायन पुत्र नीमर व बैजनाथ पुत्र माता बदल के द्वारा रिकाल प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर इन्हें बेदखल नहीं किया । वाद लम्बित है । शेष अवैध कब्जेदारों के कब्जे हटा दिये गये हैं । खलिहान की भूमि पर रिकाल प्रार्थना-पत्र के कारण बेदखल न करने के लिए तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है और शीघ्र बेदखली के निर्देश दिये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

62—श्री अनिल कुमार वर्मा–

[दिनांक 16-8-2002 को अता० प्र० सं०–154 द्वारा उत्तरित]

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम बेलगढ़ा के बेहटा नाले पर पुल निर्माण

63—श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम बेलगढ़ा के निवासियों को बरसात के दिनों में बेहटा नाले पर पुल न होने के कारण आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव के पास बेहटा नाले पर पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम बेलगढ़ा बख्यिारनगर के बीच बेहटा नाले पर जल निगम द्वारा आर० सी० सी० सेतु निर्मित है ।

जनपद लखनऊ स्थित गोमती नदी सरौरा घाट पर पुल का निर्माण

64—श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद लखनऊ स्थित गोमती नदी सरौरा घाट पर पुल न होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार गोमती नदी के सरौरा घाट पर पुल बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

सरौरा घाट (गोमती नदी) के डाउनस्ट्रीम में 3.00 किमी० पर अम्बेडकर सेतु विद्यमान है, जो क्षेत्रवासियों को आवागमन हेतु सुलभ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बिजनौर में ग्राम मोरना के श्री जानकी प्रसाद शर्मा पुत्र श्री बाबू राम शर्मा का सेवा के दौरान देहान्त होने से उनके पुत्र चेतन स्वरूप शर्मा की नियुक्ति का मामला

65–श्री मूल चन्द–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जानकी प्रसाद शर्मा पुत्र श्री बाबूराम शर्मा, ग्राम मोरना, जिला बिजनौर कृषि विभाग में ए०एस०सी०आई० के पद पर भूमि संरक्षण अधिकारी बरेली के कार्यालय में कार्यरत थे ? उनका सेवा के दौरान दिनांक 12-11-81 को देहान्त हो गया था ? यदि हां, तो क्या मृतक आश्रित के रूप में उनके पुत्र चेतन स्वरूप शर्मा की नियुक्ति की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

वर्ष 1981 में श्री जानकी प्रसाद शर्मा की मृत्यु होने के 17 वर्षों के उपरान्त उनके आश्रित श्री चेतन स्वरूप शर्मा द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 08 फरवरी, 1999 को नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र दिया गया। उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों हेतु भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) के प्राविधानानुसार मृत्यु के तिथि के 5 वर्ष के अन्दर सेवायोजन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर ही नियुक्ति दी जा सकती है। श्री चेतन स्वरूप शर्मा के मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु प्राप्त कालबाधित प्रार्थना-पत्र पर नियुक्ति हेतु समय सीमा में शिथिलीकरण के प्रश्न पर भी शासन स्तर पर सम्यक् रूप से विचार किया गया तथा प्रश्नगत कालबाधित प्रकरण में समय सीमा में शिथिलीकरण प्रदान किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं पाया गया। तद्नुसार सम्बन्धित को भी अवगत कराया दिया गया।

डुमरियागंज, इटवा, बढ़नी मार्ग पर पथकर वसूली

66–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डुमरियागंज, इटवा, बढ़नी मार्ग पर क्रमशः राप्ती नदी डुमरियागंज, बूढ़ी राप्ती मुहचुरवा घाट पर पथकर वसूली अभी भी की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त वसूली को समाप्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां।

वर्तमान नियमों के अनुसार प्रश्नगत सेतुओं के निर्माण की कुल लागत तथा ब्याज, पथकर की वसूली में और उसके रख-रखाव पर हुआ व्यय पूर्ण रूप से वसूल नहीं हुआ है और न ही उक्त सेतुओं पर पथकर लगाने के प्रथम दिनांक से 50 वर्ष की अवधि ही पूरी हुई है।

जी नहीं।

वर्तमान नियमों के अनुसार प्रश्नगत सेतुओं के निर्माण की कुल लागत तथा ब्याज पथकर वसूली में और उसके रख-रखाव पर हुआ व्यय पूर्ण रूप से वसूल न होने के कारण तथा उक्त सेतुओं पर पथकर लगाने के प्रथम दिनांक से 50 वर्ष की अवधि पूरी न होने के कारण पथकर से मुक्त किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद सिद्धार्थनगर मण्डी समिति सहियापुर में भवानीगंज चन्द्रदीप घाट रोड से मौलाना आजाद डिग्री कालेज तक प्रस्तावित मार्ग एवं पुलिया निर्माण

67–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर ने मण्डी समिति सहियापुर के प्रस्ताव पर दिनांक 27-11-2000 को 1.5 कि०मी० भवानीगंज चन्द्रदीप घाट रोड से मौलाना आजाद डिग्री कालेज परिसर मार्ग में पक्की सड़क एवं पुलिया के निर्माण का प्रस्ताव अनुमोदित करके मण्डी भवन राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, लखनऊ को भेजा है ? यदि हां, तो उसकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या उक्त प्रस्तावित मार्ग एवं पुलिया का निर्माण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां।

वर्तमान में मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मण्डी समिति सहियापुर की वित्तीय स्थिति वर्तमान में रु० 1.71 लाख से ऋणात्मक होने के कारण प्रस्तावित कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद एटा, गंजडुंडवारा मार्ग पर स्थित उपेन घाट पर काली नदी पर निर्मित पुल पर राजस्व वसूली

68–श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि सरकार ने एक करोड़ रुपये तक की लागत से निर्मित पुलों पर राजस्व वसूली समाप्त करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो एटा गंजडुंडवारा मार्ग पर स्थित उपेन घाट पर काली नदी पर निर्मित पुल की लागत क्या एक करोड़ रुपये से कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल पर राजस्व वसूली रोकने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

1 अप्रैल, 1994 के पश्चात् निर्मित समस्त स्थायी सेतु जिसके निर्माण की लागत रुपये एक करोड़ से अधिक न हो, पथकर के उद्ग्रहण से मुक्त हैं तथा 1 अप्रैल, 1994 के पूर्व रुपये 1 करोड़ तक की लागत के ग्रामीण मार्ग पर स्थित सेतुओं को दिनांक 1-4-2002 से पथकर से मुक्त किया गया है ।

जी हां, परन्तु प्रमुख जिला मार्ग पर स्थित होने के कारण शासन की उक्त नीति से आच्छादित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषकों के खलिहानों में अग्निकाण्ड से फसल नष्ट होने पर सरकार द्वारा राहत तथा सब्सिडी

69–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृषकों के खलिहानों में होने वाले अग्निकाण्ड से फसल नष्ट होने पर उनकी क्षतिपूर्ति दिये जाने हेतु सरकार कोई व्यवस्था करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

कृषकों की फसल क्षति पर क्षतिपूर्ति नहीं बल्कि सरकार द्वारा राहत सहायता दिये जाने का प्राविधान किया गया है । ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि, उद्यान वार्षिक व बारहमासी फसलों की 50 प्रतिशत या अधिक क्षति होने पर रेनफेड क्षेत्र हेतु रु० 1000/- सुरक्षित सिंचित क्षेत्रों हेतु रु० 2500/- व बारहमासी फसलों के लिए रु० 4000/- प्रति हेक्टेयर की दर से कृषि निवेश पर सब्सिडी दिये जाने की व्यवस्था की गयी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा में ग्राम बुकनापुर के चौराहे पर सड़क परिसर में अवैध कब्जा, निर्माण रोकने सम्बन्धी सचिव, लोक निर्माण को प्रश्नकर्ता विधायक से प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

70–श्री राधेश्याम जायसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा में बभनान से खोड़ारे पर ग्राम बुकनापुर के चौराहे पर सड़क परिसर में अवैध कब्जा करने एवं निर्माण रोकने सम्बन्धी पत्र दिनांक

17-5-02 श्री जटा शंकर सिंह, विधायक का सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में पहले से ही वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । अवैध कब्जा हटाने एवं बुनियाद के निर्माण को रोके जाने के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा के पत्रांक 4/सी अतिक्रमण, दिनांक 02-3-2001 द्वारा अतिक्रमणकर्ता को पूर्व में ही नोटिस दी गई थी। उक्त के क्रम में अतिक्रमणकर्त्ता द्वारा अपना छप्पर एवं बुनियाद हटा लिया गया था परन्तु बुनियाद का निर्माण पुनः शुरू कराने पर उ० प्र० सार्वजनिक भूगृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अतिक्रमणकर्ता श्री राम सवारे पुत्र श्री भुलई निवासी ग्राम–बुकनापुर के विरुद्ध मा० न्यायालय विहित अधिकारी/उप जिला अधिकारी परगना/तहसील मनकापुर के समक्ष वाद योजित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद गोण्डा के भूतपूर्व ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत करनपुर, विकास खण्ड छपिया द्वारा करोड़ों रुपये की भूमि हड़पने से सम्बन्धित मा० विधायक के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

71–श्री राधेश्याम जायसवाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि भूतपूर्व ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत करनपुर, विकास खण्ड छपिया, जिला गोण्डा द्वारा बभनान कस्बे में करोड़ों रुपये की कीमती भूमि हड़पने तथा जिला प्रशासन गोण्डा द्वारा शासन को गलत सूचना देने के सम्बन्ध में श्री जटा शंकर सिंह, मा० विधायक का शिकायती-पत्र दिनांक 17-5-02 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जी हां ।

मा० विधायक जी द्वारा शिकायत की गयी थी कि ग्राम प्रधान करनपुर, जिला गोण्डा द्वारा भूमि हड़पने संबंधी विधान सभा के दो प्रश्नों में विरोधाभासी उत्तर दिया गया था जबकि उक्त उत्तर सही दिया गया था क्योंकि आवंटित भूमि का क्षेत्रफल प्रथम उत्तर में 0.12 एकड़ तथा दूसरे उत्तर में 0.049 हेक्टेयर दिया गया था । उक्त दोनों क्षेत्रफल लगभग बराबर हैं।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के हरपालपुर ब्लाक में पलिया–बेडीजोर मार्ग के शेष भाग पर लेपन कार्य

72–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के हरपालपुर ब्लाक में वर्ष 1994-95 में स्टेट सेक्टर से स्वीकृत पलिया बेडीजोर मार्ग पर लेपन कार्य कितनी दूरी तक करा दिया गया है और कितना शेष है ? शेष मार्ग पर लेपन कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

मार्ग पर 4.60 कि०मी० लम्बाई तक प्रथम सतह लेपन कार्य पूर्ण है और 0.30 कि०मी० में लेपन कार्य शेष है ।

चूंकि कार्य की मूल लागत में वृद्धि हो गई है । अतः शेष कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर होगा ।

73—श्री विश्राम सिंह यादव–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद हरदोई में सांडी नगर के पास गर्रा नदी पर बने पुल को पथकर से मुक्त किये जाने का प्रकरण

74—श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद में सांडी नगर के पास गर्रा नदी पर बने पुल पर जनता से अब भी पथकर वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त पथकर को कब तक समाप्त कर दिया जायेगा ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

प्रश्नगत सेतु पर पथकर की वसूली शासकीय अधिसूचना संख्या–3651/-23-पी० डब्लू० ए०/10(9)/69, दिनांक 26 सितम्बर, 1969 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत की जा रही है ।

सेतु को पथकर मुक्त किये जाने की कार्यवाही शासनादेश संख्या–1303(1)/23-2-2002-20(1)/2002, दिनांक 10 मई, 2002 एवं तत्सम्बन्धी शासनादेश संख्या–1999/23-2-2002–94/2002, दिनांक 15 जून, 2002 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत विचाराधीन है ।

जनपद बांदा में आर० आई० डी० एफ०–4 के अन्तर्गत स्वीकृत अछरोइ सम्पर्क मार्ग एवं बेन्दा सम्पर्क मार्ग पर कार्य प्रारम्भ करने की मांग

75—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में अछरोइ सम्पर्क मार्ग एवं बेन्दा सम्पर्क मार्ग आर०आई०डी०एफ०–4 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त कार्य को कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में आर० आई० डी० एफ०–4 में स्वीकृत है ।

कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद बांदा में पियासी डेरा से कतिपय स्वीकृत सम्पर्क मार्गों पर कार्य प्रारम्भ करने की मांग

76–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में पियासी डेरा से महबरा सम्पर्क मार्ग तथा सवादा सम्पर्क मार्ग आर०आई०डी०एफ०–4 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

उक्त मार्ग आर० आई० डी० एफ०–4 योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1998-99 में स्वीकृत है।

कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के बबेरू, तिन्दवारी से सिंहपुर सम्पर्क मार्ग का कार्य प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी जानकारी

77—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के बबेरू तिन्दवारी से सिंहपुर सम्पर्क मार्ग आर०आई०डी०एफ०–5 में वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं । उक्त मार्ग वित्तीय वर्ष 2000-2001 में आर० आई० डी० एफ०–5 योजना में स्वीकृत है ।

कार्य पूर्ण हो चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

78—श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

[दिनांक 26-8-2002 को अता० प्र० सं०–54 द्वारा उत्तरित]

जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत राप्ती नदी पर भरवठिया बाजार–बिथरिया के पास मुख्य मार्ग पर पैन्टून ब्रिज का निर्माण कराने की मांग

79—श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत राप्ती नदी पर भरवठिया बाजार–बिथरिया के पास मुख्य मार्ग पर पैन्टून ब्रिज का निर्माण कराने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे जनहित में कब तक कियान्वित किया जायेगा ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद सुल्तानपुर के श्री केदारनाथ सिंह पुत्र सुकुरू, साकिन दाखिल गांव मुसाफिरखाना द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर दूसरे का फोटो लगाकर ग्रामीण बैंक से लोन निकालने के संबंध में जांच की कार्यवाही

80—श्री श्याम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी,सुल्तानपुर को सम्बोधित भू० पू० विधायक तेजभान सिंह द्वारा अग्रसारित श्री केदारनाथ सिंह पुत्र सुकुरू साकिन दाखिल गांव मुसाफिरखाना जनपद सुल्तानपुर का पत्र दिनांक 30-8-2001 को जिलाधिकारी को दिया गया तथा दिनांक 13-5-2002 को रजि० प्रार्थना-पत्र जिसमें प्रार्थी के नाम दूसरे का फोटो लगाकर ग्रामीण बैंक से लोन लेने की शिकायत है जिसकी जांच उप जिलाधिकारी, मुसाफिरखाना को दी गयी है, हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच पूर्ण हो गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

उप जिलाधिकारी, मुसाफिरखाना द्वारा मामले की जांच की गई जांच में शिकायतकर्ता श्री केदारनाथ सिंह के नाम से फर्जी ऋण बैंक द्वारा स्वीकृत किये जाने की बात प्रथम दृष्टया सही पाई गई । मामले में बैंक आफ बड़ौदा के कर्मचारियों के अन्तर्ग्रस्त होने के कारण जिला प्रशासन द्वारा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया । बैंक आफ बड़ौदा के

क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा मामले के तथ्यों की जांच किये जाने तथा इस संबंध में समुचित कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है।

मामले में शिकायतकर्ता की ओर से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419, 420 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। अभियोग की विवेचना प्रचलित है।

प्रार्थी के विरुद्ध बैंक द्वारा जारी किया गया वसूली प्रमाण-पत्र भी बैंक को वापस कर दिया गया है।

जनपद गोरखपुर के ग्राम–मालपुर, पोस्ट–बसही के आम रास्ते के अवरोध को तत्काल खोलने विषयक पत्र पर कार्यवाही

81—श्री ददू प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बाबू लाल कुशवाहा, स०वि०स० का पत्र संख्या–ख–2–857001, दिनांक 28 जून, 2002 को ग्राम–मालपुर, पोस्ट–बसही, जनपद–गोरखपुर के आम रास्ते के अवरोध को तत्काल खोले जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जी हां।

प्रकरण में सी० ओ० खजनी द्वारा जांच की गयी। धारा–133 दण्ड प्रक्रिया संहिता में चालानी रिपोर्ट प्रेषित की गयी है एवं नियम 115 की रिपोर्ट उप जिला अधिकारी, खजनी के न्यायालय में प्रेषित की गयी। जो विचाराधीन है। प्रकरण सिविल जज के न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के खेतिहर मजदूरों के कल्याण हेतु सरकार की कार्य योजना

82—श्री राम विशुन आजाद–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के खेतिहर मजदूरों के कल्याण हेतु कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री हुकुम सिंह–

कृषि विभाग में खेतिहर मजदूरों के कल्याण हेतु योजना बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ज्योतिबाफूलेनगर के ब्लाक धनौरा के अन्तर्गत ग्रामीणों की जमीन पर वन विभाग द्वारा अनधिकृत रूप से किये गये कब्जे को हटाने की मांग

83—श्री देवेन्द्र नागपाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ज्योतिबाफूलेनगर के ब्लाक धनौरा के अन्तर्गत ग्रामीणों की जमीन पर वन विभाग द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जमीन किसानों को वापस दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद में स्थित तहसील मिल्कीपुर में मृतक परिवारों के आश्रितों का नाम दाखिल खारिज करने में तहसील के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

84—श्री आनन्द सेन–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में स्थित तहसील-मिल्कीपुर में माह जनवरी, 2000 से दिसम्बर, 2001 तक मृतक परिवारों के आश्रितों का नाम दाखिल खारिज करने में तहसील के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बड़े पैमाने पर अनियमिततायें की गयी हैं ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा में नौहझील मुख्य मार्ग पर टूटे पुल की मरम्मत कराने विषयक पूर्व विधायक के प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

85—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कुशल पाल सिंह, पूर्व विधायक का पत्र दिनांक 4-6-2002 जो नौहझील–मथुरा मुख्य मार्ग पर मीरपुर के पास टूटे पुल की बरसात के पूर्व मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

प्रमुख अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

86—श्री विश्राम सिंह यादव–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

87—श्री विश्राम सिंह यादव–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद हरदोई के हरपालपुर ब्लाक में खरगपुर से ऊंचागांव तक स्वीकृत डामर मार्ग के शेष कार्य को पूर्ण करने की मांग

88—श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के हरपालपुर ब्लाक में खरगपुर से ऊंचागांव तक वर्ष 1994-95 में स्टेट सेक्टर से स्वीकृत डामर मार्ग का कितनी दूरी तक लेपन कार्य हो चुका है, शेष कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

प्रश्नगत मार्ग 0.80 कि०मी० लम्बाई में प्रथम सतह लेपन स्तर तक पूर्ण है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद सिद्धार्थनगर में सिंगारजोत, नावडीह मार्ग पर टूटी पुलिया का निर्माण कराने की मांग

89–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में सिंगारजोत, नावडीह मार्ग पर सिंगारजोत के आगे बनी पुलिया टूट गई है, जिससे आवागमन अवरुद्ध हो गया है ? उक्त पुलिया का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां।

निर्माण हेतु स्वीकृत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रिया में गाटा संख्या–1287 पर अवैध कब्जा हटवाने एवं उक्त भूमि को कमजोर वर्गों को आवंटित किये जाने से सम्बन्धित जानकारी

90–डा० विनोद चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम ऐन, तहसील सदर, जनपद लखनऊ के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रिया में गाटा संख्या–1287 को आवासीय भूमि के रूप में आरक्षित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि से अवैध कब्जा हटवाने तथा उक्त भूमि कमजोर वर्गों को आवंटित करने हेतु आदेश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रीता गौतम–

ग्राम ऐन तहसील व जिला लखनऊ की गाटा संख्या–1287 रकबा 2–12–3 जिल्द बन्दोबस्त में श्रेणी–5 नदीन परती खाते में आबादी हेतु सुरक्षित दर्ज है। लेकिन जिल्द बन्दोबस्त के खाता संख्या–837 पर गाटा संख्या–1287 रकबा–0–13–0 साधू पुत्र श्री जगन्नाथ निवासी ग्राम के बतौर सीरदार भी दर्ज है जो वर्तमान में सं० भूमिधर के रूप में दर्ज है जबकि उक्त गाटे का बन्दोबस्ती रकबा 2–12–3 है। इस प्रकार गाटा सं०–1287 रकबा 0–13–0 जो खातेदार के नाम दर्ज है को छोड़कर शेष पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है, बल्कि ग्राम के 11 अनुसूचित जाति एवं 5 अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा मकान/सहन के रूप में लगभग 20 वर्षों से प्रयोग में लाया जा रहा है जिनके संबंध में सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त उक्त गाटे का लगभग 0–10–0 रकबा तालाब गड्ढे के रूप में है।

जनपद बरेली के अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा भिटौरा–बहेड़ी सड़क निर्माण में की जा रही अनियमितताओं एवं मानक के अनुसार कार्य न कराये जाने के संबंध में मा० विधायक के शिकायती-पत्र पर जांच कार्यवाही

91–श्री सुल्तान बेग–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बरेली द्वारा वित्तीय वर्ष 2001–2002 में स्वीकृत की गई भिटौरा-बहेड़ी सड़क निर्माण में की जा रही अनियमितताओं एवं मानक के अनुसार निर्माण कार्य न कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता

का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 8-5-2002 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराई गई ? जांच परिणाम क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

प्रकरण की जांच करायी जा रही है जांच आख्या आने पर गुण/अवगुण के आधार पर निर्णय लेकर कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद बांदा में गोखरही सम्पर्क मार्ग पर कार्य प्रारम्भ कराने की जानकारी

92—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में गोखरही सम्पर्क मार्ग आर०आई०डी०एफ०–6 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

आर० आई० डी० एफ०–6 योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2001-02 में स्वीकृत है ।

कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में भिडौरा से गजनी सम्पर्क मार्ग तथा लामा लुकतरा के शेष सम्पर्क मार्ग का कार्य प्रारम्भ होने सम्बन्धी जानकारी

93—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में भिडौरा से गजनी सम्पर्क मार्ग तथा लामा लुकतरा का शेष सम्पर्क मार्ग आर०आई०डी०एफ०–5 में वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

उक्त मार्ग आर० आई० डी० एफ०–5 योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1999-2000 में स्वीकृत है ।

भिडौरा से गजनी सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है । लामा बुकतरा सम्पर्क मार्ग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में पैलानी गुलौली से डाडामऊ सम्पर्क मार्ग का कार्य प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी जानकारी

94—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में पैलानी गुगौली से डाडामऊ सम्पर्क मार्ग आर०आई०डी०एफ०–5 में वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में आर० आई० डी० एफ०–5 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है।

कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के राप्ती नदी पर बने पुल से टोल टैक्स समाप्त करने की मांग

95—श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि पिछली सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि नदियों पर बने सेतु जिनकी लागत टोल टैक्स वसूली द्वारा प्राप्त हो गया है, उन्हें टोल टैक्स से मुक्त कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो क्या डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर के राप्ती नदी पर बने सेतु का धन टोल टैक्स द्वारा प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पुल से टोल टैक्स की वसूली समाप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत सेतु के निर्माण की कुल लागत तथा उस पर ब्याज, पथकर की वसूली में तथा उसके रख-रखाव पर हुआ व्यय जब तक वसूल न हो जाय या उस पुल पर पथकर लगाने के प्रथम दिनांक से 50 वर्ष की अवधि पूरी न हो जाए तब तक प्रश्नगत सेतु को पथकर से मुक्त किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम भगवानपुर, तहसील डुमरियागंज के चकबन्दी नक्शे में गड़बड़ियों की जांच

96—श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भगवानपुर, तहसील डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर के निवासियों का संयुक्त प्रार्थना-पत्र दि० 6-6-2002 जो भगवानपुर ग्राम के नक्शों में चकबन्दी विभाग द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

जी हां।

शिकायती प्रार्थना-पत्र पर ग्राम भगवानपुर के चकबन्दी नक्शे में गड़बड़ियों के संबंध में जांच कराई गई। जांच आख्या के आधार पर नक्शे की त्रुटियों के निराकरण हेतु त्रुटिपूर्ण नक्शे को जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर के आदेश दिनांक 2-8-2002 द्वारा निरस्त करके पुनः नये सिरे से संशोधित भूचित्र बनाने हेतु आदेश निर्गत किये गये जिसके अनुपालन में एक संयुक्त टीम गठित करके नये सिरे से संशोधित भूचित्र बनाने हेतु अभिलेखों की जांच कराई जा रही है।

उक्त प्रकरण में प्रथमदृष्टया दोषी श्री राम केवल गुप्त, अनुरेखक जिन्होंने भूचित्र बनाया था, को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है तथा ग्राम के अभिलेख (आकार पत्र–41 व 45)

तैयार करने वाले चकबन्दी लेखपाल श्री कौशल किशोर श्रीवास्तव जो वर्तमान समय में जनपद गोण्डा में चकबन्दीकर्ता के पद पर कार्यरत हैं, के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। अन्य दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है।

किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

जनपद हरदोई की कुंडा नदी पर दहलिया गांव के पास पैन्टून ब्रिज बनवाने की मांग

97–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की कुंडा नदी पर दहलिया गांव के पास 5 फरवरी, 1995 को पैन्टून ब्रिज स्वीकृत हुआ था ? यदि हां तो उक्त पुल कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत सेतु निर्माण के औचित्य व प्रदेश सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत स्वीकृति प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है।

98–श्री विश्राम सिंह यादव–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद बलरामपुर, तहसील तुलसीपुर के कतिपय ग्रामों में अग्निकाण्ड पीड़ितों को आर्थिक सहायता

99–डा० शिव प्रताप यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलरामपुर, तहसील तुलसीपुर के अन्तर्गत ग्राम चैनपुर, भोजपुर थारू, ठकुरापुर, चैनवनकटवा में मार्च, अप्रैल, 2002 में हुए अग्निकाण्ड के पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अग्निकाण्ड पीड़ितों को आर्थिक सहायता दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रवि गौतम–

ग्राम चैनपुर में दिनांक 24 मार्च, 02 को अग्निकाण्ड की घटना घटित हुई थी, जिसमें 10 व्यक्ति प्रभावित हुए थे। कुल 5 व्यक्ति ही नियमानुसार राहत सहायता हेतु पात्र पाये गये जिन्हें रु० 800/- प्रति व्यक्ति की दर से गृह अनुदान के रूप में सहायता वितरित की जा चुकी है।

ग्राम चैनवनकटवा में दिनांक 14-3-2002 को हुई अग्निकाण्ड की घटना से कुल 64 व्यक्ति प्रभावित हुए थे। समस्त प्रभावित व्यक्ति राहत सहायता हेतु पात्र पाये गये, जिन्हें रु० 800/- प्रति व्यक्ति की दर से गृह अनुदान वितरित किया जा चुका है।

ग्राम भोजपुर थारू एवं ठकुरापुर में माह मार्च, अप्रैल, 2002 में अग्निकाण्ड की कोई घटना घटित नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता। उक्तानुसार सभी पात्र व्यक्तियों को राहत सहायता वितरित की जा चुकी है।

जनपद देवरिया, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत मार्गों के कार्य हेतु आवंटित धनराशि के दुरुपयोग पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

100–श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1999-2000 में प्रमुख अभियन्ता लो०नि०वि० के पत्र सं०–415 सीजी/28सी/99-2000 दिनांक 10-3-2000 द्वारा स्वीकृत मार्गों के कार्यों हेतु धन आवंटित किया गया था ? क्या तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता देवरिया द्वारा उक्त धन का उपयोग उक्त कार्य के लिए न कराकर कहीं अन्यत्र कर दिया गया था ? यदि हां तो उस अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां।

जी हां, उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग को आवंटित धनराशि से अधिशासी अभियन्ता द्वारा कराये गये कार्यों की जांच पर कृत कार्यवाही की जानकारी

101–श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० देवरिया में वर्ष 2000 में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अनुबन्ध सं०–30 ईई दिनांक 25-11-2000 द्वारा स्वीकृत पर व्यय करके आवंटित धन का अन्य कार्यों में व्यय किया गया है ? यदि हां तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां।

उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के दुरुपयोग पर कार्यवाही

102–श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० देवरिया में तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री हंसराज सिंह "अखिलेश" द्वारा वर्ष 1999-2000 में अनुबन्ध सं०–180 ईई दिनांक 22-1-2000 द्वारा स्वीकृत कार्य रुद्रपुर–बरहज मार्ग पर कुर्ना पुल पर धन खर्च न कर अन्य कार्यों पर व्यय किया गया है ? यदि हां, तो उक्त वित्तीय अनियमितता के लिए दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां।

उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता ।

103–डा० विनोद तिवारी–

[दिनांक 9-8-2002 को अता० प्र० सं०–129 द्वारा उत्तरित]

जनपद पीलीभीत में तहसील सदर के ग्राम दहगला में ग्राम समाज के खलिहानों एवं पट्टेदारों की जमीनों पर लगे शीशम के वृक्ष कटवाने एवं जमीनों पर कब्जा करने के दोषी मुख्य विकास अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग

104–श्री रियाज अहमद–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद पीलीभीत में तत्कालीन कार्यरत मुख्य विकास अधिकारी द्वारा तहसील सदर के ग्राम दहगला में ग्राम समाज के खलिहानों एवं श्रेणी–3 के पट्टेदारों की जमीनों पर लगे शीशम के वृक्ष कटवा लिये तथा उक्त जमीनों पर कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर दोषी मुख्य विकास अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

प्रश्नगत ग्राम दहगला के खलिहान पर कोई अवैध कब्जा नहीं किया गया है । तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी द्वारा क्रय की गयी भूमि पर निर्माण कराते समय श्रेणी–3 की भूमि गाटा सं० 65 के कुछ भाग पर भी कब्जा किया जाना पाया गया है । अवैध कब्जा हटवाने तथा दोषी मुख्य विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद बांदा में सड़क निधि के कार्यों में बरती गयी अनियमितता की जांच

105–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सड़क निधि, एस० आर० एम० डी० द्वारा वर्ष 2001-2002 में कराये गये कार्यों में बरती गयी अनियमितता की जांच संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-6-2002 अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग वृत्त बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या कार्यों में की गई अनियमितता की जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

मा० सदस्य का संदर्भित पत्र दिनांक 25-6-2002 अधीक्षण अभियन्ता, बांदा वृत्त, लो० नि० वि० को प्राप्त हुआ है, जिसमें मा० सदस्य द्वारा राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 में तथा एस० आर० एम० डी० द्वारा कराये गये कार्यों की सूचना उपलब्ध कराने मात्र का अनुरोध किया गया है। इस पत्र में किसी अनियमितता का उल्लेख नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के करेलाघाट पर जनहित में पुल का निर्माण कराने की मांग

106—श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा श्री कोबिद कुमार सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के करेलाघाट पर पुल के अभाव में क्षेत्रीय जनता के आने-जाने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार शाहजहांपुर की जनता के हित में पुल का निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

पुल निर्माण हेतु माडल स्टडी का कार्य प्रगति पर है । माडल स्टडी का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् तत्समय वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत विचार किया जा सकेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद सहारनपुर में जर्जर एवं क्षतिग्रस्त पुलों के पु .र्निर्माण के संबंध में विधायक श्री संजय गर्ग के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

107—श्री संजय गर्ग–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17 जून, 2002 जो जनपद सहारनपुर में जर्जर एवं क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण के संबंध में था उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित 3 कार्यों में से जनता मार्ग से माधोनगर मार्ग के बीच ढमौला नदी पर सेतु निर्माण का कार्य पश्चिमांचल पैकेज के अन्तर्गत अनुमोदित है । विभाग का आय-व्ययक पारित होने पर नये कार्यों हेतु धन की उपलब्धता के दृष्टिगत स्वीकृति के संबंध में विचार किया जायेगा । दूसरा कार्य पांवधोई नदी पर जोगियान पुल पश्चिमांचल पैकेज के अन्तर्गत अनुमोदित नहीं है । तीसरा कार्य पांव धोई नदी पर धोबी घाट के निकट पुल निर्माण का कार्य सिंचाई विभाग को आवंटित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत 2500, 1000 तथा 500 की आबादी वाले चयनित गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने की मांग

108—श्री राम विशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मनकापुर, जनपद गोण्डा के अन्तर्गत 2500, 1000 और 500 की आबादी वाले कितने गांवों को वर्ष 2000-2001, 2001-2002 तथा 2002-2003 में मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु चयनित किया गया है ? उक्त सभी गांवों को मुख्य मार्ग से कब तक जोड़ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

वर्ष 2000-2001 में कोई गांव चयनित नहीं है । वर्ष 2001-2002 में 2500 से अधिक आबादी का 01 गांव, 1000 से अधिक आबादी के 04 गांव तथा 500 से अधिक आबादी के 02 गांव चयनित हैं । वर्ष 2002-2003 में कोई गांव चयनित नहीं है ।

आंशिक आवंटन किया जा चुका है । शेष की व्यवस्था वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद उन्नाव की पुरवा–पाटन मार्ग पुरवा से त्रिपुरारिपुर तक मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

109. श्री कौशल किशोर–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव की पुरवा–पाटन मार्ग पुरवा से त्रिपुरारिपुर तक 8 किमी० मार्ग मरम्मत न होने के कारण वाहन चलने योग्य नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं । प्रश्नगत मार्ग यातायात योग्य है । मार्ग के कि०मी० 1 से 8 में दाग हैं एवं किनारे क्षतिग्रस्त हैं जिनकी मरम्मत का कार्य प्रगति में हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के ग्राम सभा मुन्नू खेड़ा में ग्राम समाज की भूमि को ग्राम प्रधान द्वारा अनियमित तरीके से आवंटन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

110–श्री रियाज अहमद–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के ग्राम सभा मुन्नू खेड़ा में ग्राम समाज की आबादी भूमि संख्या–1753 में इसी ग्राम सभा के निवासीगण पुत्तू लाल पुत्र मनोहर (अनुसूचित जाति) तथा गाटा संख्या–1652 के केशन पुत्र गंगा, राम कुमार पुत्र गंगा, बनवारी पुत्र बंसीलाल तथा शिव कुमार पुत्र बंशीलाल तथा गाटा संख्या–1678 एवं गाटा संख्या–1794 में कई अन्य व्यक्तियों को आवास हेतु एक सौ मीटर भूमि वर्ष नवम्बर एवं दिसम्बर, 1999 में आवंटित करके पंचायत राज रूप पत्र संख्या–7 पर रु० 51.00 (इक्यावन रुपया) ग्राम समाज मद में लेकर रसीद संबंधित आवंटियों के नाम काट दी गई थी ? क्य. यह सही है कि वर्तमान प्रधान द्वारा उक्त आवंटित भूमि अन्य व्यक्तियों को आवंटित किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ? क्या इस संबंध में संबंधित आवंटी पुत्तू लाल (अनुसूचित जाति) द्वारा कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, हरदोई, परगनाधिकारी, सण्डीला तथा मा० मंत्री, राजस्व को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित दिनांक 19-11-2001 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

वर्तमान प्रधान द्वारा आबादी भूमि को उसी गाटा संख्या पर अन्य व्यक्तियों को पट्टे किये जाने हेतु कार्यवाही किये जाने का प्रयास किया जा रहा है, की जांच कराकर प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने संबंधी श्री पुत्ती लाल के शिकायती प्रार्थना-पत्र को अभिलेखीय एवं स्थलीय जांच के अनुसार जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के ग्राम सभा मुन्नू खेड़ा में वर्ष 1999 में कोई भी आवास स्थल आवंटित नहीं किया गया है । प्रश्न के अन्तर्गत अंकित गाटा संख्या–1652 क्षेत्रफल 0–16–0 बीघा, वृक्षारोपण हेतु, 1678 क्षेत्रफल 0-2-0 बीघा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु, खसरा संख्या–1753 क्षेत्रफल 1-3-0 बीघा हरिजन आबादी हेतु सुरक्षित है और भू-अभिलेखों में नवीन परती अंकित है, खसरा संख्या–1794 क्षेत्रफल 23-15-0 बीघा भू-अभिलेखों में आबादी अंकित है । प्रश्न में उल्लिखित व्यक्तियों को, पंचायत राज रूप पत्र संख्या–7 अनियमित पाये गये जो तत्कालीन प्रधान द्वारा निर्वाचन के समय जारी किये गये हैं, जो नियमों के विपरीत है, उल्लेखनीय है कि जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा (122-ग) में आबादी के स्थलों के निमित्त भूमि के प्रदेशन का अधिकार परगना इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर को है । प्रधान द्वारा नियमों के विपरीत जारी रूप पत्र संख्या–7 के आधार पर किसी को कब्जा नहीं दिया जा सकता है ।

वर्तमान प्रधान द्वारा आवास आवंटन की कार्यवाही नहीं की गयी है ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हमीरपुर में वर्ष 1988 में पूर्व मुख्य मंत्री स्व० श्री वीर बहादुर सिंह द्वारा शिलान्यासित टाण्डा थर्मल पावर के पास महरीपुर में घाघरा नदी पर पुल निर्माण से सम्बन्धित जानकारी

111—श्री राम करन आर्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988 में पूर्व मुख्य मंत्री स्व० श्री वीर बहादुर सिंह ने टाण्डा थर्मल पावर के पास महरीपुर में घाघरा नदी पर पुल निर्माण के लिए शिलान्यास किया था ? यदि हाँ, तो क्या उक्त पुल का निर्माण करा दिया गया ? यदि नहीं तो क्यों ? उक्त पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां, उक्त पुल का शिलान्यास वर्ष 1987 में किया गया था ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत सेतु के निर्माण हेतु दिनांक 9-10-85 को रु० 1341.25 लाख की लागत पर स्वीकृति दी गयी थी, नदी की धारा में परिवर्तन हो जाने के कारण स्वीकृत लागत एवं लम्बाई में सेतु का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं पाया गया ।

प्रस्तावित स्थल पर सेतु निर्माण हेतु रु० 61.00 करोड़ की आवश्यकता होगी जो प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सम्भव नहीं है ।

जनपद पीलीभीत में औद्यानिक उत्पादन एवं विपणन सहकारी समितियों द्वारा उर्वरक लाइसेन्सों के आवेदन पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में जानकारी

112—श्री रियाज अहमद–

क्या कृषि मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद पीलीभीत में साग-सब्जी, फल-फूल उत्पादन एवं विपणन को गठित 3 औद्योगिक उत्पादन एवं विपणन सहकारी समितियों के उर्वरक लाइसेन्सों के आवेदन-पत्रों का निस्तारण वर्ष 2002 में 4 माह से अधिक समय बीतने के बाद भी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1995 में दी गई व्यवस्था के अनुसार इन उर्वरक लाइसेन्सों का निस्तारण एक माह में करने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लाइसेन्सों का निस्तारण शीघ्र करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

जनपद पीलीभीत में 3 औद्यानिक उत्पादन एवं वितरण सहकारी समितियों द्वारा उर्वरक विक्रय लाइसेंस आवेदन पत्रों पर समन्वय समिति की बैठक दिनांक 16-4-2002 में विचार किया गया जिसमें सहायक निबन्धक, पीलीभीत की आपत्ति के कारण समिति द्वारा अनुमोदन नहीं दिया गया ।

उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1995 नहीं 1985 की सुसंगत व्यवस्था के तहत 30 दिन की समय सीमा का प्राविधान है ।

समितियों के प्राप्त उक्त आवेदन पत्रों का अनुमोदन किया जा चुका है । उर्वरक विक्रय निबंधन प्रमाण-पत्र हेतु निर्धारित शुल्क राजकीय कोषागार में जमा नहीं किया गया है, निर्धारित शुल्क जमा करने ही निबन्धन प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा ।

जनपद सन्त कबीर नगर (खलीलाबाद) की नगर प..ेका हरिहरपुर में टैक्सी स्टैण्ड से महुली तक क्षतिग्रस्त मार्ग के कथित पुनर्निर्माण की मांग

113—श्री शंख लाल माझी–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद संत कबीर नगर (खलीलाबाद) की नगर पालिका हरिहरपुर में स्थित टैक्सी स्टैण्ड से महुली तक का मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण वर्षा के मौसम में उक्त मार्ग पर आवागमन में अत्यन्त कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी नहीं ।

पुनर्निर्माण की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के दुबग्गा में फल एवं सब्जी मण्डी की सड़क पर डिवाइडर बनवाये जाने की मांग

114—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ स्थित दुबग्गा में फल एवं सब्जी मण्डी व मछली मण्डी होने के कारण अधिकांशतया यातायात अवरुद्ध हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार समस्या के निराकरण हेतु उक्त स्थानों पर सड़क के बीच डिवाइडर बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुराधा चौधरी–

जी हां ।

जी नहीं ।

डिवाईडर बनाने हेतु निर्धारित मानक के अनुसार मार्ग की चौड़ाई उपलब्ध नहीं है ।

जनपद व तहसील महोबा में उप जिला मजिस्ट्रेट सदर महोबा की अदालत में लम्बित वादों के निस्तारण की मांग

115—श्री सिद्ध गोपाल साहू–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महोबा की महोबा तह० में उप जिला मजिस्ट्रेट सदर महोबा की अदालत में गत तीन वर्षों से कितने मुकदमें विचाराधीन हैं ? क्या सरकार वादकारियों को शीघ्र न्याय दिलाने हेतु कोई नीति बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवि गौतम–

तीन वर्ष से अधिक की अवधि का कोई वाद उप जिला मजिस्ट्रेट सदर महोबा की अदालत में निस्तारण हेतु विचाराधीन नहीं है । वर्तमान में तीन वर्ष से कम अवधि के राजस्व के 142 वाद तथा फौजदारी के 110 वाद, इस प्रकार कुल 252 वाद विचाराधीन हैं ।

शासनादेश संख्या–1059/रा० वि०/प्र०स०रा०, दिनांक 31 जुलाई, 2002 द्वारा बाढ़ों के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं।

(12 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजे तक बढ़ा दिया है। 1 बजे मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है। 1 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अखिलेश सिंह, स० वि० स० को स्थानीय पुलिस (रायबरेली) द्वारा भगोड़ा घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर तत्काल चर्चा कराये जाने की मांग (क्रमागत)

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, जब प्रश्नकाल चल रहा था तो उस समय मैंने अनुरोध किया था, 311 के संदर्भ में मैंने आपसे अनुरोध किया था तो आपने कहा था 12.20 पर चर्चा करा लेंगे। अब 12.20 हो गया, 1.30 हो गया। मेरा आग्रह है कि विषय के महत्व को देखते हुए मुझे अनुमति प्रदान करें कि मैं 311 पर चर्चा प्रारम्भ करूं।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा नहीं, आपने जो विषय उठाया था उस पर कोई दो माननीय सदस्य अपने विचार रख दें। चर्चा बहुत लम्बी हो जायेगी। आप अपना विचार रख दीजिए, संक्षेप में विचार रख दीजिए।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, 3 जुलाई, 2002 को रायबरेली में एक दुखद घटना होती है। मान्यवर, दुखद घटना में एक राकेश पाण्डेय जी की हत्या होती है। मान्यवर, हम सब उससे दुखी हैं, चिन्तित हैं, अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। मान्यवर, इससे ज्यादा दुखद घटना यह एक और होती है कि वहां पर उस घटना के बाद कुछ लोग जब एफ० आई० आर० लिखाने का प्रयास किया तो अखिलेश सिंह, जो सदर क्षेत्र के विधायक हैं उनका नाम बढ़ा दिया। मान्यवर, चार-पांच घण्टे विचार-विमर्श होता रहा और जी० डी० रुकी रही, फिर उनका नाम डाला गया। उसमें उनका नाम डालने की बात जब मालूम हुई। कुछ देर बाद मालूम हुई तो इस संदर्भ में अखिलेश सिंह जी 3 जुलाई को लखनऊ में थे या रायबरेली में थे इस संदर्भ में अखिलेश जी ने जो बात सामने रखी है वह यह रखी, मैं चाहता हूं कि नेता सदन भी यहां उपस्थित हैं विचार कर लें। मान्यवर, पांच सुरक्षा कर्मी अखिलेश जी को मिले थ क्योंकि जिस दिन नामांकन पत्र दाखिल हो रहा था उन पर बछरावां में प्राणघातक हमला हुआ था तो लखनऊ से पांच सुरक्षा कर्मी उनको मिले थे उन्होंने पांचों सुरक्षा कर्मियों ने सशपथ न्यायालय में बयान दिया कि 3 जुलाई को श्री अखिलेश सिंह तीन बजे तक लखनऊ में ही रहे और उधर एक एफ० आई० आर० लिखी गयी जो वहां की पुलिस लिखती है कि अखिलेश सिंह मौजूद थे घटनास्थल पर। मैं इसलिए बार-बार इसे दोहरा रहा हूं कि वहीं लखनऊ पुलिस के उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त 5 सुरक्षा कर्मी थे और पांचों ने शपथ-पत्र दाखिल करके कहा है कि अखिलेश सिंह जी यहां पर थे। घटना 9 बजे के आस-पास हुई। उस संबंध में मैंने उच्चस्तरीय अनुरोध किया माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा। चूंकि रायबरेली पुलिस और लखनऊ पुलिस दोनों स्थान की सिविल पुलिस में मतभेद हो गया है। लखनऊ पुलिस द्वारा प्रदत्त 5 सुरक्षाकर्मी कह रहे हैं कि वह यहां थे और वहां यह कहा जा रहा है कि अखिलेश सिंह वहां थे दोनों सिविल पुलिस के बीच में विवाद है। इसलिए इसे सी० आई० डी० को सौंप दिया जाय। जब हमने लिखा तो शासन से कोई निर्णय नहीं हुआ तो हमारे सामने एक लोकतंत्र का रास्ता था

मैंने आपको सम्बोधित करते हुए वक्तव्य की मांग की । नियम 51 के अन्तर्गत सरकार का वक्तव्य मांगा। वक्तव्य मांगने के पीछे आशय यह था कि हो सकता है कि सरकार ने निर्णय ले लिया हो कि सी० आई०डी० जांच कराई जाय । जब तक जिला पुलिस से रिपोर्ट न मांग ली जाय तब तक सी० आई० डी० जांच के आदेश नहीं हो सकते, वक्तव्य आया कि हां जिला पुलिस से सूचना प्राप्त हो गयी है । फिर उसके बाद उन्होंने यह भी नहीं कहा कि हम जांच करायेंगे या नहीं । इस सदन में यह प्रकरण भी रखा गया । सदन राजनीतिक दलों से ऊपर होता है । श्री इन्द्र देव सिंह जो कि मशहूर वकील थे, उनकी दिनदहाड़े हत्या हुई, उसी में भारतीय जनता पार्टी के राम कुमार वर्मा जो कि मेरे मित्र हैं । ऐसा काम राम कुमार वर्मा जोकि सहकारिता मंत्री रहे हैं । वह नहीं कर सकते थे ऐसा मेरा विश्वास है । वह सम्मानित पूर्व सदस्य का मामला था उसके लिए सी० आई० डी० जांच के आदेश कर दिये गये । मैंने उसको आधार बनाया । यहां तो पांच-पांच पुलिस कर्मी कह रहे हैं । राम कुमार वर्मा को थाने में बैठा दिया गया, पुलिस इन्वेस्टीगेशन भी प्रारम्भ हो गया है । उसमें कोई प्रतीक्षा नहीं हुई, सी० आई०डी० जांच के आदेश दे दिये गये । इसमें अखिलेश सिंह के लिए पांच-पांच सिपाही कह रहे हैं तो सी० आई० डी० जांच का औचित्य बनता है । आपने भी मान्यवर, कृपापूर्वक कहा कि मैं सदन की भावनाओं को संज्ञान में लेते हुए निर्णय लूंगा, मैं आपके सहयोग के लिए आभारी हूं । लेकिन मान्यवर, एक चीज कहना चाहता हूं जो शर्मनाक है और दुःखद भी है । मेरे राजनीतिक जीवन में इससे दुःखद घटना और नहीं हो सकती, संसदीय इतिहास में इससे दुःखद घटना और नहीं हो सकती । हम अनुरोध कर रहे थे कि हमारा एक साथी फंसा हुआ है उसकी आप जांच करवा लें और इससे भी ज्यादा दुख तब हुआ जब दूसरे दिन हम घर पहुंचते हैं हमारे पास टेलीफोन आया और मुझे बताया गया कि सभी समचार-पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर यह लिखा हुआ है कि रायबरेली के पुलिस कप्तान ने श्री अखिलेश सिंह को जिन्दा या मुर्दा गिरफ्तार करने के लिए ढाई हजार रुपये इनाम की घोषणा कर दी है । मेरे राजनीतिक जीवन में किसी विधायक को जिन्दा या मुर्दा पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा कभी नहीं हुई । मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरे पास न्यायालय का आदेश है, न्यायालय नें भगोड़ा घोषित नहीं किया । मैं एक चीज कहने जा रहा हूं, निर्णय क्या होगा नेता सदन का । जो भी निर्णय होगा वह एक नजीर बनेगी, आने वाले दिनों में नजीर प्रस्तुत होगी पूरे हिन्दुस्तान में । क्या यह उचित होगा कि 3 जुलाई की घटना को 2 महीने भी नहीं पूरे हुए, एक विधायक को पकड़ने के लिए ढाई हजार रुपये इनाम रख दिया जाये । क्या यह उचित हुआ है और यदि उचित हुआ है तो सम्पूर्ण सदन एक इतिहास लिख दे । मैं 22 साल से यहां हूं सबको यहां बैठे हुए देखा है, इधर भी बैठे हुए देखा है और उधर भी । मैं कहता हूं कि जिस अधिकारी ने सदन में इस मामले के लम्बित रहते हुए, जब यह मामला प्रतीक्षारत था उस समय, ढाई हजार की घोषणा की है उसने मेरा अपमान नहीं किया है, अखिलेश सिंह का अपमान नहीं किया है, उसने सम्पूर्ण सदन का अपमान किया है । मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं । मैं जोश में कोई बात नहीं कहता । मैं याचनापूर्वक, दुखपूर्वक कहना चाहता हूं कि इस परम्परा का श्री गणेश मत करिये । हो सकता है आज बात अच्छी लगे, लेकिन याद रखिये, फिर आप अपने अधिकार का पालन नहीं कर पायेंगे । हम लोगों को आये दिन जनता के लिए पुलिस अधीक्षक, आई० जी०, डी० आई०जी० से लड़ना पड़ता है, जो नाराज हो जायेगा, वह नाम लिख देगा, तो याद रखिये कि यह अखिलेश सिंह के ऊपर नहीं, किसी विधायक के ऊपर नहीं, बल्कि [× × ×] मान्यवर, मैं तो दुखी हूं, आप भी दुखी हैं तो क्यों न इस सदन को अदालत में तब्दील कर दीजिये और उस अधिकारी को मार्शल की अभिरक्षा में यहां कटघरे में लाया जाय और जिस किसी ने यह निर्णय लिया है, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाय । सदन को यह अधिकार है । सदन में 3 बार मेरे सामने ऐसा हो चुका है । वह अधिकारी यहां आकर बतायें कि किन

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

परिस्थितियों में उन्होंने ऐसा किया है। जब मामला सदन के संज्ञान में था तो फिर [× × ×] दण्डित करने का सदन को पूरा अधिकार है। उनको यहां लाया जाय, प्रश्न पूछे जाये और उसके बाद सदन सहमत हो, नेता सदन सहमत हों,. नेता प्रतिपक्ष की सहमति होती है तो हम उसे माफ भी कर सकते हैं, उसे हम तत्काल बन्दी बनाकर अभिरक्षा में ले सकते हैं। मान्यवर, यह तो एक कहानी है, आज हो सकता है, मेरी बात से कुछ लोग सहमत न हों। बातें कही जाती हैं, सुनी जाती हैं, कौन क्या कर रहा है, यह इतिहास बनता है, इतिहास देखता है। महाभारत में भी यही हुआ था द्रोपदी का चीरहरण हुआ था, आज लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, मर्यादा का चीरहरण हो रहा है। उसी महाभारत में मान्यवर, धृतराष्ट्र थे, कौरव थे, पांडव भी थे। आज इसका भी एक इतिहास लिखा जायेगा, क्या इसी तरह विधायिका का अपमान होता रहेगा, तो इतिहास भी माफ नहीं करेगा। मैं आपसे यह भी याचना करने नहीं आया हूं कि उनका मुकदमा वापस ले लिया जाय या किसी एक भी मुकदमे को आप कम कर दें। मैं तो यह कहता हूं कि जितने मुकदमें उनके ऊपर हैं, सब लगाये रखिये। उनको अपराधी घोषित कर रहे हैं, कर दीजिये, उनके ऊपर मुकदमा चला दीजिये और उसके बाद फांसी की सजा हो तो फांसी पर लटका दीजिये। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यह इतिहास लिखने की घड़ी है, इस समय आप दृढ़ता दिखाइये। राजनैतिक दलों के बंधनों से उपर ऊठ जाइये और विधायिका के सम्मान की रक्षा कीजिये। तो मेरी सिर्फ एक ही मांग है कि लखनऊ और रायबरेली पुलिस के बीच में मतभेद है तो मैं सिर्फ सी० आई० डी० जांच की मांग कर रहा हूं। हम विधायकगण किसी के लिए अपने पैड पर लिखकर दे देते हैं तो सी० आई० डी० जांच हो जाती है।

आज विधायक की जांच का प्रश्न आया है मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उन पर मुकदमा वापस ले लें। केवल सी० आई० डी० जांच करा दें। इसके दो कारण हैं एक तो 5 पुलिसकर्मियों के सशपथ बयान और दूसरे उस अधिकारी की बदनीयती। जो अधिकारी एक विधायक पर ढाई हजार का इनाम रखा हो, उस पुलिस अधीक्षक के अन्तर्गत आप जांच की बात कर रहे हैं, क्या ईमानदारी से जांच होगी ? जो ढाई हजार का इनाम की घोषणा कर दे। मेरे पास वह निर्णय है, जिसका सुबह उल्लेख किया था। क्या ९३ की कार्यवाही हुई। एक तरफ अदालत कुर्की के आदेश से इन्कार करती है, वह कहती है कि उस क्षेत्र के विधायक हैं, रूपोश नहीं हो सकते हैं। पुलिस प्रयास करे तो उन्हें पकड़ा जा सकता है। जहां आपको लगे, होंगे, आप छापा डालिये। जहां पर लगे, वह है, वहां जाइये। लेकिन यह सब न करके ढाई हजार का इनामी अपराधी घोषित करा देना, यह तो अपमानित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, विधायक को बदनाम करने के लिये है यह न्यायालय का आदेश मेरे पास है, मान्यवर, उन्होंने साफ-साफ कहा है, मैं जानता हूं कि यह मुख्य मंत्री के संज्ञान में होगा, किसी मंत्री के संज्ञान में नहीं होगा। एक विधायक के ऊपर ढाई हजार का इनाम घोषित किया जायेगा जिन्दा या मुर्दा। मान्यवर, इसमें दो बातें हैं, दो पुलिस के बीच में मतभेद और पांच सिपाहियों का दिया गया सशपथ-पत्र। मान्यवर, और लोगों का यह कहना कि यहां वह थे तो नहीं लेकिन कराया उन्होंने होगा और उन्होंने कराया होगा। मैं सशपथ इस सदन में कहता हूं कि अगर उनका षडयंत्र में नाम होता है तो 120 बी में उन्हें टाई कर लीजिए। अध्यक्ष महोदय मैं यह बार-बार कहता रहा हूं और आज भी कहता हूं कि अगर पीठ ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो कहीं न कहीं सदन का सिर अवश्य इस बात से झुक जायेगा। हम यह नहीं कहते हैं कि आप उनके खिलाफ मुकदमा वापस ले लें, उन्हें बरी कर दें, हम तो सिर्फ यह कहते हैं कि आप सिर्फ सी० आई० डी० जांच करा दें। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह करूंगा कि हम पर कोई और कृपा न करके, अगर आपका न्यायपालिका पर विश्वास है तो सी० आई० डी० विभाग को जांच के आदेश कर दीजिए और अगर आपको सी० आई०डी०

नोट : [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विभाग पर विश्वास नहीं है तो इस विभाग को ही समाप्त कर दें । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं अगर मेरी किसी बात से इस सदन को या किसी सदस्य को पीड़ा पहुंची हो तो मुझे क्षमा कर दें ।

श्री राम नरेश यादव–

माननीय, मा० प्रमोद कुमार तिवारी जी ने जो प्रश्न आपके सामने रखा है वह बहुत महत्वपूर्ण है और मैं भी उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय, संसदीय परम्परा में इस सदन का महत्वपूर्ण योगदान होता है और इस सदन के सदस्य जनता द्वारा चुनकर आते हैं और आप जिस पीठ पर बैठे हैं, जब से इस परम्परा की शुरुआत हुई है, तभी से इस पीठ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, इस पीठ से जो भी निर्णय होता है वह एक तरह से न्यायपालिका का निर्णय माना जाता है । पिछले दिनों जिस तरह की घटना हुई है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिलाना चाहता हूं क्योंकि यह बहुत ही शर्मनाक घटना है । जो एकदम पागलों के साथ हुआ है, उसके लिए मुझे बहुत दुःख है सहानुभूति है लेकिन जिस तरह से अखिलेश सिंह सदस्य का एफ० आई० आर० में नाम दर्ज कर दिया गया और जो विवेचना चल रही है, वह अपनी जगह पर चल रही है । हम यह नहीं कहते हैं कि उस एफ० आई० आर० को निरस्त कर दिया जाय, किसी तरह से उनके ऊपर मुकदमा न चलाया जाय, लेकिन जिस तरह से एस० पी० को तरफ से पुलिस की तरफ से उनको भगोड़ा घोषित करके इनाम रख करके जिन्दा या मुर्दा लाने की बात कही गयी है वह बहुत ही शर्मनाक है । यह पूरे सदन के सदस्यों के साथ सम्मानित सदस्यों के साथ अन्याय हुआ है और उस पीठ से न्याय मिलना चाहिए जिसकी अपेक्षा सारा सदन कर रहा है और मैं यह मांग करता हूं कि सी० बी० सी० आई० आई० डी० से जांच कराई जाय क्योंकि एस० पी०, डी० आई० जी० या जो भी पुलिस का अंग है उनसे न्याय मिलने की आशा नहीं है । इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें, चाहे इधर के सम्मानित सदस्य हों या उधर के सम्मानित सदस्य हों । मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस तरह की व्यवस्था करें और सरकार को निर्देश दें, सरकार की माननीय नेता सदन बैठी हुई हैं । किसी भी माननीय सदस्य के साथ इस तरह की घटना होती है तो सदन बरदास्त नहीं करेगा, जब इस तरह की व्यवस्था होगी तो मैं समझता हूं कि यह सदन के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आप अपनी व्यवस्था दें । सी० बी० सी० आई० डी० से जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । प्रकरण सभी माननीय सदस्यों के संज्ञान में है इसलिए सी० बी० सी० आई० डी० से जांच कराने की बात होनी चाहिए । माननीय नेता सदन से निवेदन है कि इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाया जाये । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(श्री घनश्याम शुक्ल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

शुक्ला जी, इसमें चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री घनश्याम शुक्ल–

माननीय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न यहां उठाया गया है, वह बहुत ही गम्भीर है । सार्वजनिक जीवन में आपस में मतभेद भी होते हैं, वसूलों पर मतभेद होते हैं, सिद्धान्तों पर मतभेद होते हैं, कार्यक्रमों पर मतभेद होते हैं । कम से कम संसदीय एवं सार्वजनिक जीवन का छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते और अपने जीवन व कार्यशैली में मैंने यह महसूस किया है कि राजनीतिक दलों में आपस में

दलगत मतभेद की गुंजाइश नहीं होती है। इसीलिए सदन में तमाम ऐसे प्रश्न आते हैं जिन प्रश्नों में कभी-कभी भावनात्मक रूप से उत्तेजना के क्षण बन जाते हैं लेकिन जैसे ही सदन की कार्यवाही समाप्त होती है, हम लोग आपस में मिल करके बैठते हैं, न केवल सदन में, सेन्ट्रल हाल में बैठते हैं, मंत्री के साथ बैठते हैं, विपक्ष में एक दूसरे के साथ बैठते हैं। कल मान्यवर, इस सदन में आपने एक सदस्य के कथन की रक्षा की, आपने कहा कि कोई भी सम्मानित सदस्य कोई बात कहता है, कल आपने कहा कि हम उसे मानते हैं कि वह सत्य कह रहा है। हम आभारी हैं, क्योंकि यह परम्परा रही है, इस सदन में कभी भी कोई माननीय सदस्य खड़ा होकर कह देता था तो यह मान लिया जाता था कि वह सदस्य सत्य कह रहा है और सरकार उस पर कार्यवाही करती थी। आज इस सदन के सम्मानित नेता इस सदन में मांग कर रहे हैं, अनुरोध और अपेक्षा कर रहे है नेता सदन से, माननीय मुख्य मंत्री जी से कि कोई राजनीतिक विषय नहीं है। यह भी नहीं है कि दलगत भावनाओं से यह बात कह रहे हैं। .अखिलेश सिंह इस सम्मानित सदन के सदस्य हैं, पहली बार नहीं जीतकर आये हैं, तीन बार से वह सदस्य हैं। आपने सदस्य के रूप में उनके आचरण को देखा है, व्यवहार को देखा है, कार्यशैली को देखा है। आज यह सदस्य अभियुक्त अंकित हुआ है। तो क्या इसलिये आप के विश्वास का विषय नहीं हो सकता है कि जिस विधायक को मुल्जिम बनाया उस विधायक को कितनी जल्दी वहां की पुलिस ने भगौड़ा बनाकर इनाम घोषित कर दिया। मान्यवर, बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है, बहुत से मुकदमें लगे हैं जब जनता ने प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि के रूप में चुन लिया है। मुझे नहीं याद है कि आजादी के बाद किसी दल के किसी विधायक पर इनाम घोषित हुआ हो। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले दिनों अपने कथन का उल्लेख किया। आज उनके ऊपर भी इनाम घोषित करने की बात नहीं होगी। स्थानीय पुलिस इस तरह से करे तो स्वाभाविक है कि स्थानीय पुलिस से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वह निष्पक्ष विवेचना करे। यह कोई दलगत नहीं है। कोई ऐसी परम्परा न डालें, जो सार्वजनिक जीवन को कलुषित करती हो। मान्यवर, केवल सी० बी० सी० आई० डी० की जांच के लिए, जांच को परिवर्तित करने की बात हम करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर राजनीतिक मतभेदों के आधार पर दूसरे दलों के लोगों के प्रति ऐसा किया जायगा तो सार्वजनिक जीवन कठिन हो जायगा। किसी सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति को भगोड़ा घोषित करके, उसके ऊपर इनाम घोषित करना उचित नहीं है। आज लखनऊ और रायबरेली की पुलिस लगी हुई है उनकी समर्पण करते समय हत्या हो सकती है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा गम्भीर विषय और कोई नहीं हो सकता है। मान्यवर, हम आपसे अपेक्षा करते हैं, इस सदन में बहुत से ऐसे अवसर आये जब पीठ ने सम्मानित विधायकों के अधिकारों की रक्षा की है, विधायकों के संसदीय अधिकारों की रक्षा की है, परम्पराओं और सदन की गरिमा की रक्षा की है। सार्वजनिक जीवन में इस तरह के मुकदमें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण होते हैं जो जांच का विषय हो सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर जी० डी० में तत्काल उनको मुल्जिम क्यों नहीं बनाया गया अगर बनाया गया होता तो जी० डी० न रुकी होती। पूरे रायबरेली शहर में कल 25 सौ हजार लोगों की भीड़ ने धरना दिया। अगर उन्होंने कोई कोई ऐसा काम किया होता, ऐसी घटना की होती तो रायबरेली की जनता घर से बाहर निकल कर न आती और न्याय की बात न करती। इस घटना के दौरान वह वहां नहीं थे यह बात विधायक ही नहीं कह रहे हैं उत्तर प्रदेश शासन ने उनको जो अंगरक्षक दिये हैं, उन्होंने एफीडेविट दिया है। वह शासन के कर्मचारी हैं वह अपने दायित्व को जानते हैं। 5 लोगों ने एक चीज के बारे में एफीडेविट दिया है। अगर 1-2-3 ने दिया होता तो और बात होती, 5 लोगों ने जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने एफीडेविट देते हुए कहा है कि वह लखनऊ में थे। यह सुरक्षा कर्मी अगर थाने पर लगे होते तो अपराधों की विवेचना करते, आज हमारी सुरक्षा में लगे हैं तो अपना एफीडेविट, बयान हल्फी देते हैं जिसकी कानूनी मान्यता होती है। पुलिस का रवैया पक्षपातपूर्ण है। इससे पहले एक भी ऐसा दृष्टांत नहीं है। मैं भारत की बात क्यों करूं, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं कि कोई बड़ी से बड़ी घटना हुई होगी, मंत्री की हत्या हुई होगी, विधायक की हत्या हुई होगी

लेकिन कभी इस तरह किसी विधायक के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा । मान्यवर, इसीलिए सी० बी० सी० आई० डी० से जांच कराने की मांग करते हैं ।

श्री घनश्याम शुक्ला–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मैं किसी सदस्य के विरोध में नहीं हूं । आज अखबारों में बयान छपा है उसमें उन्होंने कहा है कि मैं रहम की भीख नहीं चाहता । उन्होंने विधान सभा के माननीय अध्यक्ष को, इस पीठ को चैलेंज किया है ।

(शोर)

मेरी आवाज को इस तरह नहीं दबाया जा सकता । अगर विधायक अपराध करता है, सांसद अपराध करता है तो अपराधी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए ।

(मेजों की थपथपाने की आवाजें)

अगर कल को मैं कोई अपराध करता हूं तो मेरे खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए । उस परिवार को देखिए उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

बैठ जाइए । यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री घनश्याम शुक्ला–

यह अमर उजाला की कटिंग देखिए । उसने चैलेंज करके रायबरेली में उस व्यक्ति की हत्या करवाई है । इससे बड़ी दुख की बात कोई नहीं हो सकती है । अपराधी कोई भी हो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए । निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिए । इसलिए मैं इसको व्यवस्था के माध्यम से कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । बैठ जाइए ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है । एक विधायक का मामला है । इससे आपको भी बल मिलेगा जो बातें मैं कहना चाहता हूं । कोई भी मर्डर का मुकदमा जब नामजद करने वाला व्यक्ति जाता है तो तुरन्त लिखा जाता है इसमें 9 घंटे तक एफ० आई० आर० नहीं लिखी गई । पुलिस के लोग बार-बार इस बात को कहते रहे कि जब विधायक नहीं हैं तो उनका नाम आप लोगों को नहीं डालना चाहिए । यह केवल विधायक की बेइज्जती नहीं हो रही है बल्कि पूरे सदन की बेइज्जती हो रही है । जब कोई व्यक्ति किसी हत्या या अन्य मुकदमें में फंस जाता है तो वह हम विधायकों के पास आता है कि इसकी सी० आई० डी० जांच करवा दें । लेकिन इसमें एक सी० आई० डी० जांच करवाने के लिए पूरा सदन कह रहा है । इतने दिनों से हम लोग कह रहे हैं । सी० आई० डी० इन्क्वायरी के लिए । इससे यह संदेश जाएगा कि यह विधायक निरीह हैं जब इतने लोग एक मामले की सी० आई० डी० जांच नहीं करवा सकते हैं तो हमारी जांच कैसे करवाएगे । यह जनता सोचेगी । इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी कोई हैसियत नहीं है । अध्यक्ष जी आप हम सभी सदस्यों के संरक्षक हैं । इस समय नेता सदन भी उपस्थित हैं अगर वह सहमत हैं सी० आई० डी० जांच के लिए तो ठीक है । नहीं तो आप तत्काल सरकार को निर्देशित करें कि इस मामले की सी० आई० डी० जांच करवाई जाए ।

श्री उदयभान करारिया–

मान्यवर, इस विषय पर मैं व्यक्तिगत जानकारी रखता हूं । इसी सदन में मैं नया विधायक के रूप में आया हूं । मैं पहली बार बोल रहा हूं । पिछली बार जब विधान सभा का सत्र हुआ था तो इसी विधान सभा सदन में पीछे की कुर्सी पर.....

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री उदयभान करवरिया–

बैठा था । पाण्डे परिवार मुझसे भी सम्बन्धित है । जब मुझे सूचना मिली थी तो मैं और मेरे साथी दो तीन विधायक हैं । यहीं पर पीछे बैठकर मैंने माननीय अखिलेश जी से बात की थी कि वह लोग शुद्ध रूप से राजनीतिक व्यक्ति हैं उनकी हत्या का प्रयास मत करिये । तो उन्होंने कहा था कि मेरी स्थिति यह हो गई है कि वह राजनीतिक विरोध कर रहे हैं इसलिए मैं अपने आपको गोली मार लूं या उनको जान से मार दूं । ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सी० बी० सी० आई० डी० का सहारा लिया जाएगा । इससे तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था समाप्त हो जाएगी । मान्यवर, इस घटना के विषय में मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को घटना के पूर्व लिखा था कि श्री पाण्डेय की हत्या करने के लिए ऐसे-ऐसे षडयन्त्र रचे जा रहे हैं । मान्यवर, ऐसा व्यक्ति जो अपराधी है.....

श्री अध्यक्ष–

बैठ जायं ।

श्री उदय भान करवरिया–

मान्यवर, ऐसे अपराधी को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जानी चाहिए । हम इसका घोर विरोध करते हैं । विधायक हो जाने का मतलब यह नहीं है कि किसी की भी हत्या कर दें और छूट जायं.....

श्री अध्यक्ष–

चर्चा नहीं हो रही है, कृपया बैठ जायं ।

श्री उदयभान करवरिया–

मान्यवर, 48 मुकदमें हैं उनके खिलाफ । मेरे पास कागज मौजूद हैं । मान्यवर, उन्होंने राकेश पाण्डेय और मनोज पाण्डेय की हत्या कर दी । ऐसे लोगों के लिए इस सदन में, मैं दुर्भाग्य समझता हूं कि बचाने का प्रयास किया जाय । हमारे सीनियर विधायक प्रमोद कुमार जी बैठे हैं, कल मेरी सुरक्षा के लिए ऐसे इन्होंने प्रश्न उठाया था, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह से कांड किया है, बचाने के लिए प्रयास किये जाते हैं तो मान्यवर, इससे सदन की मर्यादा भंग होती है । इस प्रकार के क्रिमिनल को किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए ।

(श्री अम्बिका चौधरी का नाम पुकारे जाने पर, कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अम्बिका चौधरी जी को मैंने पुकार लिया है । चौधरी जी अपनी बात कहें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, इतने संवेदनशील प्रश्न पर जिस तरह से प्रमोद कुमार जी ने इस सूचना पर जिन शब्दों में और जिस लहजे में जिस गम्भीर विषय पर जैसी याचना रखी है इस सदन के समक्ष, श्रीमन्, आपके समक्ष, इतने गम्भीर विषय पर मान्यवर, कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, यह ठीक बात नहीं है । मैं तो बहुत ही विनम्रतापूर्वक जो तथ्य रखे गये हैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं, अति संक्षेप में दो बातें कहना चाहता हूं । श्रीमन्, जितनी जांच की एजेन्सियां हैं । जांच अगर सरकार मुनासिब समझे । सबसे पहले कोई घटना होती है तो एफ० आई० आर० नजदीक के थाने में उसी हलके में दर्ज की जाती है । यदि वहां नहीं हो पाती है तो सी० आर० पी० सी० के नियमों के अनुसार जिस थाने की

घटना हो वहां भेज दी जाती है और दूसरी एजेन्सी सी० बी० सी० आई० डी० है। कतिपय परिस्थिति ऐसी आती है, आवश्यकता यह पड़ती है तो लोकल थाने से जांच न कराकर सी० बी० सी० आई० डी० से जांच करा ली जाय। सरकार का पक्ष यह नहीं होता है कभी भी कि स्थानीय पुलिस ठीक से जांच नहीं कर सकती। सी० बी० सी० आई० डी० छोड़ने के लिए जांच करेगी। मान्यवर, दोनों के इनवेस्टीगेशन का महत्व सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत बराबर है। अगर इस तरीके से बात रखी जायेगी कि सी० बी० सी० आई० डी० में जांच के लिए भेजना ठीक नहीं है, वहां जाने पर अपराधी छूट जाता है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि सी० बी० सी० आई० डी० से जांच का आदेश सरकार करती है तो यह अर्थ नहीं माना जाना चाहिए कि अपराधी उससे छूट जायेगा। मान्यवर, लोगों को इस तरह का भ्रम है इसलिए ऐसी बात की जा रही है। हम नहीं कह रहे हैं कि अपराधी हैं तो छूट जायें। आम धारणा यह है कि स्थानीय पुलिस पर दबाव बन जाता है और सी० बी० सी० आई० डी० से जांच में दबाव नहीं होता है वह दबाव से प्रभावित नहीं होती है इसलिए स्थानीय पुलिस के ऊपर यह सी० बी० सी० आई० डी० जांच का प्राविधान है। दूसरी बात वह ऐसे तथ्य हैं, पुष्ट तथ्य हैं। सशपथ 5-5 पुलिस कर्मी बयान देते हैं। घटना के समय वह उस जनपद की सीमा में मौजूद नहीं थे यह पर्याप्त साक्ष्य है जिसके आधार पर इस बात की विवेचना की जानी चाहिए कि वह वास्तव में वहां मौजूद थे या नहीं। एक तरफ यह तथ्य जुटाने वाली पुलिस है और दूसरी तरफ उनको जिन्दा या मुर्दा गिरफ्तार करने के लिए ढाई हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। पांच-पांच पुलिस कर्मियों का तथ्य था कि जिस समय घटना हुई वह मौजूद नहीं थे। यह सही है कि वह एजेन्सी जो पक्षपात में लगी मालूम होती है उसके द्वारा निष्पक्ष जांच न हो। हम बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं, मुझे आपसे यह बात कहने में संकोच नहीं हो रहा है कि कदाचित इसकी निष्पक्षता से जांच कराने की पक्षधर सरकार नहीं है। मात्र इतनी बात नहीं है पहले जानबूझकर पुलिस कर्मियों को दूसरी तरफ से कोई निर्देश दिये गये इसलिए शायद ज्यादा कठिनाई आ रही है। इस बात को स्वीकार करने में जो इतनी सी बात है, नेता सदन मौजूद हैं, हम ये सदन का सौभाग्य मानते हैं इस अहम सवाल पर निर्णय करने वाली व्यक्ति माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं, मैं आपके माध्यम से सीधे-सीधे उनसे अनुरोध करना चाहता हूं तत्काल इस माननीय सदन के जो इस सम्मानित सदन के सदस्य का प्रकरण है, बहुत बड़ी दया या कृपा नहीं करनी है आप जिस ऐजेन्सी को सी० बी० सी० आई० डी० को ज्यादा विश्वसनीय मानती हैं, जब-जब संदर्भ आते हैं चाहे वह माननीय रामकुमार वर्मा जी का मामला हो चाहे सदन में बैठे दूसरे अन्य माननीय सदस्यों का मामला हो, इसमें सी० बी० सी० आई० डी० की जांच इसलिए कही जाती है कि पुलिस जांच निष्पक्षता से नहीं कर पाएगी उसकी जांच सी० बी० सी० आई० डी० से कराई जाए तो मान्यवर, आप कृपापूर्वक सरकार को निर्देश देने की कृपा करें कि स्थानीय पुलिस की बजाए इसकी जांच सी० बी० सी० आई० डी० से कराई जाए। जैसा प्रमोद तिवारी जी ने कहा इतिहास के आइने में जब खड़े होंगे तो आने वाली पीढ़ियां हिसाब मांगेंगी। मान्यवर, इसमें हम सी० बी० सी० आई० डी० की जांच की मांग करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि आप सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें कि जांच सी० बी० सी० आई० डी० से कराई जाए। नियम-311 के अन्तर्गत सूचना दी है मैं अनुरोध करता हूं कि सदन के समस्त नियमों को निलम्बित करके इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री उदयभान करवरिया–

मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं.....

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मेरा मान्यवर, अनुरोध है कि इनसे पूरी जानकारी ले ली जाए और सी० बी० सी० आई० डी० के जो इन्वेस्टिगेशन अफसर हों उसका पहला गवाह इनको रख लिया जाए। चाहे वह हत्या स्थल पर मौजूद रहे हों.....

(व्यवधान)

इन्वेस्टिगेशन अफसर को यह हिदायत हो जाए कि पहला बयान माननीय विधायक जी का हो, चाहे यह हत्या के प्रत्यक्षदर्शी हों तो पहला गवाह इनको बनाया जाए....(व्यवधान) हो सकता है कि ये हत्या स्थल पर मौजूद हों तो इनकी गवाही सबसे पहले दर्ज की जाए ।

श्री अध्यक्ष–

जो सूचना आपको देनी है शासन को सूचना दीजिए । कल इस सदन में.....(व्यवधान) शान्ति बनाये रखें । कल इस सदन में विश्व बैंक के एक पत्र के संदर्भ में मैंने यह आशा व्यक्त की थी.....

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मान्यवर, कृपया विषय परिवर्तन न करें मैं इसका अनुरोध करूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

मैं विषय परिवर्तन नहीं कर रहा हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

आप विश्व बैंक की बात कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

तिवारी जी, मैं जो कह रहा हूं पहले मेरी पूरी बात तो सुन लें । कोई जरूरी नहीं है कि आप बीच में खड़े होकर बोलने लगें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह भी कोई जरूरी नहीं है कि [× × ×] से बोलें ।

श्री अध्यक्ष–

जोश से बोलेंगे तो जवाब भी जोश से ही मिलेगा । पहले मेरी बात तो सुन लें मैं क्या कहने जा रहा हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने याचना का अनुरोध किया है इस पर भी आप [× × ×] में बोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

आपको यही भाषा समझ में आती है तो क्या किया जाय । कल विश्व बैंक के पत्र के संदर्भ में मैंने यह अपेक्षा की थी और यह आश्वासन भी दिया था कि माननीय मुख्य मंत्री जी आयेंगी और अपनी बात कहेंगी । मुख्य मंत्री जी आज उपस्थित हैं । उनके सामने अखिलेश सिंह जी का भी प्रकरण आया है तो मैं यह अपेक्षा करता हूं कि इस सम्बन्ध में, और दूसरा जो प्रकरण अम्बेडकर गांव वाला है दोनों प्रकरणों में अपनी बात को रख दें । पूरी बात आप सुनेंगे नहीं और बोलने लगेंगे ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, विपक्ष की ओर से माननीय सदस्य श्री अखिलेश सिंह जी के सम्बन्ध में प्रश्न खड़ा किया गया है कि पुलिस में एफ० आई० आर० दर्ज है, हत्या का मामला उनके खिलाफ लगाया गया है। एक तरफ तो एक पुलिस कहती है कि वह मौजूद थे और दूसरी तरफ दूसरे पुलिस वाले जो उनके

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

अंगरक्षक थे वह यह एफीडेविट देते हैं कि वह घटना के समय उपस्थित नहीं थे, उपस्थित क्या वह तो जिले की सीमा से भी बाहर थे । तो इसमें संदेह पैदा होता है । विपक्ष की ओर से यह मांग नहीं उठायी जा रही है कि उनके खिलाफ जो मुकदमा कायम हुआ है या एफ० आई० आर० दर्ज हुई है उसको वापस ले लें । मांग केवल इतनी ही है कि स्थानीय पुलिस कहीं दबाव में काम न करे, जबकि स्थानीय पुलिस भी इसी सरकार के अधीन काम करती है और सी० बी० सी० आई० डी० भी इसी सरकार के अधीन काम करती है, इसमें निष्पक्षता में कहीं कोई खतरा नहीं है, तो क्यों नहीं मुख्य मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेती हैं । मान्यवर, मैं पुरजोर शब्दों में यह मांग करता हूं कि सारे प्रकरण की जांच सी० बी० सी० आई० डी० से करायी जाय । अगर वह उसमें दोषी पाये जायें तो उनको सजा दीजियेगा और अगर नहीं पाये जाते हैं तो छोड़ दीजियेगा मैं इस पर बल देता हूं । केवल जिद में आकर कि नहीं करना है यह उचित नहीं होगा ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता राष्ट्रीय क्रान्ति पार्टी ने जो बात कही है, इसी सदन में मैं कटौती का प्रस्ताव रख रहा था तो उस समय एक घटना हुई और मुझे अभियुक्त बनाया गया था । मैंने भी सी० बी० सी० आई० डी० की जांच की मांग की थी लेकिन इन्होंने नहीं माना । आज जो माननीय नेता ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं मैं इनकी निन्दा करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी निन्दा नहीं आलोचना कहें ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि अखिलेश सिंह जी और तिवारी जी में जमीन आसमान का अन्तर है ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, मैं कटौती का प्रस्ताव रख रहा था और मुझे अभियुक्त ठहराया गया था ।

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका आभार प्रकट किये बगैर मैं इस वक्त नहीं रह पाऊंगा और इसलिए कि हमारे बीच सदन चलते हुए मान्यवर, इस सदन के चलते हुए कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जब ऐसा लगता है कि एक पक्ष ज्यादती कर रहा है लेकिन आपके पहले बहुत से निर्णय हैं जिसमें हमें आपका संविधान के बल पर आपका बड़प्पन प्राप्त रहा है, एहतराम प्राप्त रहा है । ऐसा ही एक मामला कल सदन में आया था और कल आपकी तरफ से निर्देश हुआ और नतीजा हमारे सामने है ।

मान्यवर, यह मैं कटाक्ष के रूप में नहीं कह रहा हूं, और न एतराज के रूप में कह रहा हूं मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज इस सदन का माहौल देखा जा सकता है । मैं प्रतिपक्ष का नेता हूं, और मैं रात तक बैठता हूं और यह इसलिए बैठता हूं कि मेरे होने से मेरे साथियों का मनोबल बढ़ता है । मेरे रहने से मेरे साथियों को अहसास रहता है अगर कोई बात ऊंच-नीच की होगी तो मेरे दिल में आएगी तो मैं उसे आपके माध्यम से सदन में रख सकूं । मान्यवर, मुझे अपने 20–22 साल के तजुर्बे में कई मुख्य मंत्रियों के साथ सीखने का मौका मिला और मैं बताना चाहता हूं कि इनमें से कोई भी मुख्य मंत्री चाहे वह कितने ही बड़े स्तर का रहा हो इस सदन का कभी अपमान नहीं किया, यह बात मैं अपने राजनीतिक तजुर्बे के एतबार पर कह रहा हूं । सदन के अपमान का यह अर्थ नहीं कि उन्होंने गाली-गलौज की । सत्रकाल में लखनऊ में रहते हुए नेता सदन का सदन में न आना सदन का अपमान है । यह हमारा अनुभव है कि सदन के नेता के रहने से दोनों पक्षों को फायदा मिलता है । नेता सदन को

मालूम हो जाता है कि हमारी समस्याएं क्या हैं। नेता सदन के रहने से अधिकारियों को भी अहसास रहता है कि नेता सदन के सामने उनकी शिकायतें आयी हैं। इससे नेता सदन की जानकारी बढ़ जाती है, जिज्ञासा बढ़ जाती है। इससे नेता सदन को फैसले लेने में मदद मिलती है। अधिकारी भी डरते हैं कि मुख्य मंत्री के सामने शिकायतें आई हैं। सदन के पूरे दिन की कार्यवाही पढ़ने का माननीय मुख्य मंत्री को समय नहीं मिल सकता है। मान्यवर, जब तक बजट सत्र में संवैधानिक बाध्यता थी तब तक वह सदन में बैठीं। कल सिर्फ 5 मिनट के लिए नेता सदन का विधान सभा के अन्दर आना सदन की तौहीन है बल्कि मैं तो यह कहना चाहता हूं कि 17 करोड़ जनता का नेतृत्व करने वाला यह सदन आज बहुत गम्भीर हालत से गुजर रहा है। सूखे की मार खत्म नहीं हुई है। 5-6 दिनों से गर्मी से किसानों का बुरा हाल है। आपके निर्देश पर नेता सदन यहां हैं उन्हें यह बताना चाहिए कि विश्व बैंक ने किन-किन कारणों से उत्तर प्रदेश की सरकार को पैसा देने से इंकार कर दिया है ? हमने आपकी भी टिप्पणी देखी है मान्यवर, आपकी भी यह जिज्ञासा थी कि नेता सदन को हाउस में रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए। इसलिए यह कहना चाहूंगा कि अहम मुद्दे सदन में रखे गये थे। एक अहम मुद्दा एक साथी के बारे में रखा गया है जो 11 बजे से आपकी जानकारी में है। मान्यवर, जब मैं 1980 में पहली बार चुनकर आया था तो कोई विधायक अपने साथ गनर की मांग करता था तो मैं कहता था कि ऐसे विधायक को राजनीति में रहने का कोई हक नहीं होना चाहिए जिसे अपने ही चुने हुए लोगों से खतरा हो गया हो। लेकिन आज बहुत कुछ बदल गया है आज जरूरी हो गयी है सुरक्षा। सुरक्षा छोटे नेता की, बड़े नेता की जरूरी हो गयी है। वहीं जनता की भी सुरक्षा जरूरी हो गयी है वह कितनी हो रही है वह मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। मान्यवर, जो एहसास पैदा हुआ है टकराव का और इस एहसास को मुख्य मंत्री को समझना चाहिए और कोई न कोई रास्ता ऐसा निकालना चाहिए जिससे ना आपस में टकराव हो और न विपक्ष और सत्ता पक्ष का टकराव हो। अगर कोई टकराव हो सकता है तो हमारा जमीनी टकराव हो हमारा राजनीति का टकराव हो। हमारे किसी फायदे का टकराव हो वह भी नहीं होना चाहिए। इसलिए इस मुद्दे पर सी० बी० सी० आई० डी० की जांच के मुद्दे पर कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए। मान्यवर, आपसे आश्वासन चाहकर बैठना चाहूंगा कि आपका एक निर्देश होना चाहिए नेता सदन के लिए, आप इस हैसियत में हैं और नेता सदन को कतई अधिकार नहीं होगा कि आपके निर्देशों के बारे में एक भी शब्द कहने की हिम्मत कर सकें। सदन की अवमानना न हो लखनऊ में रहते हुए एक मिनट के लिए चाहे नेता सदन यहां आयें नेता सदन को आना चाहिए।

मुख्य मंत्री (कुमारी मायावती)–

माननीय अध्यक्ष जी, चार ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं या विषय हैं जिसके ऊपर विपक्ष में बैठे हुए विभिन्न पार्टियों के नेतागण, माननीय सदस्यगण सरकार का जवाब जानना चाहते हैं और खासतौर से वह नेता सदन से जवाब जानना चाहते हैं। और आपने कल इनकी भावनाओं की कद्र करते हुए कुछ विषयों को लेकर अपनी एक इच्छा जाहिर की थी कि नेता सदन यदि खुद कुछ महत्वपूर्ण विषयों का जवाब दें तो अच्छा होगा। आपकी बात पर अहमियत देते हुए मैं उन विषयों के बारे में मैं अपनी बात रखना चाहती हूं।

कल सदन में विश्व बैंक का मामला उठा।

(समय 2.30 बजे)

चिट्ठी को लेकर किस्म-किस्म की बातें सदन में रखी गयीं मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहती। किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहती हूं। हो सकता है कि विपक्ष में माननीय सदस्यों को उसकी सही जानकारी न हो इसलिए उन्होंने अपने-अपने हिसाब से बात चाहे विश्व बैंक के लेटर के बारे में या डाक्टर अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के बारे में रखी हैं मैंने यह सोचा कि कोई गलतफहमी न रहे, उसे मुझे

आपके माध्यम से सदन में स्पष्ट कर देना चाहिए । जहां तक विश्व बैंक के लेटर का सवाल है या विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश में कुछ योजनाओं को लेकर जो आर्थिक सहायता दी जाती है उसके रोंकने का सवाल हो, यह मामला सदन में उठा इसको मैं स्पष्ट करते हुए यह बताना चाहती हूं कि विश्व बैंक का प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है इसमें कोई दो राय नहीं है । वर्तमान में कृषि, सिंचाई, ग्राम विकास, ऊर्जा एवं शिक्षा आदि के लिए सहायता प्राप्त हो रही है । यह सहायता भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त होती है और समय-समय पर विश्व बैंक के अधिकारी भी इसकी समीक्षा करते हैं, तथा प्रदेश में तेजी से काम हो, इसके लिए निरन्तर मुख्य सचिव तथा संबंधित विभागों द्वारा इसकी गहन समीक्षा की जाती है । जहां तक विश्व बैंक के द्वारा यह कहना माननीय सदस्यों द्वारा कि उन्होंने कुछ तबादलों को लेकर कुछ नाराजगी जाहिर की है चिट्ठी के माध्यम से और डा० अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के लिए उन्होंने धनराशि देने से मना किया है इसको मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि अभी तक विश्व बैंक के द्वारा डा० अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के लिए एक भी पैसा नहीं दिया गया है । न 1995, 97 में, न वर्तमान में, लेकिन मई के महीने में, इसी साल मई के महीने में जब मैंने सत्ता सम्भाली, विश्व बैंक की टीम आई थी और उन्होंने मुझसे जो प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में चल रहे थे विश्व बैंक के द्वारा जिसमें उनको आर्थिक मदद दी जाती है उसके बारे में काफी विस्तार से बात की और उन्होंने काफी नाराजगी भी जाहिर की । विश्व बैंक की टीम ने यह कहा कि जिन प्रोजेक्ट के लिए हम पैसा भेजते हैं आपके प्रदेश में तो वह प्रोजेक्ट बराबर नहीं चल रहे हैं, काम बराबर नहीं हो रहा है अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को बराबर नहीं निभा रहे हैं और कुछ अधिकारियों के तो उन्होंने नाम मुझे बताये, कुछ प्रोजेक्ट्स में और मैंने उनको यह विश्वास दिलाया था मई के महीने में जिन-जिन कामों में जिक्र किया प्रोजेक्ट्स का और सम्बन्धित अधिकारियों का तो मैंने विश्व बैंक की टीम को यह विश्वास दिलाया कि मैं अधिकारियों के काम के बारे में जांच-पड़ताल करूंगी और यदि आपकी बात में मुझे सच्चाई नजर आई कि अधिकारियों की वजह से कुछ काम में ढीलापन हुआ है परियोजनाएं जो चल रही हैं, वह शिथिल तरीके से चल रही हैं तो हम अधिकारियों को हटाकर और अधिकारियों को उधर लगा देंगे । हमने छान-बीन की, पूरी रिपोर्ट मंगाई और रिपोर्ट के आधार पर हमें कुछ परियोजनाओं में सीनियर अधिकारियों को हटाना पड़ा । निचले स्तर के अधिकारी हमने नहीं हटाये । जिनके बारे में उन्होंने कहा हमने कुछ अधिकारी हटाये और उनकी जगह दूसरे अधिकारियों को लगाया । काम तेजी से शुरू हुआ और उन्होंने लेटर में इसकी प्रशंसा भी की है कि जो प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश में शुरू हो रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि काम तेजी से चल रहा है । तो जो कुछ हमने स्टेप्स लिया है वह विश्व बैंक की इच्छा के हिसाब से जांच पड़ताल के बाद यह स्टेप्स लिये थे। जहां तक डा० अम्बेडकर ग्राम योजना का सवाल है, यह कहना कि इस योजना के लिए अब पैसा नहीं मिलेगा, पहली बात तो अभी तक पैसा मिला ही नहीं था और अभी तक उन्होंने इस प्रोजेक्ट्स को कन्सीडर ही नहीं किया है । लेकिन मई के महीने में यह टीम मुझे मिली थी तो उन्होंने कहा था, इच्छा जाहिर की थी कि हम आन्ध्र प्रदेश में गांवों के लिए कुछ पैसा देते हैं । आपके यहां डा० अम्बेडकर ग्राम योजना जो है इसके माध्यम से ग्रामों का विकास करना चाहती हैं तो आप हमें इसका प्रोजेक्ट्स बनाकर दें तो हम इसके बारे में सोच विचार करेंगे । अभी उनके पास हमने केवल प्रोजेक्ट्स भेजा है । अभी पैसा सेंक्शन ही नहीं हुआ है । जब पैसा सेंक्शन कर दें तब तो कहा जाये कि सेंक्शन करने के बाद उन्होंने वापस ले लिया । अभी कोई बात ही किनारे नहीं पहुंची है और यह कह देना कि विश्व बैंक नाराज हो गया है और उन्होंने डा० अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के लिए पैसा देने से मना कर दिया है । ऐसा कुछ नहीं है, चिट्ठी हमारे पास है । उसका जवाब हमने दे दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है और जो हमने जवाब दिया है उससे वह जरूर संतुष्ट होंगे । विश्व बैंक ने अपनी चिट्ठी में किसी भी प्रकार की सहायता कम करने या रोकने के बारे में नहीं लिखा है । इसलिए मैंने यह स्पष्ट करना थोड़ा जरूरी समझा । डा० अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के बारे में भी यह बात उठायी गयी कि यह जो डा०

अम्बेदकर ग्राम विकास योजना है इसका बजट में जिक्र तो किया गया है लेकिन बजट में इस योजना के ऊपर कितना पैसा लगेगा, इसका जिक्र नहीं है । इसके बारे में भी मैं क्लियर करना चाहती हूं कि यह कोई अभी-अभी नयी योजना नहीं बनी है । कई साल इस योजना के बने हुए हो गये हैं और इसको इम्प्लीमेन्ट भी किया गया है । 1995 और 1997 में पूर्व में, मेरे दो मुख्य मंत्रित्व काल में 11,500 गांव हमने इस योजना के तहत डेवलप किये थे, विकसित किये थे । वर्ष 1995 में मुझे बजट रखने का मौका मिला है, 1997 में भी मिला । उस दौरान भी हमने डा० अम्बेडकर ग्राम विकास योजना का बजट में जिक्र किया था, लेकिन उसके लिए हमने अलग से कोई बजट का प्राविधान नहीं किया था । लेकिन डा० अम्बेदकर ग्राम विकास योजना में जिन कामों को किया जाना है, उससे सम्बन्धित जो विभाग हैं, जो इस योजना के अन्तर्गत कार्य कराये जायेंगे, इस योजना के तहत, हमने 2002-2003 के लिए 10 हजार ग्राम चयनित किये हैं । वर्ष 1995 और 1997 में 11,500 गांव चयनित किये गये थे, जिनको विकसित किया गया । उसमें क्राइटेरिया यह रखा गया था कि ऐसे ग्राम प्राथमिकता के आधार पर लेने हैं, जिन गांवों में शेड्यूल्ड कास्ट की 50 प्रतिशत या उसके आसपास आबादी होगी । अब यह गांव लगभग पूरे हो चुके हैं । लेकिन वर्ष 2002-2003 के लिए जो 10 हजार गांव चयनित किये गये हैं तो वह कुछ ही जिलों से नहीं लिये गये हैं । उत्तरांचल स्टेट बनने के बाद 403 विधान सभा की सीटें रह गई हैं । विधान सभा के हिसाब से हमने शहरों को छोड़कर, जो शहरी विधान सभा क्षेत्र की सीटें हैं, उनको छोड़कर जिसमें देहाती एरिया शामिल है, उनको लिया है, क्योंकि यह स्कीम देहातों के डेवलपमेंट के लिए बनी है। तो हमने 27 ग्राम प्रति विधान सभा के हिसाब से लिये हैं और इस हिसाब से 10 हजार गांव का लक्ष्य रखा है । अब किसी में कुछ कम या ज्यादा हो गये हैं, वह अलग बात है । लेकिन एवरेज 27 का रखा है । इस बार क्राइटेरिया यह नहीं रखा गया कि शेड्यूल्ड कास्ट की 50 प्रतिशत या उससे ऊपर आबादी हो । उस समय इस किस्म के जो ग्राम थे, उसके हिसाब से 11,500 गांव सब ले लिये गये थे लेकिन इस बार यह तय किया है कि प्रत्येक विधान सभा से जिसमें सबसे पहले वह गांव लिये जायेंगे जो बड़े-बड़े गांव हैं, उसमें आबादी के हिसाब से जो बड़े गांव हैं, वह लिये जायेगे । उसमें इस बार शेड्यूल कास्ट का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, यदि आबादी कम भी हो तो चलेगा । लेकिन इस बार बड़े गांव लिये जायेंगे, उसके हिसाब से 10 हजार गांव चयनित किये हैं । जहां तक इन गांवों का डेवलपमेंट करने का सवाल है । यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि दूसरी निधि से पैसा निकालकर लगायेंगे, ऐसा कुछ नहीं है । इसके लिए इस योजना के तहत 11 कार्यक्रम रखे गये हैं और इन 11 कार्यक्रमों के नोडल विभाग में क्रमशः लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, लघु सिंचाई विभाग हैं । इन सभी चयनित ग्रामों के लिए बजट में व्यवस्था सम्बन्धित विभागों द्वारा की जाती है और इन कार्यक्रम के संचालन लिये वित्तीय व्यवस्था राज्य जिला योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागों द्वारा की जाती है । इन गांवों में विद्युतीकरण और सम्पर्क मार्गों के लिए चूंकि ज्यादा खर्च आता है, इसलिए रिकवेस्ट किया है, इसका कोई जी० ओ० जारी नहीं किया है, इसके लिए रिक्वेस्ट की है कि विद्युतीकरण और सम्पर्क मार्गों के निर्माण के लिए सम्बन्धित विभागों के बजट प्राविधान के अतिरिक्त जो सम्बन्धत विभाग हैं, उससे मदद लेंगे तो इसके अतिरिक्त यू० पी० डास परियोजना, गन्ना विकास विभाग, वन विभाग, ग्राम विकास विभाग और जो विभाग हैं, उससे हम मदद ले सकते हैं और उनसे मदद लेकर दोनों क्षेत्रों में हम लोग कोशिश करेंगे कि विद्युतीकरण हो और सम्पर्क मार्ग भी बने । लेकिन जहां तक निधियों का सवाल है, सांसद निधि और विधायक निधि, इससे पैसा लिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है या पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड निधि से, ऐसा भी कुछ नहीं है । लेकिन 403 विधान सभा की सीटों में, इसमें कोई राजनीतिक द्वेष की भावना से फैसला नहीं लिया गया है । जो विपक्ष के एम० एल० ए० चुन कर आये हैं, उनकी भी विधान सभा उसमें आ जाती है, बिना आप लोगों की सलाह के काम नहीं होगा आपके भी विधान सभा क्षेत्र में सम्पर्क मार्ग और विद्युतीकरण का कार्य होना हो और उसमें दिक्कत आ रही है, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगी,

आप चाहे उसको माने या नहीं माने मैं जबरदस्ती अपना फैसला नहीं थोपूंगी, आप सोचते हैं विधायक निधि से हम पैसा निकाल कर इस पर पैसा लगायेंगे तो इस को मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि ऐसा नहीं है ।

अभी दिनांक 27-8-2002 को जनपद रायबरेली के थाना बछरावां क्षेत्र के अन्तर्गत एस० टी० एफ० द्वारा मुठभेड़ में दो लोग मारे गये और एक अभियुक्त स्वतंत्र कुमार को गिरफ्तार कर विस्तार से पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा रिमाण्ड पर लेने की कार्यवाही की जा रही है ताकि यह पता लग सके कि विधान सभा के किन लोगों से उसके सम्बन्ध थे, विधान सभा के परिसर में घुसा या नहीं, मंत्रियों से उसका सम्बन्ध था या नहीं, विधान परिषद् के नेताओं से सम्बन्ध था या नहीं क्योंकि अखबारों में छपा था कि फलां-फलां लोग उक्त लोगों से उसके सम्बन्ध थे, तो एस० टी० एफ० की रिपोर्ट के द्वारा मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि समाचार-पत्रों में प्रकाशित तथ्य हो या डायरी से सम्बन्धित तथ्य हों, वह सही नहीं है और जांच के दौरान यदि कोई तथ्य सामने आते हैं तो विधि के अनुसार कार्यवाही की जायेगी । चौथा मुख्य मामला है, कांग्रेस पार्टी के विधायक श्री अखिलेश सिंह जी का इसके बारे में मैं अपनी बात रखने से पहले मैं नेता प्रतिपक्ष को, क्योंकि वह फिर कहेंगे कि आखिरी मामला है और मेरी बात का जवाब नहीं दिया गया है इसलिए मैं उनकी बात का जवाब देना चाहती हूं कि नेता सदन को हाउस में रोज रहना चाहिए, लखनऊ में रहते हुए, अभी तो ये नेता प्रतिपक्ष हैं, इनके ऊपर सरकार की जिम्मेदारी नहीं है । मैं सदन का आदर और सम्मान करती हूं लेकिन मेरे ऊपर नेता सदन होने के साथ-साथ सरकार की भी और बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, तो व्यस्तता के कारण यदि मैं हाऊस में किसी महत्वपूर्ण चर्चा में उपस्थित नहीं हो पाती तो इसको माइण्ड नहीं करना चाहिए । जब भी मेरे पास समय होता है तो मैं आती हूं और महत्वपूर्ण मदों को गम्भीरता से लेती हूं जब यह दो-तीन महत्वपूर्ण मुद्दे सदन में उठाए गये थे तो सरकार की तरफ से पार्लियामेन्ट्री अफेयर मिनिस्टर ने उसका जवाब दिया लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं था तो मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन यह कहना कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मुझे मालूम है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या नेता सदन रोज बैठते थे, आप रिकार्ड उठाकर देख लें । सदन का हम आदर-सम्मान करते हैं, लेकिन अगर व्यस्तता के कारण मैं नहीं आती हूं तो इसको माइण्ड नहीं करना चाहिए । जब कल यह मामला उठा और मैं हाऊस आई विधान परिषद् में मैं गई थी, उस समय यहां नेता प्रतिपक्ष स्वयं मौजूद नहीं थे, पता नहीं कहां क्या खाने गये थे । मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि मैं सदन का आदर और सम्मान करती हूं लेकिन इनका भी मैंने जवाब देना जरूरी समझा, लेकिन जो चौथा सवाल है, जिसके ऊपर सदन में काफी गरमा-गरमी हुई है । श्री अखिलेश सिंह जी जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं । उनके प्रकरण को लेकर के यह मामला सी० बी० सी० आई० डी० को देना चाहिए । यह भी मामला उठा कि इनको यू० पी० पुलिस ने फरार होने का सर्टीफिकेट दे दिया है, भगोड़ा कह दिया है लेकिन यू० पी० पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं बोला है । माननीय अदालत के द्वारा यह कहा गया है कि वह जब फरार हो चुके हैं तो जो भी संबंधित पुलिस है वह प्रभावी कार्यवाही करे । उसी को ध्यान में रखकर रायबरेली जिले की पुलिस ने उनको पकड़ने के लिए कुछ स्टेप लिया है । मैं समझती हूं कि उन्होंने कोई द्वेष भावना से ऐसा नहीं किया है । या उनके ऊपर कोई राजनैतिक प्रेशर पड़ा है । मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है लेकिन इतना जरूर विश्वास दिलाना चाहती हूं कि विपक्ष के माननीय सदस्यों को या विभिन्न पार्टियों के नेताओं को जो विपक्ष में बैठे हुए हैं । हमारी सरकार कोई राजनैतिक द्वेष भावना से उनके साथ ज्यादती नहीं करेगी। पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी । मैं इसके ऊपर नजर रखूंगी और जहां तक सी० बी० सी० आई० डी० का सवाल है जब हमें पूरा भरोसा है कि पुलिस निष्पक्ष इस मामले में कार्यवाही करेगी, इसकी छानबीन करेगी, जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को सरकार के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि उनके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, निष्पक्ष

कार्यवाही होगी । लेकिन इस मामले की सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है और हमारी सरकार इसकी जरूरत नहीं समझती है ।

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

अध्यक्ष जी, हमारी बड़ी कमनसीबी है, मैं जितनी देर सदन में नहीं था, नेता सदन बस उतनी ही देर के लिए आई थीं । मैं बड़ी पाबन्दी से सुबह 11.00 बजे से लेकर रात 11.00 बजे तक रहता हूं। मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूं कि मैं आपको देख नहीं सका । आप बस उतनी देर के लिए तशरीफ लायी थी, जितनी देर मैं नहीं था । मैं इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं मानता अपने लिए भी और नेता सदन के लिए भी । जहां तक सारे सवालों का जवाब दिया है वर्ल्ड बैंक के लिए भी मैं दबाव नहीं डालूंगा कि आप वह लेटर दिखाइये या सुनाइये, इस उद्देश्य से बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं लेकिन जो आखिरी मुद्दा है, जो आखिरी मामला है सदन के एक सदस्य के सिलसिले में सी० आई० डी० की जांच की मांग की गयी है । मैं एक बात की गुजारिश ही आपके माध्यम से करना चाहता हूं । जाहिर है हमारा अपना अधिकार है, हम क्या करें कैसे अपनी बात सदन में प्रकट करें, कि वह माहौल न बने । उसको रोकने के लिए मैं एक बार फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उस दिन नेता सदन सदन में नहीं थीं, एक लम्बे इतिहास में, सभी को मालूम है कि प्रमोद तिवारी जी ने किसी मामले में, इतनी संजीदगी से, इतनी विनम्रता से, इतनी अजिजी से, भावुक होकर पूरे सदन में ऐसी मांग नहीं की । कई दिनों से मुसलसल पूरे सदन में यह चर्चा हुई । आज यह घटना विपक्ष के एक माननीय सदस्य के साथ हुई है और कल किसी के साथ हो सकती है । इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें । आज कोई जरूरत नहीं है, आज न सही, आज नेता सदन घोषणा न करें किसी दूरे दिन घोषणा कर सकती हैं । मैंने नेता सदन के यहां न रहने के बारे में जो कहा वह किसी बुरी भावना से नहीं कहा । आप जितना यहां बैठेंगी उतना ज्यादा हमें फायदा होगा । वह इसलिए होगा कि आपकी मौजूदगी में हम आपसे कहेंगे और उसमें आपका इंटरफियरेंस, दखलंदाजी होने से हमारे बहुत से मामले हल होंगे उससे हमारी कांम्टीट्यूंसी को फायदा होगा और आपकी इमेज अच्छी होगी । मैंने यह बात आपके भले के लिए, अपने भले के लिए इस प्रदेश के भविष्य के भले के लिए कही थी । इसमें आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी कि नेता सदन, सदन में रहकर जनता की समस्याओं को सुनती हैं । उससे एक मैसेज जायेगी पूरी जनता में । मैं फिर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में अपने विकार, अना का मसला न बनायें । इस सिलसिले में राय मशविरा करके, जांच के संबंध में, 2-3 दिन में कोई राय आ सकती है ।

सुश्री मायावती–

माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय के ऊपर, श्री अखिलेश सिंह के प्रकरण पर मैं नहीं चाहूंगी कि सदन का आगे का समय खराब हो । हमारी सरकार को पुलिस पर पूरा भरोसा है । वह निष्पक्ष रूप से मामले की जांच करेगी । जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी ।इसमें सी० बी० सी० आई० डी० की जांच की जरूरत नहीं है । हमारी सरकार इस बात से सहमत नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने अभी अपनी बात को कहते हुए यह कहा कि अखिलेश सिंह के मामले में सी० बी० सी० आई० डी० की जांच की जरूरत नहीं है । मान्यवर, मुख्य मंत्री ने यह भी कहा है कि उन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर पूरा भरोसा है । मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्री जी को सी० बी० सी० आई० डी० पर भरोसा नहीं है । क्या जिन मामलों की जांच सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा चल रही है उस पर भरोसा नहीं है । अब दो विकल्प हैं, आप पुलिस के द्वारा या सी० बी० सी० आई० डी० की जांच करा सकती हैं । आपने कहा कि आपको पुलिस पर भरोसा है । सी० बी० सी० आई० डी० भी आपके अन्तर्गत आती है तो इस पर

भरोसा क्यों नहीं है । सम्पूर्ण विपक्ष इस मुद्दे पर एक आग्रह कर रहा है । एक तरफ रायबरेली की पुलिस कह रही है कि वह रायबरेली में मौजूद थे और लखनऊ के 4 सुरक्षा कर्मी और एक और, 5 कह रहे हैं कि वह लखनऊ में थे । अब पुलिस के बयान में विरोधाभास है जिससे संदेह पैदा होता है । आपके अन्तर्गत दोनों विभाग हैं । जब पुलिस से विवाद हो गया है । तो सी० आई० डी० जांच करवाने में क्या दिक्कत है । सी० आई० डी० के किसी सेक्टर से जांच करवा लें किसी स्तर के अधिकारी से जांच करवा लें । चाहे इंस्पेक्टर स्तर का हो, एस० पी० स्तर का हो या डी० आई० जी०, आई० जी किसी स्तर का अधिकारी हो । क्या उन पर आपको भरोसा नहीं है । हमारे संदेह का कारण सुन लें । जिस उत्तर प्रदेश की पुलिस रायबरेली के एस० पी० और उसके अधीनस्थ लोगों ने यह परवाह नहीं की कि डेढ़ महीने हुए हैं एक विधायक की जांच का मामला है इतने दिनों में 2500 रुपये का इनाम घोषित कर दिया हो उससे आपको लगता नहीं है कि यह प्रीजूडिस है । कहीं न कहीं पुलिस नाराज है । पुलिस को लगता है कि हमें उनके खिलाफ कार्यवाही करनी है । यह आप के मुख्यमंत्रित्व काल की पहली घटना नहीं बल्कि जिस दिन विधान सभा पैदा हुई है आज तक की पहली घटना है कि एक विधायक को जिन्दा या मुर्दा पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया गया हो । क्या आप उस कलंक से मुक्त नहीं होना चाहती हैं । मैं नहीं चाहता कि यह कलंक आपके ऊपर लगे । आप नेता सदन हैं मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जिस भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर पूरा भरोसा है । तो क्या सी० बी० सी० आई० डी० पर भरोसा नहीं है । मेरा सरकार से आग्रह है प्रार्थना है, अनुरोध है कि इसे स्वीकार करते हुए इस मामले की जांच सी० बी० सी० आई० डी० से करवा लें । आप अपनी देख रेख में जांच करवा लें । समय भी निश्चित कर दें कि एक महीने दो महीने में जांच पूरी हो जाये । चाहे किसी स्तर के अधिकारी इंस्पेक्टर, एस० पी०, डी० आई० जी०, आई० जी० से करवा लें । जिस क्षेत्र के अधिकारी से चाहे करवा लें जिस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा हो । एक बार और जब माननीय सदस्य आत्मसमर्पण के लिए जाते हैं तो पूरी अदालत को छावनी बना दिया जाता है । जिसके कारण बार एसोसियेशन के अध्यक्ष सड़क पर आ जाते हैं । मजबूर होकर डी० जे० साहब अपना चेम्बर छोड़ देते हैं और न्यायालय से पुलिस को निष्कासित कर देते हैं । मेरी निश्चित जानकारी है कि रायबरेली पुलिस ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रही है जो अखिलेश सिंह के राजनीतिक दुश्मन हैं उनसे कहती है कि अखिलेश सिंह को मार दो कोई गुनाह नहीं होगा । आखिर सम्पूर्ण विपक्ष इस बात को कह रहा है कि इसकी सी० बी० सी० आई० डी० जांच करवा लें । अगर मुख्य मंत्री जी अपने स्पष्टीकरण में यह कह दें कि हमें सी० बी० सी० आई० डी० पर भरोसा नहीं है तो मुझे कुछ नहीं कहना है ।

सुश्री मायावती–

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रमोद तिवारी को यह बताना चाहती हूं कि श्री अखिलेश सिंह जी ने 20-8-2002 को हाईकोर्ट में रिट दायर की थी जिसमें उन्होंने तीन मांगें रखी थीं । एफ० आई० आर० को खारिज किया जाए, गिरफ्तारी के जो आदेश दिये गये हैं उसके ऊपर स्टे लगाया जाए, जो विवेचना है वह सी० बी० सी० आई० डी० को दी जाए । हाई कोर्ट ने जो उनकी तीन मांगें थी उनको खारिज कर दिया था ।

श्री प्रमोद कुमार–

उनके सहयोगी की रिट खारिज हुई थी ।

सुश्री मायावती–

माननीय अध्यक्ष जी, श्री प्रमोद तिवारी जी ने यह भी कहा कि इनकी रायबरेली की जो पुलिस है, उसके ऊपर भरोसा नहीं है, सी० बी० सी० आई० डी० पर नहीं है । ऐसी बात नहीं है ।

सी० बी० सी० आई० डी० को तब दी जाती है, जब लगता है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी को बराबर नहीं निभा रही है । जब हमको पूरा भरोसा है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी और निष्ठा से निभा रही है तो इस मामले को कोई सी० बी० सी० आई० डी० में देने की जरूरत नहीं है ।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

पाल जी पूरी बात आ गयी है ।

(कांग्रेस के श्री प्रदीप कुमार, श्री बिजेन्द्र सिंह, श्री दिनेश सिंह तथा श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" के साथ विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये माननीय अध्यक्ष जी न्याय दो, की मांग करते हुए नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण कर लें ।

(सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर कहने लगे कि बदले की भावना से इस प्रकार का काम किया जा रहा है)

(नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

मैं 3 बजकर 45 मिनट तक के लिए सदन को स्थगित करता हूं ।

(व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 3 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही 3 बजकर 45 मिनट के लिए स्थगित कर दी । 3 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

(सदन के पुनः प्रारम्भ होने पर)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आसन ग्रहण करें ।

(विपक्ष के श्री राम लाल अकेला, श्री जगदम्बिका पाल, श्री नूर मोहम्मद, श्री दिनेश सिंह, श्री श्याम नारायण, श्री शमीमुल हक, श्री प्रदीप माथुर, श्री उदयराज के साथ अनेक माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गए)

(घोर व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (फ्लोर से)–

मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि पुलिस पर भरोसा है, तो रामकुमार जी के मामले में क्यों भरोसा नहीं था । इन्द्रदेव के मामले में जब रामकुमार जी को मुल्जिम बनाया गया तो क्या पुलिस पर भरोसा नहीं था ।

(घोर व्यवधान)

(माननीय सदस्यों द्वारा सदन के फ्लोर पर नारे लगाये जाने लगे)

(घोर व्यवधान)

नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 29-8-2002 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 34 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं, उनके नाम हैं–1–श्री राम गोविन्द चौधरी, 2–श्री जगन प्रसाद गर्ग, 3–चौ० बाबूलाल, 4–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, 5–श्री देवेन्द्र नाथ पाल, 6–श्री शहजिल इस्लाम एवं 7–श्री डा० कौशल किशोर।

(घोर व्यवधान)

श्री राम करन आर्य तथा श्री राकेश कुमार वर्मा जी की सूचनाएं प्रतीक्षा सूची में रखी गयी हैं।

(घोर व्यवधान)

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत की गयी हैं उनके नाम निम्नलिखित हैं :–1–श्री बाबूलाल कुशवाहा, 2–श्री मदन गोपाल वर्मा, 3–श्री सिद्ध गोपाल साहू, 4–डा० वकार अहमद शाह, 5–श्री महबूब अली, 6–श्री रामजीत राजभर, 7–श्री विश्राम सिंह यादव, 8–श्रीमती उषा वर्मा, 9–श्री कैलाश चौरसिया, 10–श्री जियाउद्दीन रिजवी, 11–कु० सन्ध्या कठेरिया, 12–श्री मिथलेश कुमार, 13–श्री देवेन्द्र पाल सिंह, 14–श्री कालीचरन राजभर, 15–श्री राम किशुन, 16–श्री काजिम अली खां, 17–श्री राजेन्द्र सिंह चौहान, 18–श्री उदयराज यादव, 19–श्री रामवीर सिंह यादव, 20–श्री प्रागीलाल अहिरवार, 21–श्री सुरेश कुमार खन्ना, 22–डा० विनोद तिवारी, 23–श्री माता प्रसाद पाण्डेय, 24–श्री राम विशुन आजाद, 25–श्रीमती विद्या चौधरी।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी जाती हैं।

(सूचनाएं संलग्न हैं)

बलिया जनपद के ब्लाक हनुमानगंज के ग्राम अराजीमाफी की सागरपाली के वर्तमान प्रधान द्वारा धोखाधड़ी करके गलत तरीके से फर्जी प्रमाण-पत्र के द्वारा प्रधान पद हथियाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम गोविन्द चौधरी–

[महोदय, बलिया जनपद के ब्लाक हनुमानगंज के ग्राम आराजीमाफी सागरपाली का प्रधान पद पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित था। वर्तमान प्रधान नसीम अहमद जो मुसलमान हैं। मुसलमान में पठान जाति का है। प्रधान पद हड़पने के लिए इसने फर्जी प्रमाण-पत्र मुसलमान के पिछड़ी जाति "मोमिन अंसार" का बनवाकर पिछड़ी जाति के आरक्षित पद से चुनाव लड़ा था तथा जीत भी गया। इस प्रकार सरकार की आरक्षण नीति को धोखा देकर वर्तमान प्रधान नें आरक्षण नीति को ही चुनौती दे दी है। जब जनता को इस बात का पता चला तथा प्राइमरी पाठशाला आराजी माफी सागर पाली से इनका शैक्षिक प्रमाण-पत्र (टी० सी०) लिया गया तो उनकी जाति "पठान" लिखा पाया गया। यह देख एवं सुनकर लोगों में हड़कम्प मच गया। प्रधान के इस कृत्य से लोगों के मन में सरकार एवं उसके

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आरक्षण नीति से क्षोभ एवं अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है । इसलिए सरकार एवं शासन से मांग करता हूं कि तत्काल प्रधान को बरखास्त कर (420), धोखाधड़ी का मुकदमा चलाया जाये । अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।]

आगरा शहर के कई मोहल्लों में व्याप्त भारी गन्दगी एवं जलभराव की समस्या का निदान करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगन प्रसाद गर्ग–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सम्मानित सदन के सम्मान में भारत के ऐतिहासिक शहर आगरा में व्याप्त भारी गन्दगी, जल भराव, उफनते हुए नाले, खुले हुए मेनहोल, पड़े हुए कूड़े और गन्दगी के ढेर और उनको कुरेदते हुए सुअर, गड्ढा युक्त सड़कें, बल्ब रहित खम्भे आदि की समस्या से अवगत कराना चाहता हूं । रोशन मोहल्ला नुनहाई, बल्केश्वर, नूरी दरवाजा, कमलानगर, न्यू आगरा आदि क्षेत्र उक्त समस्याओं से ग्रस्त हैं । कमला नगर आज तक नई डामर सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है । बरसात से मच्छर, मक्खियों के कारण अनेक संक्रामक रोगों का प्रकोप शुरू हो गया है जिसके कारण महामारी फैलने की स्थिति उत्पन्न हो गयी है ।

अतः मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से उक्त समस्या का निदान शीघ्र कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत खारी नदी पर वर्ष 1990-91 में स्वीकृत अपूर्ण मौरी चैकोरा चैकडेम को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

चौधरी बाबूलाल–

[मान्यवर, जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में खारी नदी पर मौरी और चैकोरा ग्राम के बीच में मौरी चैकोरा चैक डैम के नाम से योजना 1990-91 में स्वीकृत हुई थी और चैक ड्रैम को ग्रामीण अंभियंत्रण विभाग द्वारा बनवाया जा रहा था । चेक ड्रेम पर कुछ कार्य हो भी गया था तथा बहुत सा सामान मौके पर आ गया था तदः विभाग के कर्मचारियों आज तक यह योजना करीब 10-12 साल से अधूरी पड़ी हुई है । इस योजना से करीब 10-12 ग्रामों को लाभ मिलता, जल स्तर उठता तथा 10-12 ग्रामों में सिंचाई से खाद्यान्न बढ़ता । मगर अब चैकडेम न बनने से ग्रामों में फसलें बिना सिंचाई के सूख जाती हैं । ट्यूबवेल पानी नहीं दे रहे हैं । सूखाग्रस्त इलाका होने तथा राजस्थान से लगा होने के कारण पीने के पानी तथा सिंचाई को पानी की भारी कमी है । जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है तथा जनता आन्दोलित है । अतः आपसे अनुरोध है कि आप मोरी चैकोरा चैकडेम को पूर्ण कराने के आदेश सरकार को देने तथा सूखा राहत कोष से धन दकर अविलम्ब योजना को पूर्ण कराने की कृपा करें । जिससे किसानों को योजना का लाभ मिल सके ।]

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत महमूदाबाद तम्कौर मार्ग पर बाबकुटी में सुमली नदी पर बने ध्वस्त पुराने लकड़ी के पुल का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

[मान्यवर, मैं लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । सीतापुर जनपद के अन्तर्गत महमूदाबाद तम्कौर मार्ग पर बाबकुटी पर सुमली नदी पर स्थित लोक निर्माण विभाग का सैकड़ों वर्ष पुराना लकड़ी का पुल टूट गया है जिससे आवागमन बन्द हो गया

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

है। लगभग 3 लाख जनता का विकास कार्य बन्द हो गया है। जिससे जनता उद्वेलित है। विकास खण्ड रामपुर मनुप, महमूदाबाद, रेउसा, तम्कोर आदि विकास खण्डों का महमूदाबाद तहसील से सम्पर्क टूट गया है। किसान अपनी उपज मण्डी नहीं ला पा रहे हैं, यात्री बेहाल हैं जिसके कारण जनमानस में आक्रोश व्याप्त है। अतः मैं लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त पुल को बनाये जाने हेतु वक्त. की मांग करता हूं।]

चित्रकूट एवं झांसी मण्डल के जल संस्थान में कार्यरत हजारों कर्मचारियों की सेवा नियमावली न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र नागपाल–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान लोक महत्व के विषय की तरफ कराना चाहता हूं। झांसी एवं चित्रकूट मण्डल के जलसंस्थान कर्मचारियों की आज तक सेवा नियमावली न बनने से हजारों कर्मचारियों का भविष्य अधर में पड़ गया है। जबकि महामहिम राज्यपाल जी ने 2-10-1975 को जल संस्थान का गठन किया था। 27 वर्ष बीतने के बाद केवल झांसी एवं चित्रकूट मण्डल के कर्मचारियों की सेवा नियमावली, पेंशन मात्र 1000/- दी जा रही है। जबकि पूरे प्रदेश में राज्य कर्मचारियों की सेवा नियमावली लागू है तथा उन्हें सभी सुविधायें वेतन, पेंशन दी जा रही है तथा झांसी, चित्रकूट मण्डल को छोड़कर पूरे प्रदेश के जल संस्थान के कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनी है इसलिए इनका भविष्य अधर में है। मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तथा एक ही विभाग में दोहरी व्यवस्था लागू करना सौतेला व्यवहार है। इसलिए तमाम कर्मचारी भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन, आत्म हत्यायें करने के लिए मजबूर हैं।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु वक्तव्य दिलाने का कष्ट करें।]

बरेली कैन्ट क्षेत्रान्तर्गत गणेशपुरम् कालोनी स्थित पहलवान साहब के मजार शरीफ में पुलिस द्वारा जायरीनों पर किये गये लाठीचार्ज तोड़फोड़ एवं लूटमार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शहजिल इस्लाम–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए यह अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र बरेली कैन्ट में स्थित गणेश पुरम कालोनी में एक पहलवान साहब का मजार शरीफ है। जिसमें सैकड़ों साल से बराबर उर्श कुल शरीफ होता आ रहा है। उक्त मजार पर जायरीनों का आना-जाना बराबर लगा रहता है। दिनांक 27-8-2002 को थाना बारादरी, बरेली के इन्सपेक्टर श्री हरि प्रसाद ने तमाम थाने की पुलिस को लेकर मजार शरीफ के मुत्तवल्ली व जायरीनों पर अचानक लाठियां बरसाई व तम्बू उखाड़ फेंक दिया गया और आस-पास लगी दुकानों पर तमाम पुलिस के लोगों द्वारा तोड़-फोड़ और लूटमार की गयी है। उक्त घटना में काफी जायरीनों को चोटें आयी हैं। उक्त घटना घटित होने के कारण पूरे क्षेत्र की जनता में काफी पुलिस के खिलाफ रोष व्याप्त हो गया है और शान्ति भंग की आशंका बनी हुई है। उक्त घटना पर यदि तत्काल कार्यवाही नहीं की गयी तो वहां

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पर कोई बड़ी घटना घटित होने की आशंका बनी हुई है । अतः मैं आपसे इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मांग करता हूं कि सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें ।]

विधान सभा क्षेत्र लखीमपुर में रुद्रपुर के पास से अहमदपुर महेवा महंगूखेड़ा, केशवपुर गुरेला के ध्वस्त मार्ग का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० कौशल किशोर–

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र लखीमपुर के विकास खण्ड लखीमपुर, जनपद लखीमपुर में एक मार्ग रुद्रपुर के पास से अहमदपुर महेवा महंगूखेड़ा केशवपुर गुरेला होते हुए खानपुर गुरे का मिलता है और फिर ओयल होकर लखीमपुर सीतापुर से जुड़ जाता है । यह पूरा मार्ग यदि बन जाये तो लखीमपुर लबधा लहरपुर मार्ग के पूरब और उत्तर से आने वाले लोगों के लिए और सीतापुर जाने के लिए बहुत छोटा व आसान मार्ग हो जायेगा यह मार्ग रुद्रपुर से अहमदपुर महेवा तक पेन्टेड है और यह मदपुर महेवा से महगूखेड़ा तक खड़न्जे का है और महगूखेड़ा से केशवपुर गुरेला होते हुए खानपुर गुरेला तक बिल्कुल कच्चा है और खानपुर गुरेला से आयेल तक का यह मार्ग पेन्टेड तो था लेकिन अब टूटकर ध्वस्त हो गया है । यह मार्ग बन जाने से दो जिलों का सीधा जुड़ाव हो जायेगा और दोनों जिलों के निवासियों के लिए आवागमन आसान हो जायेगा । लोक महत्व की यह अति अविलम्बनीय समस्या है सड़क बनवाकर इसका निदान करवाया जाये ।]

श्री अखिलेश सिंह, स० वि० सभा को स्थानीय पुलिस (रायबरेली) द्वारा भगोड़ा घोषित किये जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर तत्काल चर्चा कराये जाने की मांग (क्रमागत)

(विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर बैठे रहे)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें । माननीय नेता विरोधी दल कुछ बोलना चाह रहे हैं ।

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं इस पर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे बोलते हुए आपको इनका यहां बैठे रहना और सदस्यों का खड़ा रहना इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है कि यह अव्यवस्थित सदन माना जायेगा और यह वैधानिक कार्यवाही नहीं होगी । इसलिए मैं आपके ख्याल से एहतराम करता हूं । आप यह चाहते हैं कि सदस्य व्यवस्थित हों तभी कार्यवाही चले अन्यथा जो भी कार्यवाही आपके मुख से पढ़ी जायेगी वह अवैधानिक है यही आपका आशय है ।

श्री अधिष्ठाता–

मेरा यह निवेदन है कि अभी जब सदन व्यवस्थित था, सदन उठने से पहले, तब सभी माननीय नेताओं ने अपनी बात कही । माननीय नेता सदन ने अपनी बात कही उसके बाद इस सदन के सदस्यों को संतुष्ट हो जाना चाहिए था । तो मेरा निवेदन है कि सदन की कार्यवाही हो और भी अवसर आयेंगे विषय को उठाने के लिए । सदन की कार्यवाही व्यवस्थित चले, कार्यसूची की मदें पूरी हों और इसके साथ-साथ विभिन्न मसले को उठाया जाय तो यह अच्छी परम्परा है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं जो बात कह रहा हूं वह इस समय की है और आप जो कह रहे हैं वह सदन के उठने के पहले की है । आप जो कह रहे हैं सदन व्यवस्थित हो, मेरे बोलने पर और उस पीठ पर जब आप बैठे हों, सदन व्यवस्थित हो और कोई ऐसी बात न हो जिसके बारे में यह कहा जाय कि व्यवधान

पड़ रहा है। शायद आप यह चाहते हैं कि सदन के वेल से माननीय सदस्य उठकर चले जायें और मैं यही चाहता हूं कि व्यवस्था मिल जाय। तो क्या वैल में रहते हुए नारेबाजी करते हुए यह सदन व्यवस्थित माना जायेगा। यह सदन की अव्यवस्थित कार्यवाही मानी जायेगी या नहीं ? अगर यह नियमित कार्य है तो यह कार्यक्रम भी नियमित है।

श्री अधिष्ठाता–

अनियमित हो गया है। वैल में बैठना नियमित नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

वैल में नारेबाजी हो और उस वक्त कार्यवाही होना नियमित हो.....

श्री अधिष्ठाता–

जब अपरिहार्य परिस्थिति हों और कार्य सूची की मदें पड़ी हों, तो निपटाना आवश्यक हो जाता है इससे तो आप भी सहमत होंगे। मेरा निवेदन है कि आप लोग कृपया अपने स्थान पर चले जायें और सदन को सुचारु रूप से चलने दें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

इस मामले की गम्भीरता आपके सामने है। यह विपक्ष की मजबूरी है, अपनी बात मनमाने के लिए नहीं बल्कि एक सही बात को लोकतांत्रिक तरीके से दबाव डालने के लिए अपने अधिकारों का सम्मान करें। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जल्दबाजी न करें। हम 11.00 बजे, 12.00 बजे या 1.00 बजे तक प्रतिदिन बैठते हैं। जो इस वक्त आप करने जा रहे हैं वह आप दो बजे रात भी कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह सदन जब पिछली बार स्थगित हुआ था तो उस समय नेता सदन का जवाब आया था। अगर आप स्मरण करेंगे तो आपको याद होगा कि यह प्रश्न 20-8-2002 को उठा था। उस समय पीठ पर माननीय श्री अध्यक्ष विराजमान थे। उस समय उन्होंने कहा था कि आप लोग सरकार का पक्ष आ जाने दें। और यह भी कहा था कि मैंने सदन की भावनाओं का संज्ञान ले लिया है। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि वह व्यवस्था देने से पहले हमारी भावनाओं का ध्यान रखें। इसलिये मैं आपसे आग्रह करता हूं कि श्री अखिलेश सिंह प्रकरण पर जो व्यवस्था देने की बात कही गयी थी वह व्यवस्था हमें दिला दें। हम आपका निर्णय चाहते हैं। इस सरकार का रुख तो हमें पता चल गया। अब आपका क्या निर्णय है वह हमें बताने का कष्ट करें इसके बाद ही हम निश्चिय करेंगे कि हमें क्या करना है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, सभी संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। सरकार भी उसी के अनुरूप कार्य करती है। अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमें अपनी उत्तर प्रदेश की पुलिस पर पूरा भरोसा है। इसलिए इसमें जांच में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो माननीय मुख्य मंत्री जी को उत्तर प्रदेश की पुलिस पर उनको भरोसा है और दूसरी तरफ श्री इन्द्र देव सिंह की हत्या के प्रकरण जिसमें पूर्व मुख्य मंत्री श्री राम कुमार वर्मा जी का नाम आया है इस प्रकरण को सी० बी० सी० आई० डी० को स्थानान्तरित करने का क्या कारण है।

(व्यवधान)

(सदस्य श्री घनश्याम शुक्ल अपने स्थान पर खड़े हो गये)

श्री अधिष्ठाता–

श्री घनश्याम शुक्ल जी कृपया बैठ जाइये।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं चाहे जो सरकार हो उसका रवैया पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए । किसी भी आचरण में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पक्षपात किया जा रहा है । प्रदेश की राजधानी लखनऊ में श्री इन्द्र देव सिंह जी की हत्या हुई और उसमें प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री राम कुमार वर्मा जी मुल्जिम बने तो उसकी जांच को सी० बी० सी० आई० डी० को स्थानान्तरित करने का क्या औचित्य है ? अगर हमारी माननीया मुख्य मंत्री जी को पुलिस पर भरोसा नहीं तो अखिलेश सिंह के प्रकरण में यह पक्षपात क्यों किया जा रहा है । अखिलेश सिंह की सम्पत्तियों की कुड़की की कार्यवाही की जाती है, वहां की पुलिस ने उन्हें भगोड़ा घोषित करके उनके ऊपर इनाम रखकर जिन्दा या मुर्दा पकड़ने की कार्यवाही कर रही है? इसमें स्थानीय पुलिस की विवेचना की आवश्यकता है ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

और सी० आई० डी० की जांच की मांग वहीं होती है जहां संदेह की परिस्थितियां पैदा होती हैं । इस मामले में संदेह पैदा हो गया है । अभी नेता कांग्रेस विधान मण्डल दल ने कहा कि आज हत्या के मामले में एक संदेह की स्थिति पैदा हो गयी है । लखनऊ, रायबरेली की पुलिस के वर्जन में विरोधाभास है । आज पुलिस पर अखिलेश सिंह के मामले में भरोसा किया जा रहा है । यह साबित हो रहा है कि जो राजनीतिक विरोधी हैं उनके खिलाफ प्रतिशोध की भावना से कोई कार्यवाही हो सकती है। अखिलेश सिंह को आशंका है कि उनकी हत्या हो सकती है । अगर इस सरकार में विपक्षी दलों की सुरक्षा न रह जाये तो माननीय पीठ हम विपक्ष के माननीय विधायकों की सुरक्षा के लिए अपने दायित्व का निर्वहन करें । यह हमारा अनुरोध है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(श्री अधिष्ठाता ने 4 बजे सदन की कार्यवाही 4 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 4 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गये और कुछ माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग आसन ग्रहण करें । मैं नियम 300 ले रहा हूं ।

आज दिनांक 29-8-2002 को नियम 300 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुई । पहली सूचना डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी की स्थगित की जाती है । दूसरी सूचना श्री महबूब अली की है।

श्री महबूब अली जी अपनी बात नहीं रख रहे हैं, मैं इसे अग्राह्य करता हूं । तीसरी सूचना श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी की है ।

श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी अपनी बात नहीं रख रहे हैं इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं । चौथी सूचना श्री राम करन आर्य की है जिसे नियम 51 में परिवर्तित कर दिया गया है । पांचवीं सूचना श्री शारदानन्द अंचल की है इसे नियम 51 में परिवर्तित कर दिया गया है । निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं निरस्त की गयी श्री रामजीत राजभर, डा० अशोक बाजपेयी, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह व श्री शाहिद मंजूर, श्री राम विशुन आजाद, श्री कौशल किशोर तथा डा० विनोद तिवारी की सूचना निरस्त की गयी ।

जनपद महोबा के अन्तर्गत धसान नदी पर वर्ष 1978 में प्रस्तावित अर्जुन सहायक परियोजना को पूर्ण कराये जाने विषयक श्री शिवराम आदि की हस्ताक्षरित याचिका

* श्री सिद्ध गोपाल साहू–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद महोबा के अन्तर्गत धसान नदी पर वर्ष 1978 में प्रस्तावित अर्जुन सहायक परियोजना को पूर्ण कराये जाने विषयक श्री शिवराम तथा श्री राजेश व अन्य निवासीगण जनपद महोबा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड बक्शी का तालाब स्थित ग्राम गोइला से मुरलीपुर सड़क डामरीकृत कराये जाने विषयक श्री संजय कुमार आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

इसे स्थगित किया जाता है।

जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत तहसील हापुड़ के राष्ट्रीय मार्ग संख्या–34 (दिल्ली से लखनऊ) सरकुलर मार्ग के निर्माण कराये जाने विषयक श्री मोहम्मद इलियास आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

*श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत तहसील हापुड़ के राष्ट्रीय मार्ग संख्या–34 (दिल्ली से लखनऊ) सरकुलर मार्ग के निर्माण कराये जाने विषयक श्री मोहम्मद इलियास तथा श्री अब्दुल सत्तार निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, तथा

जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत तहसील हापुड़ के भीमनगर मोहल्ला में जल निकासी एवं जनसुविधाएं उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री हीरालाल आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री धर्मपाल सिंह–

जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत तहसील हापुड़ के भीमनगर मोहल्ला में जल निकासी एवं जन सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री हीरालाल तथा श्री जगवीर सिंह निवासीगण गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत सिकन्दराबाद नगरपालिका परिषद् क्षेत्र के गन्दे पानी की निकासी हेतु नालों व तालाबों की नियमित सफाई कराये जाने विषयक श्री अशोक कुमार गोयल आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

*श्री वेदराम भाटी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत सिकन्दराबाद नगरपालिका परिषद् क्षेत्र के गन्दे पानी की निकासी हेतु नालों व तालाबों की नियमित सफाई कराये जाने विषयक श्री अशोक प्रसाद गोयल तथा श्री वेदराज गौतम निवासीगण जनपद बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† छापी नहीं गयी।

श्री अधिष्ठाता–

मद सं०–7 और मद सं०–8 में कुछ नहीं है ।

प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश संख्या–44(1) के अन्तर्गत दि० 24 मई, 2001 को श्री श्याम देव राय चौधरी, सदस्य, विधान सभा के तारांकित प्रश्न सं०–8 के अनुपूरक उत्तर के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री का शोधन वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

असंशोधित अंश

[वर्ष 2001-2002 के राजस्व अनुदानों पर दि० 14 मई, 2001 की चर्चा के दौरान राजस्व मंत्री जी द्वारा सदन में बताया गया था :

1–कृषि आवंटन के सम्बन्ध में वर्ष 2000-01 का जितना लक्ष्य था 5770 हे० का था जिसके सापेक्ष 7.221 हे० जमीन का आवंटन किया गया जो 132.20 प्रतिशत है ।

2–कुम्हारी कला के लिए 2376 लोगों को आवंटन किया गया ।

3–914 एकड़ का आवंटन किया गया है इसमें 12236 परिवार लाभान्वित हुए हैं, और प्रति व्यक्ति को डेवलपमेन्ट के लिए पैसा दिया गया है, 2002 के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वह 250 करोड़ का लक्ष्य रखा है ।

संशोधित अंश

वर्ष 2001-2002 के राजस्व अनुदानों पर दि० 14 मई, 2001 की चर्चा के दौरान राजस्व मंत्री के कथन में त्रुटि हो गयी थी जिसका पता बाद में चला । सही कथन इस प्रकार है :–

ग्राम समाज की कृषि भूमि का आवंटन

1–कृषि भूमि आवंटन के सम्बन्ध में वर्ष 2000-01 का 5770 हे० लक्ष्य था जिसके सापेक्ष 7.621 हे० जमीन का आवंटन किया गया जो कि लक्ष्य का 132.079 प्रतिशत है ।

2–कुम्हारी कला एवं मूर्ति के प्रोत्साहन हेतु कुम्हार जाति एवं इस व्यवस्था में लगे व्यक्तियों को मिट्टी उपलब्ध कराये जाने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000-01 में 1,970 क्षेत्र का लक्ष्य था जिसके सापेक्ष उपलब्धि 2326 क्षेत्र रही जो कि लक्ष्य का 118.07 प्रतिशत है ।

सीलिंग से प्राप्त भूमि का आवंटन

3–भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए अतिरिक्त घोषित सीलिंग भूमि आवंटन का लक्ष्य 500 एकड़ निर्धारित किया गया । वित्तीय वर्ष में माह मार्च, 2001 तक 914 एकड़ भूमि 2236 आवंटियों को आवंटित की जा चुकी है । वर्ष 2001-02 के लिए प्रस्तावित लक्ष्य 250 एकड़ (अनन्तिम) अतिरिक्त भूमि रखा गया है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

4–1-10-2000 से 31-3-2001 तक जनपद स्तर न्यायालयों में 5 लाख 20 हजार वादों का निस्तारण किया गया इसी प्रकार मण्डल स्तर में न्यायालयों में 17,329 वादों का निस्तारण किया।

राजस्व वादों की स्थिति

4–दिनांक 1-10-2000 से 31-3-2001 तक जनपद स्तरीय न्यायालयों में 845,522 के विरुद्ध 520062 वादों एवं इसी अवधि में मण्डल स्तरीय न्यायालयों में 95715 के विरुद 27389 वादों का निस्तारण किया गया।

5–56 जिला मुख्यालय 166 तहसील मुख्यालय में 1563.71 लाख का काम किया गया था।

5–दशम् वित्त आयोग के अन्तर्गत अभिलेखागारों के निर्माण हेतु वर्ष 1996-97, 97-98, 98-99, 99-2000 में 56 जिला मुख्यालयों एवं 166 तहसील मुख्यालयों पर 222 स्थानों पर भारत सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि रु० 1563.76 लाख अवमुक्त की जा चुकी है जिसमें रेक्स की व्यवस्था हेतु रु० 256.50 लाख शामिल है।

6–1998-99 में 406 करोड़ रुपया वसूल किया गया था।

6–विविध देय में वित्तीय वर्ष 1998-99 की शुद्ध मांग 650.34 करोड़ थी तथा 70 जनपदों में 604.85 करोड़ की धनराशि वसूल की गयी।

7–1426 संग्रह अमीनों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की गयी।

भ्रष्टाचार एवं कदाचार के प्रकरण पर कृत कार्यवाही

7–रेगुलर संग्रह/भूलेख अधिष्ठान के 1436 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी है तथा 931 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है, 1100 कर्मचारियों को आरोप-पत्र दिये गये।

8–धारा–23 के अन्तर्गत लक्ष्य 1493000 हे० का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

चकबन्दी योजना की वित्तीय वर्ष 2000-01 की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

8–वित्तीय वर्ष 2000-01 में चक निर्माण/पुष्टीकरण अन्तर्गत धारा–23 में 149000 हे० का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य के सापेक्ष दि० 31-3-2001 तक 211088 हे० की प्रगति की गयी।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

दिनांक 24-05-2001 को श्री श्याम देव राय चौधरी, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं०–08 के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि ".....मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो पहले से प्रचलित है वह योजना क्या है और उसमें क्या उसका सत्यापन कराया गया है और उसमें 1999-2000 में कितने लोगों को भूमि उपलब्ध कराई गई है और....."

2—उस समय सदन में उत्तर दिया गयो था कि "मान्यवर, यह योजना 76 से चलाई गई है और सन् 2000-2001 तक जब से यह योजना चली जिसका लक्ष्य था 3453853 का और 338298 को आवंटित किया जा चुका है....."

3—उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है, "मान्यवर, यह योजना 76 से चलाई गई है और सन् 2000-2001 तक जब से यह योजना चली जिसका लक्ष्य था 3453853 का और 3319258 को आवंटित किया जा चुका है। ....."

4—दिनांक 24-05-2001 को श्री श्याम देव राय चौधरी, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं०–08 के संबंध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि "मान्यवर, हम 2000-2001 की मांग कर रहे हैं। इसमें कितनों को देंगे, यह बता दें।"

5—उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "मान्यवर, मैंने अभी बताया था कि जब से यह योजना चली है 2000-2001 तक लक्ष्य 3453853 था 33 लाख 29 हजार 298 को आवंटित कर दिया लक्ष्य रखा है 2000-2001 में 50 हजार का।....."

6—उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है, "मान्यवर, मैंने अभी बताया था कि जब से यह योजना चली है 2000-2001 तक लक्ष्य 3453853 था, 33 लाख 19 हजार 258 को आवंटित कर दिया, लक्ष्य रखा है 2000-2001 में 50 हजार का।....."

7—मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर की प्रति संलग्न है।

प्रश्न	उत्तर
क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति व निर्धन ग्रामीणों को 200 वर्गमीटर जमीन "ग्रामीण आवास स्थल आवंटन योजना" के अन्तर्गत निःशुल्क प्रदान किये जाने हेतु सरकार कोई कार्ययोजना क्रियान्वित करने जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और यह कब तक लागू होगी ?	8—जी हां। प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों, ग्रामीण शिल्पियों तथा अन्य खेतिहर मजदूरों को आवास स्थल हेतु भूमि आवंटित किये जाने की प्रश्नगत योजना उ० प्र० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के संगत अध्याय–7 धारा–122 (ग) व धारा–123 (1), (2) में उपलब्ध प्राविधानों के अन्तर्गत पहले से चलाई जा रही है। इस योजना को अपेक्षाकृत और जन कल्याणकारी बनाये जाने के लिए शासनादेश सं०–05/1-14-2001-33(88)/2000, दि० 31 मार्च, 2001 सपठित शासनादेश सं०–1468/1-14-2001--33(88)/2000, दिनांक 19 मई, 2001 द्वारा न्यूनतम 200 वर्ग मीटर के आवास स्थल आवंटन हेतु प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे अपने-अपने जनपदों में सर्वेक्षण कराकर ग्रामीण आवास स्थल आवंटन योजना के लिए ग्राम समाज को निःशुल्क भूमि की उपलब्धता तथा पात्र परिवारों को चिन्हित करें तथा जहां निःशुल्क भूमि उपलब्ध न हो वहां

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के निहित वित्तीय उपाशयों सहित विवरण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये ताकि इसके लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत यथास्थिति आवश्यक परिव्यय प्राप्त कर धनराशि की व्यवस्था करायी जा सके। वर्ष 2001 से प्रारम्भ।]

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002†

* राजस्व मंत्री (श्री रवि गौतम)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री रवि गौतम–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

नियम 56 की सूचनाओं को मैं आज स्थगित करता हूं और उनको सोमवार को पुनः सूचना देने पर शलाका के आधार पर चयनित किया जायेगा। कृपया अपना-अपना आसन ग्रहण कर लें।

श्री अधिष्ठाता–

एक सूचना माननीय सचिव महोदय द्वारा दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2002

सचिव, विधान सभा–

मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2002 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2002 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 28 अगस्त, 2002 को वापस प्राप्त हो गया।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट :–† दिनांक 10-9-2002 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2002 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2002 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 28 अगस्त, 2002 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश ताज आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2002

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर; मैं नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश ताज आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2002 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2002 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 28 अगस्त, 2002 को वापस प्राप्त हो गया ।

भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2002 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2002 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 28 अगस्त, 2002 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं नियम–149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150(2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय विधेयक, 2002, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2002 को पारित किया गया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन सहित दिनांक 28 अगस्त, 2002 को इस सचिवालय में प्राप्त हुआ है, को विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन सहित, सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन की कार्यवाही चार बजकर पैंतालिस मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(व्यवधान जारी)

(श्री अधिष्ठाता ने व्यवधान के कारण 4 बजकर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही 4 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 4 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(4.45 बजे माननीय अधिष्ठाता महोदय के पीठासीन होने पर)

(सदन के वेल में विपक्ष के अनेक सदस्य खड़े होकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक की अनुदान की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–5–उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

* खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05–उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,67,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई माननीय सदस्य कटौती प्रस्तुत करेंगे । कोई माननीय सदस्य कटौती प्रस्तुत नहीं कर रहा है, इसलिए अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002-2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05–उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,67,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक की अनुदान की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–09–ऊर्जा विभाग

*ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–09–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,35,59,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई माननीय सदस्य कटौती प्रस्तुत कर रहे हैं । कोई माननीय सदस्य कटौती प्रस्तुत नही कर रहे हैं, इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–09–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,35,59,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर एवं नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में कार्य करने हेतु विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन को नाम निर्देशित किये जाने हेतु मा० अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

* संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 29 अगस्त, 2002 को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं :—

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में कार्य करने के लिए चार सदस्यों के निर्वाचन, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड और नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए दो-दो सदस्यों के निर्वाचन तथा आश्रमों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए नियंत्रण बोर्ड में कार्य करने के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन, कराये जाने के प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में क्रमशः दिनांक 13 अगस्त, 2002, 14 अगस्त, 2002 तथा 26 अगस्त, 2002 को स्वीकार किये गये हैं, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त निकायों में कार्य करने के लिए, यथास्थिति, चार, दो, दो व दो सदस्यों का निर्वाचन करने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निदेशित सदस्य उक्त निकायों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ।"

श्री अधिष्ठाता –

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, सदन उससे सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान, शोर के मध्य)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 29 अगस्त, 2002 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 68 सूचनाएं प्राप्त हुईं :—

पहली सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की वाराणसी जल संस्थान द्वारा उपभोक्ताओं से विधि विरुद्ध अधिभार वसूल किये जाने के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

दूसरी सूचना श्री राम विशुन आजाद की जनपद गोण्डा के मनकापुर में विद्युत व्यवस्था जर्जर होने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

तीसरी सूचना श्री राम नरेश यादव की प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए व्यवसायिक शिक्षा पर जोर दिये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चौथी सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की प्रदेश में स्थापित धन्वन्तरि चिकित्सा विश्वविद्यालय का कार्यशील बनाने के लिए तत्काल कार्यवाही करने एवं संसाधन उपलब्ध करने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पांचवीं सूचना डा० कौशल किशोर की जनपद लखीमपुर में जमुवारी नदी पर स्वीकृत पुल निर्माण को शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

छठी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की मेरठ नगर निगम के कंकरखेड़ा क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की फैक्टरी से निकले पानी से हो रही बीमारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

सातवीं सूचना श्रीमती उषा वर्मा की जनपद हरदोई के डी० एफ० ओ० द्वारा हरदोई वन विभाग में करोड़ों रुपये के सरकारी धन की हेरा फेरी के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

आठवीं सूचना श्रीमती बीना भारद्वाज की जनपद रामपुर के बिलासपुर किसान सहकारी चीनी मिल द्वारा किसानों के बकाया गन्ने मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

नवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की प्रदेश के मध्यांचल एवं पश्चिमांचल विकास के लिए धन का पैकेज स्वीकृत किये जाने की मांग सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

दसवीं सूचना श्री शारदानन्द अंचल की विकास कार्यों में क्षेत्रीय संतुलन और संवैधानिक हकमारी के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

ग्यारहवीं सूचना श्री आर० के० चौधरी व श्री दीना नाथ कुशवाहा की लखनऊ जनपद के थाना नगराम में हुई हत्या के पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने एवं अपराधियों को गिरफ्तार न किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

बारहवीं सूचना श्री परमेश्वर दयाल, श्री राम किशुन, श्री रामजीत राजभर की जनपद चंदौली में नक्सलियों द्वारा बसन्त लाल की हत्या तथा एक युवक का अपहरण कर कई लोगों को फायरिंग कर घायल करने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

तेरहवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री शाकिर अली, श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री पूर्णमासी देहाती, डा० पी० के० राय, श्री राधेश्याम सिंह की उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन अप्रशिक्षित अध्यापकों का परीक्षाफल न घोषित किये जाने से उत्पन्न बेरोजगारी की स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

चौहदवीं सूचना श्री धनंजय सिंह की लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस को लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पन्द्रहवीं सूचना डा० विनोद तिवारी की जनपद पीलीभीत के तहसील पूरनपुर में जर्जर विद्युत व्यवस्था को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

सोलहवीं सूचना श्री संजय गर्ग की जिला सहारनपुर के कलेक्ट्रेट अधिष्ठान में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

सत्रहवीं सूचना श्री कमाल यूसुफ मलिक तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय की जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज एवं इटवा तहसील के अन्तर्गत सरयू नहर परियोजना की नहरों के ऊपर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

अठारहवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की जनपद हरदोई में प्राथमिक शिक्षक वेतन भोगी कर्मचारियों के देयों का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

उन्नीसवीं सूचना श्री सीताराम निषाद की जनपद फैजाबाद के मड़ह नदी (तमसा) का पानी विषैला होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

बीसवीं सूचना श्री रामजीत राजभर की एलोपैथिक डिस्पेंसरी सचिवालय लखनऊ द्वारा सचिवालय कर्मियों को सुचारु रूप से इलाज न करने एवं धन का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

इक्कीसवीं सूचना श्री शिशुपाल सिंह यादव की वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में 30 कन्या इण्टर कालेजों से सम्बद्ध प्राइमरी स्कूलों की महिला अध्यापकों के वेतन देयों का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

बाईसवीं सूचना श्री महबूब अली की जनपद ज्योतिबा फूलेनगर के क्षेत्र अमरोहा शहर में पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक न होने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

तेइसवीं सूचना डा० वकार अहमद शाह की उत्तर प्रदेश सचिवालय के निजी सचिव संवर्ग में प्रोन्नतियों में व्याप्त अनियमितताओं तथा अवरोध होने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

चौबीसवीं सूचना श्री श्याम सूरत उपाध्याय की जनपद इलाहाबाद की हंडिया तहसील से जंघई जाने वाली सड़क पर अनुवा गांव के पास वरुणा नदी के जर्जर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

पच्चीसवीं सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की चित्रकूट एवं झांसी मण्डल के जल संस्थान में कार्यरत हजारों कर्मचारियों की सेवा नियमावली न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

छब्बीसवीं सूचना श्री राम करन आर्य की विधान सभा सदस्य श्री बीजू पटनायक को बदमाशों द्वारा जाति सूचक गालियां देने एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

सत्ताइसवीं सूचना श्री कौशल किशोर की लखनऊ जल संस्थान एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षुओं से सोलह घण्टे काम लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

अट्ठाइसवीं सूचना डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की इलाहाबाद शहर उत्तरी के सलोरी एवं कैलाशपुरी मोहल्लों की आबादी को गंगा नदी की कटान से अविलम्ब बचाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई ।

उन्तीसवीं सूचना श्री उमाशंकर कुशवाहा की जनपद गाजीपुर में देवकली पम्प कैनाल के माइनर के अतिरिक्त जल से छावनी लाइन के लगभग कई सौ एकड़ जमीन जलमग्न होने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ।

तीसवीं सूचना श्री नारद राय की जनपद बलिया के दुबहर से हल्दी बाढ़ सुरक्षा बांध का कार्य न कराए जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ।

इकतीसवीं सूचना श्री बैजनाथ दुबे की जनपद गोण्डा के विकास खण्ड कटरा बाजार हलधर मऊ में कार्य के बदले अनाज योजना के दुरुपयोग के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ।

बत्तीसवीं सूचना श्री घूरा राम की जनपद बलिया से लखनऊ सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क की हालत खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ।

तैंतीसवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जनपद आजमगढ़ में कंचनपुर, रासेपुर, विद्युत सब स्टेशन की स्वीकृति न दिये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

चौतीसवीं सूचना श्री कालीचरन राजभर की जनपद गाजीपुर में कासिमाबाद को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

पैंतीसवीं सूचना श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद रायबरेली के इसौर ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

छत्तीसवीं सूचना श्री बीजू पटनायक की जनपद गाजीपुर के सादात में गंगा नदी के पुल के दोनों तरफ क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

सैंतीसवीं सूचना चौधरी बाबूलाल की जनपद आगरा की फतेहपुर सीकरी में खारी नदी पर सेतु निगम द्वारा नवनिर्मित पुल का निर्माण जल्द पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

अड़तीसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्राइमरी शिक्षकों को पेंशन सुविधा उपलब्ध न कराए जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

उन्तालीसवीं सूचना श्री अमरजीत सिंह जनसेवक की जनपद फतेहपुर में खजुहा नगरी को ऐतिहासिक पर्यटन स्थल बनाए जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

चालीसवीं सूचना श्री छोटे लाल यादव की जनपद लखनऊ के कल्याणपुर में नाली का निर्माण एवं पानी की निकासी की व्यवस्था को अवरुद्ध करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

इकतालीसवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की श्रम विभाग द्वारा प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के माध्यम से प्रशिक्षित प्रशिक्षण मित्र के सैकड़ों बेरोजगार युवकों को रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

बयालीसवीं सूचना श्री कैलाश चौरसिया की जनपद मिर्जापुर में मिर्जापुर नगर में सिरसी बांध प्रखण्ड से किसानों की सिंचाई के लिए टांडा फाल नहर की मरम्मत के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

तैंतालिसवीं सूचना श्री राकेश सचान की प्रदेश में ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा सरकारी रेट पर ईंट न उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

चौवालीसवीं सूचना श्री राम किशुन की जनपद चन्दौली के मुगलसराय के पास जी० टी० रोड पर नगर निगम वाराणसी द्वारा गिराये जा रहे कूड़े एवं मरे जानवरों की लाशों से प्रदूषण और महामारी के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

पैंतालीसवीं सूचना श्री राम वीर सिंह यादव की जनपद फिरोजाबाद की जसराना अन्तर्गत नहरों में जमा बालू सिल्ट की सफाई कराए जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

छियालीसवीं सूचना श्री किरन पाल कश्यप की जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सामली में बदमाशों द्वारा श्री राधेश्याम तायन का अपहरण करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

सैंतालीसवीं सूचना डा० राम बाबू हरित की लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ के अन्तर्गत किये जा रहे पार्कों के सौन्दर्यीकरण की तरह अन्य महानगरों में भी पार्कों का सुन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ।

अड़तालीसवीं सूचना श्री देवेन्द्र नागपाल की जनपद जालौन की टाउन एरिया उमरी में कई परिवारों पर हत्या सहित पड़ी भीषण डकैती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :—

श्री बाबू लाल कुशवाहा, श्री शारदानन्द अंचल, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री नत्थू सिंह, श्री कौशल किशोर, श्री उदयराज यादव, श्री ठाकुर तेजपाल सिंह, श्री शहजिल इस्लाम, श्री राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री जयवीर सिंह, श्री जयराम विमल, श्री जयवीर सिंह, श्री मदन गोपाल वर्मा, श्री अजीम भाई, श्री बलराम यादव, श्री सलिल विश्नोई, श्री परागी लाल अहिरवार, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह एवं श्री राम करन आर्य ।

आगरा मण्डल में कृषि भूमि के सीलिंग अधिनियम में शासन द्वारा पुनः संशोधन करने की चर्चा से भयभीत होकर किसानों द्वारा सस्ती दरों पर अपनी भूमि बेचने से उन्हें होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में श्री रमेश कान्त सचानिया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, प्रकरण में शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये हैं कि खातेदारों का प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्रफल कम करने हेतु भूमि का सत्यापन कराया जा रहा है.....

श्री अधिष्ठाता–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर–

[इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जा रहा है कि अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के तहत निर्धारित प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्रफल को कम करने का शासन का का कोई विचार नहीं है । सीलिंग ऐक्ट में कोई परिवर्तन करने का मामला भी शासन में विचाराधीन नहीं है । उक्त अधिनियम में धारा 5 के अन्तर्गत प्रयोजनार्थ अधिकतम क्षेत्र निम्नवत् है :—

धारा 5(3) अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अनुसार धारा–5 की उपधारा (4), (5), (6) और (7) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ अधिकतम क्षेत्र निम्नलिखित होगा :—

(क) किसी ऐसे खातेदार की दशा में, जिसका 5 से अनधिक सदस्यों का परिवार हो, सिंचित भूमि के 7.30 हे० (जिसके अन्तर्गत उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धृत भूमि भी है) और उसके साथ उसके प्रत्येक ऐसे वयस्क पुत्र के लिए जो या तो स्वयं खातेदार न हो अथवा जिसके द्वारा धृत सिंचित भूमि का क्षेत्रफल 2 हे० से कम हो, सिंचित भूमि के 2 अतिरिक्त हे० अथवा उतना अतिरिक्त

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

क्षेत्रफल, जिसमें उनके द्वारा धृत क्षेत्रफल को मिलाकर 2 हे० होता हो, किन्तु ऐसी अतिरिक्त भूमि 6 हे० से अधिक न होगी,

(ख) ऐसे खातेदार की दशा में, जिसका 5 से अधिक सदस्यों का परिवार हो, सिंचित भूमि के 7.30 हे० (जिसके अन्तर्गत उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धृत भूमि भी है) और उसके साथ परिवार के प्रत्येक ऐसे सदस्य के लिए जो 5 से अधिक हों तथा प्रत्येक ऐसे वयस्क पुत्र के लिए हों या तो स्वयं खातेदार न हों या जिसके द्वारा धृत भूमि का क्षेत्रफल 2 हे० से कम हो, सिंचित भूमि के 2 अतिरिक्त हे० अथवा उतना अतिरिक्त क्षेत्रफल, जिसमें ऐसे वयस्क पुत्र द्वारा धृत क्षेत्रफल को मिलाकर 2 हे० होता हो, किन्तु ऐसी अतिरिक्त भूमि 6 हे० से अधिक न होगी ।]

जनपद इटावा के भरथना क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक श्री विनोद यादव ''कक्का'' की जानमाल की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश सिंह द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2002 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत जनपद इटावा के भरथना के कांग्रेसी.....

श्री अधिष्ठाता–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर–

[विधायक विनोद यादव ''कक्का'' की जान माल की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी थी ।

उक्त सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा से आख्या प्राप्त की गयी । प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि श्री विनोद कुमार यादव ''कक्का'' मा० विधायक को विधायक निर्वाचित होते ही एक गनर निःशुल्क उपलब्ध कराया गया था जो वर्तमान में भी उनके साथ नियुक्त है । दिनांक 17-3-2002 से तीन माह के लिए उन्हें दो गनर निःशुल्क उपलब्ध कराये गये थे । माननीय विधायक के जीवन भय को दृष्टिगत रखते हुए शासन की नीति के अनुसार 25 प्रतिशत निजी व्यय पर एक अतिरिक्त शैडो उपलब्ध कराने का आदेश शासन द्वारा दिनांक 22-6-2002 को दिया गया, जिससे मा० विधायक को दिनांक 25-6-2002 को अवगत कराया गया था लेकिन उनके द्वारा निर्धारित धनराशि जमा न कराने के कारण उन्हें शैडो उपलब्ध नहीं कराया जा सका । मा० विधायक द्वारा अपनी सुरक्षा हेतु दो गनर/शैडो निःशुल्क नियुक्त करने हेतु मा० उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर मा० न्यायालय द्वारा याची के आवेदन पर एक माह में निर्णय का आदेश दिनांक 25-7-2002 को कर रिट का निस्तारण कर दिया । शासनादेश दिनांक 12-8-2002 द्वारा 25 प्रतिशत निजी व्यय पर तीन माह के लिए उपलब्ध कराये जाने वाले अतिरिक्त शैडो की अवधि में 6 माह की वृद्धि के आदेश दिये गये । माननीय विधायक उपरोक्त द्वारा निर्धारित धनराशि उपलब्ध कराने पर अतिरिक्त शैडो उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दिनांक 18-3-02 को भरथना में हुई घटना के सम्बन्ध में एस० ए० वी० डिग्री कालेज के प्राचार्य द्वारा श्री विनोद यादव, विधायक व अन्य के विरुद्ध अपराध संख्या–84/02 धारा 147, 148, 149, 307, 352, 504, 506 भादंवि तथा श्री विनोद यादव विधायक द्वारा श्री मुन्नू सिंह यादव, प्राचार्य उपरोक्त के विरुद्ध अप० सं०–84ए/2002 धारा 307, 352, 504 भादंवि थाना भरथना में पंजीकृत कराया गया । विवेचना से किसी भी पक्ष के विरुद्ध धारा 307 भादंवि न पाये जाने के कारण रायफल जमा कराने की कार्यवाही नहीं की गई तथा बिना गिरफ्तारी के ही दोनों पक्षों के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 25-7-2002 को न्यायालय प्रेषित किये जा चुके हैं, जो विचाराधीन न्यायालय है ।]

(घोर व्यवधान/शोर के मध्य सदन की वेल में आये हुए माननीय सदस्य नारे लगाते रहे ।)

सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद जनपदों में चीनी मिलें स्थापित होने से कुटीर उद्योग के रूप में पावर कोल्हू में काम करने वाले कश्यप समाज के लाखों लोगों की भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में श्री किरनपाल कश्यप द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर गन्ना विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई नियम–51 की सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि.....

श्री अधिष्ठाता–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर–

[पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद मण्डलों के सभी जिलों में आवश्यकता से अधिक चीनी मिलें स्थापित होने से पावर कोल्हू से गुड़, शक्कर, खाण्डसारी बनाने वाले कश्यप समाज के लाखों लोग बेरोजगार हो गये हैं एवं भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है । मा० विधायक ने इन लोगों को चीनी मिलों में रोजगार दिलाने की मांग की है ।

2—इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि पिछले वर्ष प्रदेश में उत्पादित गन्ने का 44 प्रतिशत चीनी मिलों द्वारा पेरा गया । लगभग 15 प्रतिशत गन्ना बीज के रूप में प्रयोग होता है एवं शेष 41 प्रतिशत गन्ना खाण्डसारी एवं गुड़ उद्योग के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है । विगत 5 वर्षों में गन्ने के उपयोग की स्थिति निम्नवत् रही है :—

(लाख टन में)

	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002
गन्ना उत्पादन	1334.21	1217.36	1232.40	1117.38	1244.91
चीनी मिलों के द्वारा पेरा गया गन्ना	409.06	412.70	487.88	451.37	550.81
बीज आदि में प्रयोग	200.13	182.60	184.86	167.61	186.74
गुड़ एवं खाण्डसारी में प्रयोग	725.02	622.06	559.66	498.40	507.36

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

विगत 5 वर्षों में प्रदेश में लाइसेंस प्राप्त एवं कार्यरत खाण्डसारी इकाइयों की संख्या :—

लाइसेन्सड	1105	1107	1116	1063	1055
कार्यरत	1017	988	888	672	624

3—यह कहना सही नहीं है कि सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद मण्डलों में आवश्यकता से अधिक चीनी मिलें स्थापित हैं तथा इनके कारण खाण्डसारी उद्योग में कार्यरत श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे। तथ्य यह है कि इन तीनों मण्डलों में पेराई सत्र 2001-2002 में कुल 5984.63 लाख कुन्तल उपलब्ध गन्ने के सापेक्ष उक्त मण्डलों में स्थित चीनी मिलों द्वारा समेकित रूप से 2671.44 लाख कुन्तल गन्ना ही पेरा गया जो कुल उत्पादन का 44.64 प्रतिशत मात्र ही था। शेष खाण्डसारी, गुड़, बीज आदि के प्रयोग के उपयोग हुआ। यदि यह चीनी मिलें न होती तो निश्चय ही इस क्षेत्र में गन्ने के निस्तारण की समस्या उत्पन्न हो जाती। चीनी मिलों का दूसरा बड़ा योगदान इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना भी रहा है। रोजगार के यदि कोई अवसर कम भी हुए हों तो उससे कहीं अधिक अवसर सृजित हुए हैं।

4—खाण्डसारी एवं गुड़ उद्योग में समाज के सभी वर्ग के कृषक एवं उद्यमी जुड़े हुए हैं। जहां तक गुड़ एवं खाण्डसारी उद्योग से विस्थापित श्रमिकों को चीनी मिलों में रोजगार देने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि सरकारी चीनी मिलें काफी पुरानी हैं एवं इनमें पूर्व से ही पर्याप्त संख्या में कार्मिक कार्यरत हैं। निजी क्षेत्र की चीनी मिलें अपनी आवश्यकतानुसार कार्मिकों को सेवायोजित करती हैं। अतः खाण्डसारी उद्योग से तथाकथित रूप से विस्थापित लोगों को वर्तमान में चीनी मिलों में सेवायोजित किये जाने की सम्भावना नहीं है।

5—स्पष्ट है कि चीनी मिल एवं गुड़, खाण्डसारी उद्योग दोनों ही कृषकों व क्षेत्रीय अर्थ व्यवस्था के हित में उपयोगी एवं आवश्यक है।]

जनपद फतेहपुर के कोतवाली क्षेत्र के गांव ठिठौरा में दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार तथा उसके पति की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बीपू पटनायक स० वि० स० द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, श्री सेवा लाल पुत्र स्व० राम धनी, निवासी ग्राम ठिठौरा, थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर.....

श्री अधिष्ठाता–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर–

[ने दिनांक 25-8-2002 को थाना बिन्दकी पर तहरीरी सूचना दिया कि दिनांक 24/25-8-2002 को रात्रि करीब 1.00 बजे गांव के ही राजकुमार तिवारी पुत्र श्री देवीदत्त मुन्ना कहार पुत्र बदलू व केवल किशोर कहार पुत्र भवानीदीन निवासीगण ठिठौरा, थाना–बिन्दकी, जनपद फतेहपुर लाठी आदि

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लेकर आये और प्रार्थी की पत्नी सुनीता देवी के साथ राजकुमार तिवारी ने बलात्कार किया और बाद में प्रार्थी को पकड़ ले गये और गले में फंदा डालकर एक कुएं में डाल दिया ।

उक्त घटना की सूचना वादी श्री सेवा लाल द्वारा दिनांक 25-8-2002 को जब थाना बिन्दकी पर दी गई तो स्थानीय पुलिस तत्काल पुलिस बल के साथ मौके पर गई और छानबीन की । क्षेत्राधिकारी बिन्दकी द्वारा भी तत्काल ही घटना का निरीक्षण किया गया ।

वादी की सूचना पर थाना बिन्दकी पर मु० अ० सं०-280/2002 धारा-323/504/506/307/376 भा० द० वि० व 3 (2)पांच एससी/एसटी एक्ट का अभियोग राजकुमार तिवारी, मुन्ना कहार व केवल किशोर के विरुद्ध पंजीकृत कर लिया गया है । नामजद अभियुक्तों में से राजकुमार तिवारी व मुन्ना कहार को पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया । अब तक की छानबीन से यह पाया गया कि वादी तथा विपक्षियों के मध्य 4-5 दिन पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव को लेकर कुछ कहा सुनी हो गई थी जिसकी कोई सूचना थाने पर नहीं दी गई थी । स्थानीय पुलिस की आख्या के अनुसार निरीक्षण घटना स्थल तथा पूर्व में हुए विवाद एवं वादी द्वारा अथवा उसकी पत्नी सुनीता तथा पास में सो रहे अन्य लोगों द्वारा शोर न मचाने एवं घटना की जानकारी किसी अन्य को न देने के कारण उपरोक्त घटना के संदग्धि होने के कुछ तथ्य भी सामने आये हैं । पुलिस अधीक्षक द्वारा सुनीता देवी का चिकित्सीय परीक्षण कराने के लिए निर्देशित कर दिया गया है ।]

अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों के विभागीय समायोजन में उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सीताराम निषाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मा० सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 26-8-2002 के माध्यम से.....

श्री अधिष्ठाता-.

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर-

[....यह सूचित किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की थी कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के अभाव में बेसिक शिक्षा प्रभावित हो रही थी । अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत नियुक्त अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट रखी गयी थी किन्तु मार्च, 2001 में यह योजना अचानक बन्द कर दी गयी और शिक्षा मित्र और आचार्य की नियुक्ति की जाने लगी । अनौपचारिक शिक्षा स्कीम 31 मार्च, 01 को पुनरीक्षित करने से हजारों की संख्या मे अनुदेशक बेरोजगार हो गये । निदेशक, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या-5333/5832/99-2000, दिनांक 4-1-1999 के विभागीय आदेशानुसार सभी अनौपचारिक शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी का

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आधार मानकर शिक्षण कार्य हेतु रख लिया गया था किन्तु शिक्षा मित्र एवं आचार्य की नियुक्ति का आदेश होने से इन्हें हटा दिया गया । मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में याचिका संख्या–3047(एस० एस०)/2001 श्रीमती किरन तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में यह आदेश पारित किया है कि इन्हें आयु सीमा में छूट देकर वरीयता के आधार पर नियुक्ति शिक्षा मित्र/आचार्य के पदों पर की जायेगी । नियुक्ति में इन्हें 5 बोनस अंक प्रदान करने का भी शासनादेश निर्गत हुआ था । अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति न होने तथा उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किये जाने से हजारों की संख्या में अनुदेशक व पर्यवेक्षक बेरोजगार हो गये हैं इसलिए न्यायोचित मांग को लेकर 20-8-2002 से धरना व प्रदर्शन कर रहे हैं ।

इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि पूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों/पर्यवेक्षकों द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद/खण्ड पीठ लखनऊ में योजित याचिकाओं में मा० उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न तिथियों में पारित निर्णयों के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में विशेष अपीलें योजित हैं, जो अभी लम्बित हैं । न्यायिक प्रक्रिया के निस्तारण के उपरान्त इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकेगा ।]

उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास लि० के कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर समायोजन एवं वेतन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० शिव प्रसाद यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम को अर्थोपाय स्थिति में न पाये जाने के कारण.....

श्री अधिष्ठाता–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर–

[शासनादेश संख्या–183/77-5-2000-54 (डब्लू०/97 टीसी, दिनांक 11-1-2000 द्वारा बन्द किये जाने का निर्णय लिया गया था । इस निर्णय के उपरान्त निगम के छंटनीशुदा कार्मिकों को, सरकारी सेवा हेतु अर्हता एवं अनुमन्यता का निर्धारण कार्मिक विभाग की सहमति से शासनादेश संख्या–1829/77-5-2000-54(डब्लू)/97टीसी(मीटिंग), दिनांक 10-7-2000 द्वारा किया गया ।

2—उपरोक्त शासनादेश के अनुसार छंटनीशुदा कार्मिकों को सेवायोजित किये जाने की बाध्यता नहीं थी । अपितु इन कार्मिकों को उपरोक्त शासनादेश द्वारा सरकारी विभागों में सेवायोजन हेतु आयु एवं अन्य अर्हता आदि में शिथिलता प्रदान की गयी है । छंटनीशुदा कार्मिकों द्वारा संयुक्त रूप से मा० उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या–338(एसबी)/1997 उ० प्र० राज्य खनिज विकास निगम संघर्ष समिति बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05-1-2000 में मा० उच्च न्यायालय ने निगम के छंटनीशुदा कार्मिकों को राज्य सरकार के विभागों/निगमों में तीन माह के अन्दर उपयुक्त पद पर समायोजित करने के आदेश पारित किये । मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में छंटनीशुदा कार्मिकों को समायोजित किये जाने की दृष्टि से छंटनीशुदा कार्मिकों की सूची विभिन्न विभागों को इस आशय से प्रेषित की गयी कि वह इन कार्मिकों को अपने विभागों में रिक्त पदों

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पर उपयुक्तता के आधार पर समायोजित करने पर विचार करें। इस क्रम में अब तक उन सभी 146 कार्मिकों को विभिन्न विभागों में सेवायोजित किया जा चुका है जिनकी नियुक्ति 1-10-86 को या इससे पूर्व खनिज विकास निगम में की गयी थी, जैसा कि शासनादेश दिनांक 10-7-2000 में प्राविधानित है। यहां यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि दिनांक 1-10-86 को अथवा इसके पूर्व के कार्मिकों एवं इस तिथि के बाद निगम में नियुक्त कतिपय कार्मिकों के उपयुक्त पद पर समायोजित किये जाने सम्बन्धी रिट याचिकायें अभी भी मा० न्यायालय में लम्बित हैं जिनमें अवमानना वाद संख्या–362(सी)/2002 यू० पी० एस० चौहान व अन्य बनाम श्री ए० पी० वर्मा व अन्य इसी से सम्बन्धित बिन्दु पर आज भी मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

3—यहां पर यह उल्लेख करना विशेष रूप से आवश्यक है कि छंटनीशुदा कार्मिकों का समायोजन लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर, जिसमें समूह 'ग' के कुछ पद एवं समूह 'घ' के पद ही सम्मिलित हैं, नियमानुसार किया जा सकता है। यहां पर यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि समूह 'ग' के अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिक से लेकर ऐसे पद जो लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के बाहर अन्यान्य पद भी सम्मिलित हैं, जिनके वेतनमानों में भी काफी भिन्नता है।

प्रदेश सरकार के भिन्न-भिन्न विभागों में समूह 'ग' के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न वेतनमान में भिन्न-भिन्न पदों की उपलब्धता के कारण, अलग-अलग वेतनमान में अलग-अलग पदनामों पर शासन के निर्णय एवं मा० उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में निगम के छंटनीशुदा कार्मिकों का समायोजन किया गया है। व्यवहारिक दृष्टि से यह सम्भव ही नहीं है कि सभी छंटनीशुदा कार्मिकों का समायोजन उनके पूर्व धारित वेतनमान में ही हो और न ही इस प्रकार की व्यवस्था शासनादेश में की गयी है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि छंटनीशुदा कार्मिकों के प्रति पूर्णतया मानवीय एवं सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए शासन ने उन्हें सेवायोजित कराने का प्रयास किया है और मा० उच्च न्यायालय में लम्बित अवमानना वाद एवं याचिका में आगे जो भी निर्णय होगा, उसका समादर करते हुए सरकार इन कार्मिकों के विषय में विचार करेगी।]

प्रदेश में बी० टी० सी० के फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्वगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–21 स्थगित किया जाता है।

प्रदेश में पी०सी०डी० एफ० डेरियों के उत्पादों की कमजोर विपणन प्रक्रिया के फलस्वरूप व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दुग्ध विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा पी०सी०डी०एफ० की डेरियों के उत्पादों के कमजोर विपणन.....

श्री अधिष्ठाता–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(संलग्नक वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुखदेव राजभर–

[प्रक्रिया के फलस्वरूप पनपे भ्रष्टाचार तथा मेरठ डेरी की पूर्ण क्षमता का उपयोग न कर मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा सांठ-गांठ करते हुए प्राइवेट डेरी से दूध प्रोसेस कराकर संस्था को गम्भीर हानि पहुंचाने तथा प्रकरण प्रकाश में आने पर षड़यंत्र के तहत छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बनाने का उल्लेख करते हुए प्रकरण की जाचं रिटायर्ड जिला स्तर के न्यायाधीश से कराने की मांग की गयी है ।

पी० सी० डी० एफ० द्वारा अवगत कराया गया है कि मेरठ डेरी में नये पाउडर प्लान्ट क्षमता 30 मै० टन प्रतिदिन का संचालन वर्ष 1992-93 से प्रारम्भ हुआ । इस प्लान्ट में स्थापित संयंत्रों से केवल 3.50 लाख लीटर मिक्स/होल मिल्क की हैण्डलिंग की जा सकती है । स्किम मिल्क उपलब्ध होने की दशा में ही 1.50 लाख लीटर अतिरिक्त दुग्ध हैण्डिल किया जा सकता है तभी क्षमता को पांच लाख लीटर कहा जा सकता है ।

वर्ष 2000-2001 के दौरान माह दिसम्बर, 2000 में दुग्ध संघ, मेरठ में मिक्स दूध की आमद क्षमता से अधिक होने पर मेसर्स न्यूट्रीसिया कम्पनी, एटा के प्लांट पर मिक्स दूध से एस०एम०पी० एवं घी का कन्वर्जन कराया गया था । पुनः दुग्ध संघ मेरठ द्वारा होल मिल्क की आमद मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप माह मार्च, 2001 में भी मेसर्स कैलाश डेरी, मेरठ पर होल मिल्क से एस०एम०पी० एवं घी का कन्वर्जन कराया गया था । इस प्रकार वर्ष 2000-2001 में मेरठ डेरी द्वारा समय-समय पर अल्पावधि में किराये पर पाउडर प्लान्ट प्राप्त करते हुए दूध का कन्वर्जन कराया गया । लखनऊ मण्डल में भी वर्ष 2000-2001 में किराए पर पाउडर प्लान्ट लेकर दुग्ध कन्वर्जन कार्य कराया गया था ।

प्रोडक्शन प्लान के अनुसार वर्ष 2001-2002 के फलश माहों में कुल 14.34 लाख लीटर मिल्क का हैण्डलिंग जनवरी, 2002 में किया जाना प्रस्तावित था । इसके अतिरिक्त माह अप्रैल, 2001 में दुग्ध उपार्जन में उपलब्धि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8 प्रतिशत अधिक था । आने वाले अवधि में दुग्ध उपार्जन की उपलब्धि इसी के अनुसार रहने की सम्भावना थी ।

गत वर्ष मेरठ डेरी द्वारा आगरा, अलीगढ़ एवं एटा के मिक्स दूध का हैण्डलिंग मेसर्स न्यूट्रीशिया कम्पनी, एटा पर किया गया था ताकि दुग्ध परिवहन व्यय में कमी लाई जा सके ।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2001-2002 के फलश सीजन में सरप्लस दूध की हैण्डलिंग करने हेतु कानपुर, लखनऊ एवं आगरा मण्डल पर स्थित पाउडर प्लान्ट की इच्छुक पार्टियों से निविदा प्राप्त कर दुग्ध कन्वर्जन का कार्य किराये पर कराये जाने का निर्णय लिया गया ।

तदनुसार कानपुर, लखनऊ एवं आगरा मण्डलों में फलश सीजन में सरप्लस दूध के दुग्ध पदार्थों में कन्वर्जन हेतु निविदा माह मई, 2001 में आमंत्रित की गयी । प्राप्त निविदा के आधार पर उक्त मण्डलों हेतु पार्टियों का चयन कर लेटर आफ इन्टेन्ट जारी किये गये । आगरा मण्डलों के लिए मेसर्स अंकुर मील्स लि०, आगरा को उनके धौलपुर राजस्थान स्थित प्लान्ट पर दुग्ध पदार्थों के कन्वर्जन हेतु लेटर आफ इन्टेन्ट दिनांक 11-08-2001 को जारी किया गया । लेटर आफ इन्टेन्ट के क्रम में श्री एस० डी० शर्मा, प्रबन्धक–2(उत्पादन), दुग्ध संघ, मेरठ द्वारा पार्टी के साथ दिनांक 1-10-2001 को अनुबन्ध किया गया । पार्टी को दुग्ध आपूर्ति दिनांक 9-10-2001 से प्रारम्भ की गयी ।

यह वास्तविकता है कि फलश सीजन में दूध अधिक आता है । तीन माहों (माह मई से अगस्त) की तुलना में फलश माहों (नवम्बर से फरवरी) में दूध के उपार्जन में दो गुना अधिक की वृद्धि हो जाती है । जैसा कि वर्ष 2001-2002 के तीन माहों में दुग्ध उपार्जन औसतन 5.49 लाख लीटर प्रतिदिन के समक्ष फलश माहों में दुग्ध उपार्जन 10.78 लाख प्रतिदिन था । (लगभग दो गुना वृद्धि) । हड़ताल अथवा ब्रेक डाउन जैसी स्थिति का उल्लेख प्रश्नगत प्रकरण में आप्रसंगिक है । यदि किराये का पाउडर प्लान्ट न लिया गया होता तो दुग्ध संघ, मेरठ पर प्राप्त होने वाले दुग्ध की औसत मात्रा नीचे दी गयी तालिका के कालम 07 के अनुसार होती जो कि स्पष्टतया दुग्ध संघ की औसत हैण्डलिंग क्षमता से अधिक होती ।

औसत मिल्क हैण्डलिंग लाख लीटर प्रतिदिन

माह	मेरठ दुग्ध संघ			अंकुर मील्स को	कैलाश डेरी एवं जे० के० डेरी को	योग 4+5+6
	मिक्स दूध	स्किम दूध	योग 2+3			
1	2	3	4	5	6	7
अक्टूबर–01	2.51	0.02	2.53	0.23	–	2.76
नवम्बर–01	2.45	0.03	2.48	0.10	–	2.58
दिसम्बर–01	3.12	0.03	3.15	0.05	–	3.20
जनवरी–02	4.02	0.23	4.25	0.72	0.15	5.12
फरवरी–02	3.62	0.19	3.81	0.23	–	4.04

उल्लेखनीय है कि किराये पर पाउडर प्लान्ट लेने के सम्बन्ध में प्रकाशित निविदा में 10 से 15 मी० टन तथा 01 लाख लीटर अतिरिक्त दुग्ध हैंडलिंग क्षमता के प्लान्ट की आवश्यकता बतायी गयी थी। दुग्ध संघ, मेरठ का दूध हैण्डिल करने हेतु किराये पर लिए गए प्लान्ट की क्षमता निविदा में निर्धारित मानकों के अनुरूप थी।

अनुबन्ध के अनुसार मेरठ दुग्ध संघ द्वारा आवश्यक मात्रा में पैकिंग मैटीरियल प्राईवेट पार्टी को दुग्ध पदार्थों की पैकिंग हेतु उपलब्ध करवाया जाना था। जिसके समक्ष दुग्ध संघ द्वारा मात्र 5640 बैग पार्टी को उपलब्ध कराया गया। बाकी पैकिंग मैटीरियल की व्यवस्था पार्टी द्वारा की गयी। लेबिल की व्यवस्था दुग्ध संघ, आगरा के माध्यम से कराई गयी।

21 टैंकर दूध खराब होने के कारण बहा दिये जाने के सम्बन्ध में पार्टी एवं दुग्ध संघ, मेरठ के मध्य स्थिति विवादित है तथा प्रकरण सोल आर्बीट्रेटर, संयुक्त दुग्ध आयुक्त (प्रशासन) दुग्धशाला विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है। जहां तक दुग्ध उत्पादकों के दुग्ध मूल्य का भुगतान का प्रश्न है, उत्पादकों द्वारा दिये गये दूध का पूर्ण विवरण सम्बन्धित दुग्ध संघों में रिकार्डेड है एवं इसका भुगतान उन्हें सम्बन्धित दुग्ध संघों द्वारा किया जा रहा है।

मेसर्स अंकुर मील्स लि० के धौलपुर राजस्थान स्थित प्लान्ट से कन्वर्जन उपरान्त दुग्ध पदार्थों के मेरठ परिवहन पर रु० 2,64,082.50 तथा स्टाफ के टी० ए०, डी० ए० पर रु० 37,072.20 का व्यय हुआ, जो कि कार्य के कुल वाल्यूम को देखते हुए युक्तिसंगत था। लोडिंग/अनलोडिंग पर कोई व्यय नहीं हुआ।

पार्टी के प्रथम बिल से 2.00 लाख रु० की सिक्योरिटी धनराशि काटकर दुग्ध संघ के खाते में जमा है। पार्टी द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ जो अभिलेख उपलब्ध कराए गए थे उनसे इस प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई कि पार्टी पी० एन० बी०, आगरा द्वारा ब्लैक लिस्टेड थी।

दुग्ध संघ, मेरठ के महाप्रबन्धक द्वारा अतिरिक्त स्किम्ड दूध उपलब्ध करवाने की मांग-पत्र दिनांक 23-10-2001 द्वारा की गयी थी, परन्तु वांछित मात्रा में स्किम्ड दूध की आपूर्ति आगरा, अलीगढ़, बुलन्दशहर एवं मुरादाबाद दुग्ध संघ से उपलब्ध करवाना सम्भव नहीं था, क्योंकि दूध से वसा निकाल कर वसा को हैंडिल करने की क्षमता सम्बन्धित दुग्ध संघों में उपलब्ध नहीं थी, जिसके विषय में महाप्रबन्धक दुग्ध संघ, मेरठ को सूचित किया गया था। तत्पश्चात् माह जनवरी, 2002 में महाप्रबन्धक,

दुग्ध संघ, मेरठ द्वारा दुग्ध संघ, मेरठ में दूध की अधिकता दर्शाते हुए स्वयं ही मुख्यालय से दो अन्य पाउडर प्लान्ट में दूध प्रेषित कर कन्वर्जन करवाने की अनुमति मांगी गयी एवं दो पाउडर प्लांट किराये पर लेकर दुग्ध का कन्वर्जन कराया गया।

तत्कालीन प्रभारी, दुग्ध संघ, आगरा द्वारा जयपुर में माल की बिक्री के सम्बन्ध में सूचना दी गयी थी। उन्हें मेसर्स अंकुर मील्स, आगरा को आपूर्ति किये जा रहे दुग्ध तथा दुग्ध कन्वर्जन कार्य में पार्टी तथा दुग्ध संघों से समन्वय स्थापित करने हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था। तत्सम्बन्धी कर्तव्यों एवं दायित्वों के पालन में गम्भीर लापरवाही बरतने का दोषी पाये जाने के फलस्वरूप उन्हें निलम्बित किया गया।

पीसीडीएफ, मुख्यालय द्वारा सुविचारित नीति के अन्तर्गत गत वर्ष के अनुभव, दुग्ध उपार्जन में हुई वृद्धि, आने वाले समय में दुग्ध उपार्जन वृद्धि के रुझान के आंकलन, प्रोडक्शन प्लान तथा दुग्ध संघों की दुग्ध हैंडलिंग क्षमता आदि को संज्ञान में लाते हुए वर्ष 2001-2002 के फ्लश सीजन में मेरठ दुग्ध संघ में प्राप्त होने वाले सम्भावित सरप्लस दूध को ध्यान में रखते हुए दुग्ध संघ, मेरठ में आगरा परिक्षेत्र के दुग्ध संघों से प्राप्त होने वाले सरप्लस दूध के कनवर्जन का कार्य प्राईवेट डेरी में कराये जाने का निर्णय लिया गया।

मेसर्स अंकुर मील्स, आगरा द्वारा दुग्ध संघ, मेरठ के साथ किये गये अनुबन्ध के अनुसार उन्हें प्राप्त दूध का कन्वर्जन करने के उपरान्त प्रतिदिन निर्मित दुग्ध पदार्थ दुग्ध संघ, मेरठ को स्थानान्तरित करने थे परन्तु पार्टी द्वारा दुग्ध संघ, मेरठ के साथ धोखाधड़ी करते हुए 69,742 कि०ग्रा० घी तथा 1,21,793.62 कि०ग्रा० एस० एम० पी० जिसका अनुमानित मूल्य लगभग रु० 1.58 करोड़ है दुग्ध संघ, मेरठ को वापस नहीं किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में परीक्षणोपरान्त पार्टी से दुग्ध पदार्थ प्रतिदिन प्राप्त न करने, नियमों/निर्देशों का पालन न करने, अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के निर्वहन में घोर शिथिलता बरतने आदि के लिए प्रथम दृष्टया गम्भीर रूप से दोषी पाये गये दुग्ध संघ, मेरठ/आगरा के निम्न चार अधिकारियों तथा दो कर्मचारियों को निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय जांच/कार्यवाही की जा रही है।

1-तत्कालीन महाप्रबन्धक, दुग्ध संघ, मेरठ।

2-तत्कालीन प्रबन्धक-2 (उत्पादन), दुग्ध संघ, मेरठ।

3-तत्कालीन प्रबन्धक, भण्डार, दुग्ध संघ, मेरठ।

4-तत्कालीन प्रभारी, दुग्ध संघ, आगरा।

5-तत्कालीन क्रय सहायक, दुग्ध संघ, मेरठ।

6-तत्कालीन प्रयोगशाला सहायक, दुग्ध संघ, मेरठ।

विभागीय जांचों की निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से दुग्ध आयुक्त कार्यालय में कार्यरत पी० सी० एस० अधिकारी संयुक्त दुग्ध आयुक्त (प्रशासन) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न दुग्ध संघों में कार्यरत 18 अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के स्पष्टीकरण मांगे गये हैं।

उल्लेखनीय है कि पीसीडीएफ, मुख्यालय स्तर से पार्टी के चयन कार्य में शिथिलता बरतने हेतु एक प्रबन्धक-3 (इंजी०) को निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय जांच कार्यवाही की जा रही है तथा प्रभावी अनुश्रवण न करने हेतु दो अधिकारियों के स्पष्टीकरण मांगे गये हैं। इस प्रकार छोटे

कर्मचारियों को नहीं वरन् प्रकरण में वास्तविक रूप से दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, जिनमें अधिकारियों की संख्या अधिक है ।

मेसर्स अंकुर मील्स लि० के विरुद्ध दुग्ध संघ, मेरठ के स्तर से विधिक कार्यवाही निम्नवत् की जा रही है :––

1–जिला एवं सत्र न्यायालय, आगरा–

पार्टी के विरुद्ध थाना न्यू आगरा में आईपीसी की धारा 406/420 के अन्तर्गत दिनांक 3-3-2002 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है जो कि अपराध सं० 299/2000 पर पंजीकृत है । पार्टी के विरुद्ध वारंट जारी हुए थे, परन्तु आरोपियों को मा० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है, जिसके समक्ष मा० जिला एवं सत्र न्यायालय, आगरा के समक्ष जमानत खारिज याचिका संख्या 93/2002 दायर की जा चुकी है । वाद में अगली तिथि 3-9-2002 निर्धारित है ।

2–मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद––

पार्टी के श्री सुरेश चन्द्र गर्ग, श्री संजय उपाध्याय एवं श्री सुधीर गर्ग द्वारा उनके विरुद्ध दायर प्राथमिकी को निरस्त करने सम्बन्धी याचिकाओं पर विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा मा० उच्च न्यायालय द्वारा थाना न्यू आगरा में दायर प्राथमिकी के आधार पर कार्यवाही जारी रखने तथा याचीगणों को इसमें सहयोग देने के लिए निर्देशित किया गया है ।

3–जिला एवं सत्र न्यायालय, मेरठ–

उक्त न्यायालय में पार्टी की परिसम्पत्तियों के विक्रय/निस्तारण पर रोक लगाने का वाद सं० 32/2002 दायर किया गया है, जिसमें अगली तिथि 2-9-2002 निर्धारित है ।

4–दुग्ध आयुक्त, उत्तर प्रदेश/सोल आर्बीट्रेटर लखनऊ

पार्टी द्वारा लेटर आफ इन्टेन्ट दिनांक 14/16-8-2002 तथा अनुबन्ध दिनांक 1-10-2001 का उल्लंघन कर संस्था के साथ धोखाधड़ी किये जाने के सम्बन्ध में अनुबन्ध में निहित आर्बीट्रेशन क्लाज के अन्तर्गत आर्बीट्रेशन वाद संख्या 1/2000 दायर किया गया है, जिसमें डा० शान्ति स्वरूप सिंह, संयुक्त दुग्ध आयुक्त (प्रशासन) सोल आर्बीट्रेटर नियुक्त हैं तथा कार्यवाही चल रही है ।

5–आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन द्वारा कार्यवाही–

उल्लेखनीय है कि मामले की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान संगटन को संदर्भित की जा चुकी है तथा आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, कानपुर द्वारा प्रकरण में विवेचना का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।]

स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम में शामिल शासकीय कर्मियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतन वृद्धि दिये जाने के सम्बन्ध में डा० बकार अहमद शाह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री के वक्तव्य का स्वगन

श्री अधिष्ठाता–

मद सं०–23 को स्थगित किया जाता है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आगरा महानगर की मलिन बस्तियों में सुलभ शौचालय की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० राम बाबू हरित द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

उत्तर प्रदेश नगर निगम.....

श्री अधिष्ठाता–

इसको पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(पढ़ा माना गया वक्तव्य संलग्न है)

श्री सुखदेव राजभर–

[अधिनियम, 1959 की धारा–114 के अन्तर्गत नालियों और जल निस्तारण निर्माण कार्यों, सार्वजनिक शौचालयों (जिनमें मलिन बस्तियां भी सम्मिलित हैं) नाबदानों, मूत्रालयों तथा ऐसी अन्य सुविधाओं का निर्माण, उसका संधारण और उसकी सफाई नगर निगम के कर्तव्यों व दायित्वों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है । नगर निगम द्वारा उक्त कार्य अपने स्वयं के राजस्व, राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्रदेश सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि, 11वें वित्त आयोग की संस्तुतियों से भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि तथा रिवाल्विंग फण्ड (राज्य सरकार) से प्राप्त होने वाली धनराशि से अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारण करते हुए किया जाना होता है । इसके अतिरिक्त आगरा में जल निगम द्वारा भी टी० टी० जेड योजना के अन्तर्गत सीवर लाइनें डालने का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य नागर विकास अभिकरण विभाग के अन्तर्गत जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा भी शहर की मलिन बस्तियों में विकास कार्य चलाये जाते हैं । शहर की मलिन बस्तियों के अन्तर्गत जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा उपलब्ध धनराशि से अपने स्तर पर मलिन बस्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं का आंकलन करते हुए उपलब्ध धनराशि के दृष्टिगत प्राथमिकताओं का निर्धारण कर शासी निकाय के अनुमोदनोपरान्त विभिन्न कार्य कराये जाते हैं । जिला नगरीय विकास अभिकरण के अन्तर्गत आगरा शहर में 252 मलिन बस्तियां हैं । इन मलिन बस्तियों में जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सामुदायिक विकास समितियों के प्रस्तादों पर गत वर्षों में कुल 15 मलिन बस्तियों में पृथक-पृथक 15 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया । इसके अतिरिक्त स्वच्छकार विमुक्ति योजनान्तर्गत आगरा शहर में 12939 शौचालय बनाये गये हैं । इस वर्ष में भी भारत सरकार से उपलब्ध धनराशि के आधार पर जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा सामुदायिक विकास समितियों से प्राप्त प्रस्तावों पर शासी निकाय में विचार कर अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हुए मलिन बस्तियों में विकास के कार्य कराये जायेंगे जिनमें मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों व सीवर निर्माण के साथ-साथ स्वच्छकार विमुक्ति योजनान्तर्गत शौचालयों के निर्माण के कार्य भी शासी निकाय द्वारा स्वीकृत धनराशि की सीमा तक सम्मिलित होंगे ।]

जनपद आगरा के कस्बा अछनेरा में आगरा भरतपुर मार्ग पर स्थित मुख्य बाजार में बने पक्के नाले पर से अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में चौधरी बाबू लाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, जनपद आगरा.....

श्री अधिष्ठाता–

इसको पढ़ा हुआ माना जाता है ।

नोट :– ! ! यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(पढ़ा माना गया वक्तव्य संलग्न है)

श्री सुखदेव राजभर–

[जनपद आगरा के कस्बा–अछनेरा में नगर पालिका परिषद् द्वारा शासन की नीति के तहत सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने हेतु अभियान चलाया गया था जिसमें पहला चरण 10 जून को पूरा हो गया था तथा दूसरे चरण का अभियान 17 जून को चलाने का कार्यक्रम था जिसमें तत्कालीन उप जिलाधिकारी राजेश कुमार यादव ने अवैध कब्जा से मिली भगत द्वारा आर्थिक फायदा उठाकर कब्जा हटवाने के अभियान में कोई सहयोग नगर पालिका अध्यक्ष को नहीं दिया, क्योंकि सभी कब्जेदार दबंग तथा पूंजीपति हैं । तथा नगरपालिका अध्यक्ष एक दलित महिला होने के कारण द्वेषवश प्रशासन ने सहयोग नहीं किया । वर्षा के दिनों नालों के अवरुद्ध होने के कारण सड़क पर 1-2 फिट पानी भर जाता है और पूर्णतया आवागमन रुक जाता है जिसकी वजह से जनता में भारी रोष व्याप्त है तथा कभी जन आक्रोश फूट सकता है ।

मा० सदस्य द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद्, अछनेरा सीमा के अन्तर्गत अतिक्रमण/अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही माह जून के तृतीय सप्ताह के आरम्भ में स्टेशन रोड पर स्टेशन से भरतपुर थाना चौराहे तक किया गया तथा आंशिक रूप से बिचपुरी रोड पर अस्थायी तथा कुछ स्थायी अतिक्रमण हटाये गये थे । यह कार्यवाही तहसीलदार किरावली, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, अछनेरा, थाना प्रभारी अछनेरा मय पुलिस बल एवं नगर पालिका के स्टाफ द्वारा सम्पादित की गयी थी इस टीम का गठन तत्कालीन उप जिलाधिकारी किरावली द्वारा किया गया था । तदोपरान्त अन्य भागों के अवैध कब्जे/अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित थी इसी बीच एक शिकायती प्रार्थना-पत्र समस्त अछनेरा निवासीगण द्वारा दिनांक 23-6-2002 आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा को दिया गया, जिसमें यह उल्लिखित किया गया कि अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद् अछनेरा की द्वेष भावना से मोहल्ला रठिया स्थित बाजार में अवैध चिन्हांकन किया गया है और यह अनुरोध किया गया कि है दिनांक 24-6-2002 को होने वाली कार्यवाही को वस्तुस्थिंति की जानकारी होने तक यंथास्थिति बनाये रखी जाय ताकि कस्बे में शांति भंग न हो । उक्त प्रार्थना-पत्र पर अपर आयुक्त, आगरा मण्डल (प्रशासन), आगरा द्वारा दिनांक 23-6-2002 को तत्कालीन उप जिलाधिकारी को यह आदेश दिया गया कि सम्बन्धित पक्षों को सुनने के उपरान्त तथा इस संबंध में स्वयं तथा अधिशासी अधिकारी से स्थिति स्पष्ट करा लेने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जाय । उक्त आदेश के क्रम में तत्कालीन उप जिलाधिकारी द्वारा तहसीलदार को यह आदेश दिया गया कि पक्के निर्माण ध्वस्त न कराये जायें । पालिका ने सम्बन्धित मकानों पर जो चिन्हांकन किया है, उसकी जांच नक्शा से करा ली जाय तब तक अतिक्रमण कार्यक्रम स्थगित रखा जाय ।

समस्त निवासीगण तथा संभ्रान्त नागरिकों के हस्ताक्षर से एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 26-6-2002 आयुक्त, आगरा मण्डल को दिया गया जिस पर दोनों पक्षों को सुनने तथा स्थिति यथावत रखने के आदेश दिये गये । इस संबंध में कस्बा अछनेरा में आगरा भरतपुर मार्ग पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) तत्कालीन उप जिलाधिकारी, किरावली, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, अछनेरा थाना प्रभारी, अछनेरा मय पुलिस बल, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, अछनेरा, सदस्यगण नगर पालिका परिषद्, अछनेरा, पालिका क्षेत्र के संभ्रान्त नागरिकगणों की उपस्थिति में दिनांक 03-7-2002 के मौका मुआयने के अनुसार निम्न तथ्य प्रकाश में आये :––

1–मुख्य बाजार से होकर आगरा भरतपुर रोड के सहारे बने एक किलोमीटर नाले पर लाल पटिया तथा अधिकांश भाग पर पक्का निर्माण है । नाले के कुछ स्थानों पर पीछे तथा नाले के ऊपर मकान तथा दुकान आदि बने हुए हैं जो 40–45 वर्ष पुराने हैं ।

2–मौके पर कुछ लोगों द्वारा इस सम्बन्ध में न्यायालय हाकिम परगना के वाद संख्या–475/1971 तथा 476/71 में पारित आदेश दिनांक 20-7-1972 एवं 11-4-1972 की प्रति प्रस्तुत की गयी । उक्त आदेश में यह पारित किया गया है कि जो प्रासीक्यूसन (चालानी) किया गया था, वह निर्दोष है तथा सम्बन्धित न्यायालयों द्वारा उनके कब्जे को अवैध नहीं ठहराया गया है ।

3–दिनांक 6-10-57 को नगर पालिका परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव में यह उल्लेख किया गया है नगर पालिका परिषद् अछनेरा में धन उपलब्ध न होने के कारण मकान मालिक व दुकानदार अपनी जमीन पर स्वयं अपने धन से पानी की निकासी की व्यवस्था करें, जिससे बाजार स्वच्छ व साफ रहे ।

उपरोक्त मौका मुआयना के उपरान्त अवैध कब्जे को हटाने के संबंध में नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है । इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्, अछनेरा से जिलाधिकारी द्वारा प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर आख्या मांगी गयी है । आख्यायें प्राप्त होने पर तथा पूर्व के विभिन्न न्यायालयों के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए जांचोपरान्त पिछले 25–40 वर्ष पुराने निर्माण को हटाये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

सड़क पर पानी आने एवं सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी स्तर से विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं कि नाले/नालियों की सफाई आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय जिससे सड़कों पर किसी भी दशा में पानी न आने पाये ।

जहां तक तत्कालीन उप जिलाधिकारी द्वारा अवैध कब्जेदारों से मिली भगत का प्रश्न है, इस संबंध में अवगत कराना है कि ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह विदित हो सके कि उप जिलाधिकारी अवैध कब्जेदारों से मिले हुए हैं ।

उप जिलाधकारी द्वारा प्रथम चरण में अवैध कब्जा हटाये जाने का अभियान सफलता पूर्वक चलाया गया व तदोपरान्त नगर वासियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों के आदेश जो उनके पक्ष में है, के दृष्टिगत मौका मुआयना कर जांच प्रचलित है ताकि किसी भी न्यायालय के आदेश की अवमानना न हो सके । साथ ही नियमानुसार विधिक प्रक्रियानुसार कार्यवाही निष्पादित हो सके । इस संबंध में कोई प्रशासनिक लापरवाही नहीं बरती गयी है ।]

जनपद ज्योतिबाफूले नगर के जिलाधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जुर्माना न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री महबूब अली द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्वगन

श्री अधिष्ठाता–

मद सं०–26 को स्थगित किया जाता है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद सिद्धार्थनगर के बेगम काजी जलील अब्बासी कन्या विद्यालय के भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु दिये गये धन का कथित दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री कमाल यूसुफ मलिक द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद सं०–27 को स्थगित किया जाता है ।

प्रदेश में आयुर्वेद एवं यूनानी प्रशिक्षित डाक्टरों के हजारों रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, श्री दुर्गा प्रसाद यादव.....

श्री अधिष्ठाता–

वक्तव्य पढ़ा माना जाता है ।

(पढ़ा माना गया वक्तव्य संलग्न है)

श्री सुखदेव राजभर–

[मा० सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि पूरे प्रदेश में आयुर्वेद एवं यूनानी के प्रशिक्षित डाक्टर बेकार घूम रहे हैं । प्रदेश भर में डाक्टरों के हजारों पद रिक्त हैं परन्तु वर्ष 1994 के बाद से कोई नियुक्ति नहीं की गयी है नियुक्तियों की मांग को लेकर आयुर्वेदिक एवं यूनानी छात्र संघर्ष समिति उ० प्र० की अगुवाई में हजारों डाक्टर आन्दोलनरत हैं । इनमें असंतोष, क्षोभ एवं रोष व्याप्त है ।

2—उक्त प्रकरण में वस्तुस्थिति यह है कि प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों मे चिकित्साधिकारी के पद राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संवर्ग नियमावली 1990 (यथासंशोधित) के अनुसार लोक सेवा आयोग की परिधि में आते हैं । चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) के स्वीकृत कुल 1780 पदों के सापेक्ष तदर्थ चिकित्साधिकारियों को सम्मिलित करते हुए 1456 पदधारक कार्यरत हैं । इस प्रकार 324 पद रिक्त हैं । आरक्षित वर्ग के बैकलाग में अनुसूचित जाति के 217, अनुसूचित जनजाति के 28 व अन्य पिछड़ा वर्ग के 103 कुल 348 पद बनते हैं । वित्त विभाग के निर्देशानुसार स्वीकृत पदों की संख्या 2 प्रतिशत रिक्त रखते हुए आनुपातिक रूप से आरक्षित वर्ग के 288 बैकलाग के पदों को सीधी भर्ती द्वारा पूरा करने हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित करने की कार्यवाही शीघ्रता से की जा रही है । इसी प्रकार चिकित्साधिकारी (यूनानी) के स्वीकृत कुल 254 पदों के सापेक्ष तदर्थ चिकित्साधिकारियों को सम्मिलित करते हुए 224 पद धारक कार्यरत हैं। इस प्रकार 30 पद रिक्त हैं । आरक्षित श्रेणी के बैगलाग में अनुसूचित जाति के 47 अनुसूचित जनजाति के 4 व अन्य पिछड़ा वर्ग के 41 अर्थात कुल 92 पद रिक्त हैं । वित्त विभाग के निर्देशानुसार स्वीकृत पदों की संख्या 2 प्रतिशत रिक्त रखते हुए आनुपातिक रूप से आरक्षित वर्ग के बैकलाग के 25

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पदों को भी पूरा करने हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है ।]

उत्तर प्रदेश के आरा मशीनों के संचालन में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप कार्यवाही न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्वगन

श्री अधिष्ठाता–

मद सं०–29 को स्थगित किया जाता है ।

बस्ती नगर पूरब में रामपुर शिवबखरी न्याय पंचायत की विद्युत व्यवस्था जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम करन आर्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, न्याय पंचायत.....

श्री अधिष्ठाता–

वक्तव्य पढ़ा माना जाता है ।

(पढ़ा माना गया वक्तव्य संलग्न है)

श्री सुखदेव राजभर–

1–[शिवबखरी विद्युतीकृत नहीं है ।

2–न्याय पंचायत रामपुर के विकास खण्ड कुदरहा की विद्युत आपूर्ति 33/11 के०वी० महसों उपकेन्द्र के 11 केवी लालगंज फीडर से की जाती है । दिनांक 5, 6 एवं 11 मई, 2002 को भीषण आंधी, तूफान व चक्रवात आने के कारण लालगंज फीडर की कुछ लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं जिसके कारण ग्राम रामपुर की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई । चक्रवात के कारण ग्राम रामपुर में 11 के०वी० के 59 एवं एल० टी० के 64 कुल 123 अदद खम्भे क्षतिग्रस्त हो गये जिसके फलस्वरूप एक निजी नलकूप एवं सत्तर बत्ती पंखा के संयोजनों की विद्युत आपूर्ति बन्द हो गई । क्षतिग्रस्त लाइनों की मरम्मत हेतु लगभग रु० 4.784 लाख की आवश्यकता है । उपरोक्त कार्य हेतु आवश्यक धन की समीक्षा करके क्षतिग्रस्त लाइनों की मरम्मत का कार्य सम्पन्न कराकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जायेगी ।]

कानपुर नगर के घाटमपुर क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा मध्यांचल निधि में स्वीकृत धनराशि द्वारा कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश सचान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, माननीय सदस्य .....

श्री अधिष्ठाता–

वक्तव्य पढ़ा माना जाता है ।

(पढ़ा माना गया वक्तव्य संलग्न है)

श्री सुखदेव राजभर–

[मा० सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में अपने क्षेत्र घाटमपुर, कानपुर नगर में मध्यांचल निधि में स्वीकृत दो कार्य जिनकी लागत 54.00 लाख है, के लिए इस वर्ष 2002-2003 में रु० 50,0000/- आवंटित करने हेतु निर्देश देने का अनुरोध किया गया है ।

2—भारत सरकार से वन टाइम विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं में लोक निर्माण विभाग के लिए मध्यांचल विशेष पैकेज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए कानपुर नगर के दो कार्य अनुमोदित थे जिसके विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2001-2002 में वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी । किन्तु साख-सीमा प्राप्त न होने के कारण सम्पूर्ण धनराशि का समर्पण हो गया था ।

3—चालू वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए विभाग के आय-व्ययक में लेखानुदान के माध्यम से कराई गई व्यवस्था के विरुद्ध प्रथम छः माह के उपयोग हेतु उक्त स्वीकृत कार्यों हेतु शासनादेश संख्या–3362ई/23-11-2002-400ई/2002, दिनांक 16 अगस्त, 2002 द्वारा निम्नांकित विवरण के अनुसार धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है :––

क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (रुपये में)	वर्ष 2002-03 में आवंटन (रुपये में)
1	घाटमपुर–भीतरगांव–साढ़ मार्ग का निर्माण	26,84,000	15,00,000
2	रमईपुर–साढ़–जहानाबाद मार्ग का निर्माण	27,52,000	15,00,000
	योग :	54,36,000	30,00,000]

जनपद कुशीनगर के महात्मा बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों के प्रवेश में घोर अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की.....

श्री अधिष्ठाता–

वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(पढ़ा माना गया वक्तव्य संलग्न है)

श्री सुखदेव राजभर–

[प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–51 के अन्तर्गत मा० सदस्य द्वारा यह सूचना दिनांक 26 अगस्त, 2002 को दी गयी है कि जनपद कुशीनगर, देवरिया में स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में छात्रों के प्रवेश की अनेक समस्याएं पैदा हो गयी है।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद कुशीनगर के महात्मा बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रों के प्रवेश पर घोर अनियमितता बरती जा रही है और बिहार प्रान्त के छात्रों को फर्जी अंक पत्रों के माध्यम से काफी धन लेकर प्रवेश दिया जा रहा है। यही स्थिति देवरिया जनपद में भी है।

2—मा० सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना की जांच क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर के माध्यम से करायी गयी। इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि दोनों जनपदों के महाविद्यालयों द्वारा शासन एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क लेकर ही छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा है। विगत वर्षों में गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा छात्र निधियों एवं परीक्षा शुल्क तथा शासन स्तर से महंगाई शुल्क एवं प्रायोगिक शुल्क में वृद्धि की गयी है जिसको सम्मिलित करते हुए उक्त जनपदों में स्थित महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा छात्रों से शुल्क लिया जा रहा है।]

देवी पाटन मण्डल में मेजापुर मिल पर गन्ना किसानों के करोड़ों रुपये के बकाये के भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में श्री बैजनाथ दुबे द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर गन्ना विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के.....

श्री अधिष्ठाता–

वक्तव्य पढ़ा माना जाता है।

(पढ़ा माना गया वक्तव्य संलग्न है)

श्री सुखदेव राजभर–

[क्षेत्र में पेराई सत्र 2001-02 में 21.52 लाख हेक्टेयर गन्ना क्षेत्रफल में 1245 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ, जो गत वर्ष की अपेक्षा 11.41 प्रतिशत अधिक है। अधिक गन्ना पेराई तथा गन्ना मूल्य में 5/- रु० प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी के कारण वर्तमान सत्र 2001-02 में गन्ना किसानों को रु० 5093.71 करोड़ गन्ना मूल्य देय हुआ, जबकि गत पेराई सीजन 2000-2001 में गन्ना मूल्य रु० 3985.66 करोड़ देय हुआ था। गत पेराई सत्र 2000-2001 में जहां जुलाई के अन्त में प्रदेश में चीनी सम्भार 31.07 लाख टन था, वहीं 31 जुलाई, 2002 को मिलों के पास यह सम्भार 40.26 लाख टन था। स्पष्ट है कि अवशेष चीनी सम्भार गत वर्ष की तुलना में अधिक है, किन्तु चीनी का बाजार मूल्य रु० 150 से 200/- प्रति बोरी कम है। इस प्रकार जहां धन अवरुद्ध है, वहीं अधिक पेराई व बढ़े गन्ना मूल्य के कारण देयता भी लगभग 1100 करोड़ रुपये बढ़ गयी है।

सरकार द्वारा गन्ना किसानों को उनके बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु अनेक प्रभावी कदम उठाये गये, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा गठित की गयी उच्च स्तरीय बैंकों की स्थायी समिति की बैठक कर चीनी मिलों की ऋण साख-सीमा सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया गया तथा सहकारी एवं निगम क्षेत्र की चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य की देयता को देखते हुए रु० 130 करोड़ की ऋण सहायता दिये जाने का निर्णय लिया गया। समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को बैंकों तथा मिलों की बैठक कराकर अतिरिक्त क्रेडिट लिमिट स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये। इस वर्ष अधिक चीनी उत्पादन की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार से

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतिरिक्त बफर स्टाक के सृजन व चीनी मिलों को फ्री-सेल चीनी का अतिरिक्त कोटा आवंटित करने हेतु राज्य सरकार की ओर से अनुरोध किया गया है।

प्रदेश में सूखे की स्थिति को देखते हुए किसानों को बकाया गन्ना मूल्य के सापेक्ष डीजल एवं कीटनाशक उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जनपद मुख्यालय एवं चीनी मिलों में कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गयी है। गन्ना कृषकों पर बकाये राजकीय ऋण की वसूली के सम्बन्ध में कोई उत्पीड़ात्मक कार्यवाही नहीं की जा रही है, राजस्व विभाग के शासनादेश सं०–यू०ओ०94/1-7/2002-रा०-7, दिनांक 17-7-02 के द्वारा यह निर्देश जारी किये गये हैं कि जब तक किसानों को गन्ना मूल्य प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक उनके विरुद्ध विभिन्न देयों, जो किसानों को प्राप्त होने वाली धनराशि के बराबर या कम है, की वसूली के संदर्भ में कोई उत्पीड़क कार्यवाही नहीं की जायेगी।

दिनांक 27-8-2002 की स्थिति के अनुसार देवीपाटन मण्डल की मैजापुर चीनी मिल पर पेराई सत्र 2001-2002 का गन्ना किसानों का रु० 1538.14 लाख, चिलवरिया पर रु० 587.26 लाख, जरवल पर रु० 1598.56 लाख, वाल्टरगंज पर रु० 409.19 लाख, रोजागांव पर रु० 1293.46 लाख तथा बभनान चीनी मिल पर रु० 1387.17 लाख गन्ना मूल्य बकाया है।

मैजापुर चीनी मिल पर गन्ने की कुल खरीद का लगभग 80 प्रतिशत बकाया रहने के कारण वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर मिल की सम्पत्ति कुर्क करा ली गयी है, इसके अतिरिक्त चिलवरिया, वाल्टरगंज, रोजागांव तथा बभनान चीनी मिलों को बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु कारण बताओ नोटिस भेजी गयी है। प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य चीनी निगम को जरवल चीनी मिल पर बकाये गन्ना मूल्य भुगतान कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

सरकार गन्ना किसानों की समस्याओं एवं उनके बकाया गन्ना मूल्य भुगतान कराने के प्रति सजग एवं संवेदनशील है तथा भुगतान कराने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा कर दबाव बनाये रखा जा रहा है, किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु सरकार दृढ़ संकल्प एवं वचनबद्ध है।]

श्री अधिष्ठाता–

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति एवं महानगरों में बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए पुनरीक्षित योजना तैयार किये जाने विषयक दिनांक 23 अगस्त, 2002 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–1 नत्थी (क) के सम्बन्ध में नियम–49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा होगी।

(मा० सदस्य श्री जगदम्बिका पाल, श्री संजय गर्ग, श्री प्रदीप माथुर, श्री महबूब अली का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

चूंकि कोई माननीय सदस्य चर्चा आरम्भ नहीं कर रहा है। इसलिए मैं इस चर्चा को निरस्त करता हूं।

प्रदेश की वित्तीय हालत को सुधारने तथा इस हेतु किसी विशेष संस्था या संगठन से परामर्श प्राप्त करने विषयक 19 अगस्त, 2002 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–11 नत्थी (ग) के सम्बन्ध में श्री धनन्जय सिंह द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद सं०–35 को स्थगित किया जाता है।

अब हम उठते हैं । दिनांक 2 सितम्बर, 2002 को पूर्वाह्न 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 4 बजकर 55 मिनट पर सोमवार 2 सितंम्बर, 2002 अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 29 अगस्त, 2002

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०-एल० 06 विधान सभा (6)2003-815(डी०टी०पी०) ।